राजस्थान विधान सभा

१३ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक--१४ अक्टूबर, सन् १९५५

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-४० बजे प्रारम्भ हुई

(प्रातःकालीन बैठक)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न प्रश्न संख्या ३९३

प्रश्न कर्ता श्री संग्रामसिंह की अनुपस्थिति में यह प्रश्न नहीं पूछा गया।

प्रश्न संख्या ३९४

प्रश्न कर्ता श्री चांदमल मेहता की अनुपस्थिति में यह प्रश्न नहीं पूछा गया।

प्रश्न संख्या ३९५

प्रश्न कर्ता श्री संग्रामसिंह की अनुपस्थिति में यह प्रश्न नहीं पूछा गया ।

प्रश्न संख्या ३९६

प्रश्न कर्ता श्री चांदमल मेहता की अनुपस्थिति में यह प्रश्न नहीं पूछा गया ।

प्रश्न संख्या ३९७

प्रश्न कर्ता श्री भैरूंसिंह की अनुपस्थिति में यह प्रश्न नहीं पूछा गया।

प्रश्न संख्या ३९८

प्रश्न कर्ता श्री चांदमल मेहता की अनुपस्थिति में यह प्रश्न नहीं पूछा गया

(श्री अध्यक्ष ने श्री संग्रामसिंह, श्री चांदमल मेहता और श्री भैरूंसिंह के नाम तीन बार पुकारे किन्तु वे अनुपस्थित थे)

(उपरोक्त प्रश्नोतर हेतु कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३९९

तहसील बाड़ी (धौलपुर) नगरपालिका के सेक्रेटरी के विरुद्ध जनता के दो मेजर नामों पर कार्यवाही

श्री हंसराज जटिया—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील बाड़ी सब डिविजन धोलपुर नगरपालिका के सैक्रेटरी के विरुद्ध वहां की जनता के दो एक मैजरनामे आ चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या विचार किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त मंत्री)—(क) जी हां, बाड़ी नगरपालिका के सेक्रेटूरी के विरुद्ध जनता द्वारा की गई शिकायतों की जांच करवाई जा रही है।

श्री हंसराज जटिया—वह जांच कब तक पूरी पो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह जल्दी ही हो जायगी।

श्री जवान सिंह—उनके खिलाफ शिकायत किस संबंध की थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोई खास शिकायत नहीं है। बद-इन्तजामी की और हुक्म नहीं मानने आदि की शिकायत है।

श्री हंसराज जटिया—क्य उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—वहां से हटाने के बजाय उनकी जांच करना अच्छा समझा गया।

श्री हंसराज जाटिया—वहां के लोगों की मांग है कि सैक्रेटरी दूसरा आना चाहिये फिर भी उसको नहीं हटाने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अभी जिक्र किया कि उनकी जांच की जा रही है, उसके बाद हटाने के प्रश्न पर सोचा जायगा।

श्री भवानी सहाय—जो मेजरनामा उनके खिलाफ दिया गया है उसमें क्या क्या बातें दर्ज की गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैजर नामे की कोपी मेरे पास नहीं हैं। आम शिकायतें है जिन की जांच की जा रही हैं।

श्री भवानीसहाय—मंत्रीजी को जब यह पता नहीं है कि उस मेजरनामे में क्या क्या दर्ज किया गया है तो वे क्या जांच करायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसा गुप्ता—मैंने सवाल का जवाब दिया है कि जो भी आरोप उनके खिलाफ हैं उनकी जांच हो रही है।

श्री जसवन्तसिंह—जब आपको यह भी मालूम नहीं है कि क्या आरोप हैं तो क्या जांच होगी ?

श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने पहले अर्ज किया कि जांच हो रही है। यह मामला मेरे से पहले का है।

श्री खेतसिंह—उनकी बदइन्तजामी, हुक्म नहीं मानना आदि की शिकायत है ऐसा आपने अभी फरमाया था; तो क्या इसको आप संगीन नहीं मानते और अगर संगीन नहीं मानते तो फिर क्या जांच कराई जायगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ४००.

झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत केन्द्रों के नीचे के गांवों के पंचों की सीटों का बटवारा

श्री भीमसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान राज-पत्र १८.६.५४ में झुन्झुनू जिले की ग्राम पंचायत केन्द्रों के नीचे जो गांव दिये हैं उनमें पंचों की सीटों का बटवारा किस प्रकार हुआ है ?

(ख) प्रत्येक गांव व उसके वार्ड व पंचों का संख्या का पूरा विवरण बतावें ?

(ग) कृपया यह भी बतावें कि पंचायतों के केन्द्र किस आधार पर तय हुये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जहां तक हो सका है पंचायत क्षेत्र की जन संख्या के अनुपात से पंचों की सीटों का बटवारा किया गया है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ख) सूची राजपत्र तारीख १८.६.५४ में प्रकाशित हो चुकी है। इसमें वार्डों के बाबत कोई इत्तला नहीं है। कुल १५३४ वार्ड हैं और उनकी सूची बनवाई जारही है और तैयार होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) निम्नलिखित आधारों पर बनाये गये हैं :

१. जहां तक हो सके पंचायत क्षेत्र के मध्य में हो।

२. यातायात के साधन हों।

३. डाक की व्यवस्था हो, तथा

४. गांव बड़े हों।

श्री भीमसिंह—क्या यह सही है कि कुछ पंचायतों के सरकल १०,००० की आबादी के बनाये गये हैं और कुछ के केवल २००० की आबादी के बनाये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मैंने अर्ज किया कि ऐसी मेरी जानकारी नहीं है लेकिन आप बतायेंगे तो मैं जांच करूंगा।

श्री भीमसिंह—आपको बताने से क्या सर्किल दुरुस्त किये जा सकेंगे ? इतना ज्यादा अन्तर है कि दुरुस्त करने में काफी कठिनाई पड़ेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नियमानुसार कार्यवाही हो सकेगी ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अब किस प्रकार के नियम इस्तेमाल में आ सकते हैं जब कि चुनाव हो चुके हैं। क्या चुनाव रद्द होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह पंचायत एक्ट में देखने की बात है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह एक्ट देखने की बात नहीं है। आप कहते हैं कि चेन्ज की जा सकती है वह चेन्ज किस प्रकार से जा सकेगी जब कि चुनाव हो गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। बिना नियम के पंचायत को डिजोल्व करने की ताकत नहीं है।

Page No.5

कुं० श्री जसवन्त सिंह—ताकत नहीं है तो हम तो ताकत आपको नहीं दे सकते। अपने पांवों पर ही खड़ा होना पड़ेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—गलत बात हो गई है और मंत्रीजी को विश्वास दिला दिया गया है, कहीं १० हजार की आबादी पर पंचायतें कायम की गई हैं तो कहीं २ हजार की आबादी पर; तो इस पर आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं समझता हूँ जो कानून है उसके अनुसार पंचायतों के इलेक्शन के बाद रूल आउट करने का तरीका नहीं है। ऐसी पंचायतों के इलेक्शन हो गये हैं तो ऐसी सूरत में उनको डिज़ोल्व करनेकी ताकत गवर्नमेंट में नहीं है। आयन्दा चुनावों पर ही कुछ किया जा सकता है।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार ऐसा संशोधन लायेगी एक्ट में ताकि इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज़ ठीक की जा सकें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इरेगुलेरिटीज़ ध्यान में आने पर ही कुछ कहा जा सकता है ?

श्री श्रीदास गोयल—जिन सरकारी अधिकारियों की नेग्लीजेन्स से इस प्रकार का प्रोसेस रखा गया है कि कहीं १० हजार की आबादी पर पंचायतें कायम की गईं और कहीं २ हजार पर, तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी इन्सटान्स ध्यान में आने पर जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री देवीसिंह—क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि उदयपुर तहसील, डि. झुंझुनू में जहां ७००० की एवरेज ली गई है वहां झुंझुनू और डिवा तहसीलों में ३००० की एवरेज पर पंचायतें कायम की गई हैं; क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात मेरे ध्यान में नहीं है लेकिन मैं इसकी जांच करूंगा, विशेषतः संख्या वगैरह के डिटेल्स मंगाकर।

श्री हरिसिंह—क्या यह सही है कि बहुत सी जगह पंचायतों की मांग थी वहां सरकार ने नहीं रखी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा प्रश्न सामने आया है कि कुछ जगह रह गईं, उनको शामिल करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री भीमसिंह—क्या जहां पर केन्द्र पंचायतों के रखे गये हैं वे आबादी और सेन्टर के हिसाब से रखे गये हैं ? जैसे अडानी सर्कल के बीच में होते हुए और २०६७ की आबादी होते हुए भी पहले केन्द्र रखा गया था उसके बजाय हमीरी ६२१ की आबादी का होने पर और सेन्टर में नहीं होने पर भी वहां केन्द्र रखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां पर कुछ और असुविधाएं होंगी वरना आबादी का ख्याल और सेन्टर का खयाल तो रखा जाता है।

श्री भोपालसिंह—कल आपने मेरे सवाल के जवाब में यह फरमाया था कि आबादी का ख्याल नहीं रखा जाता है और आज आप उसके विपरीत बात बता रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्या फरमाया आपने ?

श्री तनसिंह—कल आपके प्रश्न पर यह कहा गया था कि आबादी के आधार पर सेन्टर्स कायम नहीं होंगे और आज बताया यह जा रहा है कि आबादी के आधार पर सेन्टर्स कायम किये जा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह समझने की बात है। मैंने जो जवाब दिया था उसको ठीक नहीं समझा गया। मैंने कहा था कि जो स्थान पंचायत क्षेत्र के मध्य में है, जहां यातायात के साधन हों, डाक की व्यवस्था हो और गांव बड़ा हो वहां पंचायत कायम की जाती है।

श्री भीमसिंह—आपने (ख) के उत्तर में फरमाया था कि वार्डों की लिस्ट बनाई जा रही है और शीघ्र दी जायगी। इस 'शीघ्र' से क्या मतलब है ? क्या १५ दिन में मिल जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लिस्ट तैयार हो रही है। तैयार होने पर मिल जायगी।

श्री भीमसिंह—कुछ अन्दाज तो बतायेंगे कि कब तक तैयार हो जायगी; महीने में या दो महीने में, कब तैयार हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जल्दी से जल्दी हो जायगी।

श्री भीमसिंह—अभी एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि जो कुछ गांव रह गये हैं और शामिल नहीं हुए हैं उनके बारे में क्या होगा तो मंत्रीजी ने फरमाया था कि इसकी कार्यवाही करेंगे। तो कृपया यह बतलावें कि वह कार्यवाही अगले चुनाव पर होगी या पहले होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी कार्यवाही जारी है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो इस सर्किल का सब चुनाव दुबारा होगा या इसी गांव को पंचायत में शामिल किया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसी का चुनाव होगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पंचों के नम्बर का क्या होगा, क्या उनका नम्बर घटाया जायगा ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया न कि जैसा नियम है उसके अनुसार किया जायगा। अब आप ही मदद कीजिये कि क्या किया जाय ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं तो मदद नहीं कर सकता, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखता।

श्री रामकिशोर व्यास—सड़क पर तो रास्ता साफ दिखता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो गांव नहीं आ सके हैं, उनको शामिल किया जायगा।

श्री जवानसिंह—जो गांव छोड़ दिये थे, उनके बारे में नियमानुसार क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—'छोड़ना' नहीं मानते।

श्री जवानसिंह—जो गलती से रह गये थे उनको तहसील पंचायतों में राय देने अधिकार होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तहसील पंचायतों में उनको अधिकार देने का अधिकार नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी—तो जो गांव छूटे हैं, उनकी जांच होने के पहले तहसील पंचायतों के चुनाव होंगे या बाद में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अभी अर्ज किया कि जितने पंचायतों के चुनाव बाकी हैं, उनमें से कोई बाकी नहीं रखा जायगा।

श्री भीमसिंह—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी आपने फरमाया कि पंचायत्तों के चुनाव में कोई रद्दोबदल नहीं हो सकेगी तो तहसीलों में दो-दो हजार, तीन-तीन हजार का एवरेज रहा है तो क्या इन इरेगुलेरिटीज़ पर सरकार कुछ भी विचार नहीं करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया न कि हर प्रकार से विचार करने को तैयार हैं, नियमों के अनुसार।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—क्या ये नियम झुंझुनू जिले में भी लागू होते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये नियम सारे राजस्थान के लिये विधान सभा ने बनाये हैं।

श्री भैंरूसिंह—तो झुंझुनू जिले में इस प्रकार की अनियमितताएं बरती गई हैं कि वार्डों में ५००, तीन-तीन सौ, और छः-छः सौ का डिफरेंस रखा गया है; तो क्या सरकार इन सबकी जांच कराने के बाद पंचायतों के चुनाव करायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक तरफ तो यह शिकायत थी कि तहसील पंचायतों के चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं, तो इसके लिये बाकी चुनावों को कराने के लिये जनरल ऑर्डर दे दिया गया कि कोई चुनाव बाकी न रहे।

श्री भैंरूसिंह—मैंने तो प्रश्न और पूछा और आपने उत्तर दूसरा दे दिया। मेरा प्रश्न यह है कि झुंझुनू में इस प्रकार की अनियमितता बरती गई, उनकी जांच कराने के बाद तहसील पंचायतों के चुनाव कराये जायेंगे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे ध्यान में उन अनियमितताओं के आने के बाद जांच करवाऊंगा, इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री देवीसिंह—जिस वक्त पंचायत एक्ट बन रहा था उस समय मैंने संशोधन रखा था कि वार्डों की आबादी निर्धारित कर दी जाय। इस पर सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि ज्यादा अन्तर नहीं रहेगा। क्या माननीय मंत्री महोदय को यह आश्वासन स्मरण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है, यह मेरे ध्यान में नहीं है क्योंकि मैं उस समय इस विभाग का इन्चार्ज नहीं था। जहां तक हो सका इसकी पाबन्दी करने की कोशिश की गई, आप अब फरमा रहे हैं तो जांच की जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०१

पंचायत केंद्रों में हेर फेर न करने सम्बंधी विधान सभा में शासकीय आश्वासन

श्री भीमसिंह—क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान धारा सभा में सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि पंचायतों के केन्द्रों के बारे में कोई हेर फेर नहीं होगा ?

[श्री भीमसिंह]

(ख) यदि हां, तो १८.६.५४ में प्रकाशित पंचायत केन्द्रों में २८ मई, १९५५ के राजपत्र द्वारा कुछ पंचायतों के केन्द्रों को क्यों और किस आधार पर बदला गया ?

(ग) क्या यह सच है कि किशोरपुरा ग्राम पंचायत में चक कैरपुरा के दो मेम्बर चुने गये हैं जब कि इस चक के नाम की जमीन में एक परिवार भी नहीं रहता है ?

(घ) क्या यह सच है कि पोद्दार कॉलेज, नवलगढ़ को म्युनिसिपल एरिया से हटा कर किसी पंचायत एरिया में रखा गया है ?

(ङ) अजाडी भारू और अरडावता पंचायतों के चुनाव क्यों स्थगित किये गये थे ?

(च) उपरोक्त पंचायतों के दो वार्डों में क्यों रद्दोबदल किया जा रहा है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) इस प्रकार का कोई आश्वासन देना सरकार के ध्यान में नहीं हैं।

(ख) झुन्झुनू जिले में कुल ११६ पंचायते हैं जिनमें से केवल ११ पंचायतों के केन्द्र पहले उपयुक्त न होने से बदले गये।

तहसील झुन्झुनू

(१) मालसर के बजाए पातूसरी बदला गया क्योंकि पातूसरी बदलनवा क्षेत्र के सब गावों के बीच में पड़ती है और यातायात का साधन भी मालसर से अच्छा है। यहां से केवल १ मील के फासले पर ही बस स्टेन्ड है। पढ़े लिखे व्यक्ति काफी हैं और स्कूल-औषधालय की सुविधा है।

(२) शेखसर के बजाय भारू बदला गया क्योंकि शेखसर की जनसंख्या ५५६ होकर पंचायत क्षेत्र के कोने पर स्थित है। भारू की जनसंख्या ६०२ है व क्षेत्र के बीच में है। भारू बस स्टेन्ड से केवल १ मील रहता है जब कि शेखसर ५ मील पड़ता है।

(३) श्यामपुरा के बजाय दिलाई बदला गया क्योंकि दिलाई की जनसंख्या ५६३ होकर पंचायत क्षेत्र के गांवों के बीच में है जब कि श्यामपुरा की जनसंख्या ४८५ होकर क्षेत्र के कोने पर है।

(४) दुर्जनपुरा के बजाय अंगासर बदला गया क्योंकि अंगासर पंचायत क्षेत्र के बीच में है और संख्या ६३१ है, जब कि दुर्जनपुरा की जनसंख्या ३६१ है व क्षेत्र के कोने पर है।

Page No.10

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(५) बुढाणा के बजाय हमीरी बदला गया क्योंकि हमीरी पंचायत क्षेत्र के बीच में है और बस स्टेन्ड भी ४ फरलांग के फासले पर है। बुढाणा पंचायत क्षेत्र के बीच में न होकर यातायात के साधन से दूर है। हमीरी की जनसंख्या ६२१ व बुढाणा की २०६७ है।

(६) धन्दूरी के बजाय हरिपुरा बदला गया क्योंकि हरिपुरा पंचायत सरकल के बीच में पड़ता है। हरिपुरा की जनसंख्या ५५४ व धन्दूरी की ६७५ है।

तहसील खेतड़ी

(७) मुकाणा के बजाय लोयल पलटा गया क्योंकि लोयल पंचायत क्षेत्र के बीच में होकर स्कूल, औषधालय इत्यादि साधनों से सम्पन्न है। लोयल की जनसंख्या ६४६ व मुकाणा की ६३२ है।

(८) रायपुरा के बजाय ढाढोत बदला गया चूंकि ढाढोत की जनसंख्या ६५६ है व रायपुर की ८६८ है और ढाढोत में यातायात के साधन बस स्टेन्ड होने से अच्छे हैं।

(९) केड के बजाय माटीवाड़ पलटा गया चूंकि प्रथम तो माटीवाड़ पंचायत क्षेत्र के गावों के बीच में है। द्वितीय माटीवाड़ और उसके बास घीसणी की जनसंख्या ९०३ है जबकि केड की ८७१ है।

तहसील उदयपुर

(१०) रघुनाथपुरा के बजाय पोसाणा बदल गया क्योंकि प्रथम तो पोसाणा पंचायत क्षेत्र के बीच में है, द्वितीय यह गुढा मोटर स्टेन्ड से केवल २ मील के फासले पर है जबकि रघुनाथपुरा से मोटर स्टेन्ड ६ मील की दूरी पर है। पोसाणा की जनसंख्या ७२२ है व रघुनाथपुरा की १०२२ है।

तहसील चिड़ावा

(११) बुढाणिया के बजाय अलीपुर बदला गया क्योंकि अलीपुर पंचायत क्षेत्र के गावों के मध्य में है और यहां पर मिडिल स्कूल है। पढ़े-लिखे व्यक्ति काफी हैं जबकि बुढाणिया एक तरफ कोने में है। अलीपुर की जनसंख्या ८०० है जब कि बुढाणिया की ११०० के लगभग है।

(ग) जी नहीं, वार्ड चक केलपुरा अशुद्ध छपा; है वास्तव में केरपुर कला है जिसकी जनसंख्या ४९८ है। केरपुरा के दो पंच नहीं चुने गये क्योंकि जनता ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया।"

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(घ) पोद्दार कॉलेज नवलगढ़ को म्युनिसिपल एरिया से हटा कर किसी भी पंचायत एरिया में नहीं रक्खा गया।

(ङ) अजाडी मारू और अरडावता के पंचायतों के चुनाव स्थगित नहीं किये गये जो तिथि प्रथम बार निश्चित की गई उसी पर करवा दिये गये, अजाडी का २५-७-५५, मारू का २७-७-५५, और अरडावता का २६-७-५५। अलबत्ता वार्ड पूर्णतया न बनने से चुनाव ही देर से किये गये। अरडावता पंचायत के केवल दो वार्डों का चुनाव नहीं हो सका है।

(च) अरडावता पंचायत के दो वार्ड जो बनाये गये इससे जनता सन्तुष्ट नहीं थी। उनके represent करने पर जिलाधीश को लिखा गया है कि वे मुनासिब वार्ड बनवा दें जिससे कि चुनाव करवाया जा सके।

श्री भीमसिंह—जिन ऑफीसर्स ने इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटी की और बाद में जनता की दरख्वास्तों पर जांचकी गई और उन इर्रेगुलेरिटीज़ को ठीक किया गया तो क्या सरकार उन ऑफीसर्स के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो बोनाफाइड इन्टेन्शन को देख कर एक्शन लिया जाता है, इसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—जिन जिन पंचायतों के क्षेत्र बदले गये तो वे जनता के आवेदन पत्र पर बदले गये या सरकार ने स्वतः एवं अपनी ओर से बदले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा न कि जनता की ओर से आवेदन-पत्र आये, उस पर केन्द्र बदले गये।

श्री भीमसिंह—मारू पंचायत केन्द्र बदलने के बारे में भी क्या जनता की ओर से आवेदन पत्र आया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके बारे में भी जनता की ओर से आवेदन-पत्र आया था।

श्री भीमसिंह—क्या यह आपके ध्यान में है कि अरडावता के बारे में पहले श्री नारायण डी. पी. ओ. ने घर बांटे और फिर नरेन्द्र सिंह डी. पी. ओ. ने दुबारा घर बांटे, उस वख्त एक गांव के हिस्से में ५० घर और दूसरे हिस्से में २५ रखे और वह भी चूंदड़ी बंट की तरह रखे गये, एक घर यहां और दूसरा घर वहां; एक इस तरफ और दूसरा उस तरफ। क्या इस प्रकार की धांधली, इर्रेग्युलेरिटी सरकार के ध्यान में है, आपकी निगाह में है, अगर है तो क्या किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि मैं वार्डों की सूची तैयार करवा रहा हूं और अगर किसी ऑफीसर ने इर्रेगुलेरिटी की है तो अवश्य उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—जितने आवेदन पत्र सरकार के पास इस सम्बन्ध में आये क्या सरकार ने उनके सम्बन्ध में जांच कलेक्टरों द्वारा करवाई या पंचायत अधिकारियों के द्वारा करवाई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पंचायत अधिकारियों के द्वारा।

श्री भैरोंसिंह—क्या नियमानुसार जिले के कलेक्टर और एस. डी. एम. की राय ली जानी चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कलेक्टर को जाँच करने के लिये भेजे भी हैं पर आम तौर से ऐसा नहीं है, डिप्टी इन्स्पेक्टर जांच करता है।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चुनाव की तारीख निश्चित हो जाने के बाद केन्द्रों को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—प्रश्न (ख) के मुतल्लिक आपने यह फरमाया कि ऐसा आश्वासन दिया गया, याद नहीं पड़ता। क्या यह आपने सदन की प्रोसीडिंग्ज़ को देख कर कहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां। जो आश्वासन दिया है उसकी प्रति मेरे पास मौजूद है। उसमें श्री कानसिंहजी के प्रश्न में यह पूछे जाने पर कि क्या इस मामले में पब्लिक के एतराज लिये जायेंगे, कहा गया "नहीं, एतराज नहीं लिए जायेंगे"।

श्री भीमसिंह—आपने ख के उत्तर में यह फरमाया कि झुनझुनु जिले में ११६ पंचायतें हैं जिनमें से केवल ११ पंचायतों के केन्द्र पहले उपयुक्त न होने से बदले गये। वे केन्द्र में नहीं थे, उसमें आपने किसी की आबादी २००० और कहीं ६२१ होते हुए भी केन्द्र बनाया। ये सेन्टर में न होने से बदले; गये तो इसी आधार पर बाकी के क्यों नहीं बदले गये? ये ११ ही केन्द्र क्यों बदले गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि इसके लिए शिकायतें आई थीं और इसीलिये कार्यवाही की गई।

श्री भीमसिंह—क्या यह सही है कि इस तरह से वार्ड गजट में शाया होने के बाद नहीं बदले जावें ?

Page No.13

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव होने के बाद बदले जावेंगे।

श्री भीमसिंह—मगर यह तो गजट में आया होने के बाद बदले गये हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि एक पंचायत के आधे चुनाव होने के बाद वार्ड बदले गये?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास तो पूरे फेक्ट्स नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार यह नियम बनाएगी कि आधे चुनाव होने के बाद कोई केन्द्र नहीं बदला जावे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि अच्छा यह हो कि माननीय सदस्य को जो डिटेल्स मालूम हों वे माननीय मंत्री को दे दें और इस पर वे पूरी जानकारी हासिल कर लें।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं तो आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि आखिर उनके ध्यान में क्या है? उनके ध्यान में कुछ नहीं है। इसलिये अच्छा हो कि राजस्थान की सारी पंचायतों के बारे में बहस के लिये सदन में समय रखा जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास और जगहों की कोई शिकायतें नहीं हैं। मैं निश्चित रूप से अपने कॉन्स्टीट्यूएन्सी की कह सकता हूं कि वहां से भी कोई शिकायत नहीं है। इसलिए इसका राजस्थान विधान सभा में विचार किया जाए, इसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जिस क्षेत्र से वे आये हैं, उससे उनकी मन्शा क्या चुनाव क्षेत्र से है या केवल अलवर से है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अलवर से है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर उनका मतलब अलवर से है तो मैं कहूंगा कि बहुत शिकायतें हैं।

श्री भीमसिंह—माननीय मंत्री ने बताया कि कोई आश्वासन नहीं दिया। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इस सदन के ३१.५.५४ की प्रोसीडिंग्ज की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें माननीय मन्त्री ने श्री जवानसिंहजी के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि पंचायत क्षेत्रों का निर्माण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया गया है, व्यक्तिगत व दलगत मांगों के आधार पर नहीं। इसके बाद में भी यह सब क्यों किया जा रहा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—३१. ५. ५४ के प्रोसीडिंग्ज की प्रतिलिपि मेरे पास है। उसमें यह पूछा गया कि क्या इस मामले में पब्लिक के एतराज लिए जायेंगे ? उसका जवाब दिया कि, "नहीं एतराज नहीं लिए जायेंगे"।

श्री भीमसिंह—गवर्नमेंट ने अब एक बार निश्चित कर दिया तो इस तरह से पहले के वार्ड जिन ऑफिसरों द्वारा गलत बनाये गये उन इनएफिशियेन्ट ऑफिसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब पूरी जांच हो जावेगी तब इस पर कुछ कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेकस्ट। प्रश्न संख्या ४०२, श्री चांदमल मेहता।

(श्री चांदमल मेहता अनुपस्थित)

कुं श्री जसवन्त सिंह—यह प्रश्न बहुत जरूरी है, माननीय अध्यक्ष। अगर आज्ञा हो तो मैं पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष द्वारा आज्ञा प्रदान करने पर)

प्रश्न संख्या ४०२

किशनगढ़ के यज्ञनारायण होस्पिटल में कम्पाउन्डरों रहने के कमरों की छतें बनाना

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के यज्ञनारायण होस्पिटल में कम्पाउन्डरों के रहने के कमरों के छतें नहीं हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कमरों की दीवारें छतें नहीं होने की वजह से गिर रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) छतें अपूर्ण हैं।

(ख) संभव है ऐसा हो।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ग) विधान सभा में यह कहा गया था कि अर्थाभाव के कारण यह कार्य नहीं हो पाया है। इस कार्य को अगले वर्ष के बजट के प्रस्तावों में शामिल किया जा रहा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या राजस्थान सरकार ने नये डिज़ाइन के मकान इस तरह बनाने की व्यवस्था की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह पहले से ही चले आ रहे हैं।

श्री जसवन्तसिंह—अब क्या new ultra-modern roof-less houses के नये मकान बनाए जा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उनको सुधारने की कोशिश भी की जा रही है।

कु० श्री० जसवन्तसिंह—जैसा कि हम देखते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इसमें कम्पाउन्डर लोग रहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या सरकार इसका किराया भी वसूल करती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रहने के बारे में मुझे जानकारी नहीं तो इसके लिये कोई जानकारी का प्रश्न नहीं रहता।

श्री हरि कृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ये क्वार्टर्स सरकारी आज्ञा द्वारा कम्पाउन्डरों को रहने के लिए एलॉट किये गये थे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सन्तोष सिंह—क्या यह सरकार बतायेगी कि ये क्वार्टर्स बगैर छत के कितने समय से हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—ये बहुत दिनों से हैं।

श्री संतोष सिंह कछवाहा—एक वर्ष से हैं या दो वर्ष से हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री संतोष सिंह—जब बहुत दिनों से हैं तो सरकार के ध्यान में नहीं आया कि ये ठीक कराये जायें?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०३

पांच वर्ष पूर्व जुबली बार एण्ड रेस्टोरेन्ट, जू विभाग, रामनिवास बाग, का ठेका

श्री भैरोंसिंह—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि लगभग ५ वर्ष पूर्व जुबली बार एन्ड रेस्टोरेन्ट, जू विभाग, रामनिवास बाग, का ठेका जयपुर के श्री रामगुलाम राधेश्याम को दिया गया था?

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को व कितने समय के लिये दिया गया था और उसकी क्या २ शर्तें थीं?

(ग) क्या सरकार उस शरायतनामें की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी?

(घ) क्या यह सही है कि श्री रामगुलाम ने निर्धारित समय से अधिक समय तक रेस्टोरेन्ट पर कब्जा रखा? यदि हां, तो कितने दिन तक और सरकार ने उसे खाली कराने के लिये क्या क्या कार्यवाही की?

(ङ) क्या यह सही है कि इस अर्से में रेस्टोरेन्ट की इमारत का काफी नुक्सान किया गया?

(च) क्या यह सही है कि इस ही ठेके के फलस्वरूप श्री रामगुलाम को ६०००) रु० सरकार द्वारा दिये गये और अब ७०००) रु० और दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्यों

(छ) क्या यह सही है कि श्री रामगुलाम से ठेके के समय के पानी व बिजली के खर्चे के रुपये वसूल नहीं किये गये? यदि नहीं, तो क्यों और यह कुल रकम कितनी है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) जी हां।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ख) तारीख ४.४.४६ से ५.४.५४ तक पांच वर्ष के लिये।

(ग) इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(घ) जी हां, लगभग एक मास तक। मकान रिक्त करने के लिये ठेकेदार को कई बार कहा गया।

(ङ) जी नहीं।

(च) ५६३७ रूपया तीन आना समझौता स्वरूप दिये गये थे। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी नहीं। इस ठेके के समय के बिजली के खर्चे के ७५६ रूपये वसूल हुए हैं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस शरायतनामे की कोपी मुझे नहीं मिली है। मैं नोटिस ऑफिस में भी जाकर आया था, मगर वह कॉपी मुझे नहीं मिली।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने तो दफ्तर से एसर्टेन कर लिया था और पता लगाया था कि ३ कॉपीज़ भेज दी गई हैं। I have ascertained last evening that three copies have been sent.

श्री भैंरूसिंह—मुझे नहीं मिली। मै तो नोटिस ऑफिस में भी गया था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं उसको यहां पढ़ देता हूं।

कु० श्री जसवन्त सिंह—प्रश्न पढ़ाने का नहीं है। कायदे के माफिक क्यों नहीं भेजी गयी यह प्रश्न है?

बृजसुन्दर शर्मा—मैंने दफतर से एसर्टेन कर लिया था। हो सकता है, रास्ता में कहीं रुक गये हों।

कु० श्री जसवन्त सिंह—यहां पहुंचने के बीच में किसी डिपार्टमेंट में रुक जाते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष—आन्सर की ५ कोपीज़ भेजते हैं। 5 copies are needed for this office and if extra copies are to be sent an indication should be given that such and such copies are to be given to the Members.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शरायतनामा है उसकी तीन कॉपी भेजी हैं।

श्री भैंरूसिंह—यह प्रश्न कल ले लिया जाय। सरकार के ७ हजार रुपयों का मामला है।

श्री अध्यक्ष—रख दीजिये आप।

(विराम)

इसकी कॉपी आपको मिल जायगी और क्वेश्चन्स जो टेबल करने हों वे टेबल कर दीजिये। (वित्त मन्त्री की ओर इशारा करते हुए) कॉपी दे दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I will satisfy the Hon'ble Member

हंसी

श्री जसवन्त सिंह—It is too big a promise.

श्री भैंरोंसिंह—मुझे सेटिस्फेक्शन होने का सवाल नहीं है, सदन को सेटिस्फेक्शन होने का सवाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सप्लीमेंटरीज़ कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन हो जायगा।

श्री संतोष सिंह कछवाहा—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस वक्त रेस्टोरेन्ट किसके ठेके में है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अब का प्रश्न नहीं है। पहले का प्रश्न है।

श्री भैंरूं सिंह—क्या यह सही है कि जिस वक्त रेस्टोरेन्ट को खाली करने का नोटिस दिया गया था तो उसके तीन महीने बाद खाली किया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एक महीने बाद खाली किया गया।

श्री भैंरूं सिंह—क्या यह सही है कि उससे एक महीने का किराया नहीं लिया गया ?

Page No.19

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो सारा समझौता हुआ उसमें यह शामिल है।

श्री भैरूंसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि किराया लिया या नहीं लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह समझौता पांच हजार रुपये में हुआ और यह सारी चीज उसमें शामिल है। मैं निवेदन करूं कि यह बिल्डिंग ठेकेदार ने नई बनाई थी और यह शर्त रखी थी कि जितने रहेगा, बिल्डिंग में खर्चा किया है उसके एवजाने में पांच साल तक रहेगा। उसके बाद शिकायत खिलाफ-फर्जी शरायतनामा करता रहे और सरकार को १७,०००) रुपयों का नोटिस दिया। सरकार ने पांच हजार रुपयों में फैसला किया, उसने पांच कमरे और बनाये हैं, उसके लिए दो तीन हजार रुपये का और क्लेम किया; आखिर सब पांच हजार रुपयों में फैसला किया।

श्री भैरूंसिंह—उस शरायतनामे में कहीं जिक्र नहीं था कि पांच साल में मकान में एडीशन्स-ऑल्टरेशन्स कराये तो उसके एवज में सरकार को कुछ देना पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस ठेके की मयाद तारीख मन्जूरी महक्मे, महकमा मजाज से आ जाने पर उसी तारीख से पांच साल की होगी और उन पांच सालों में किसी भी वक्त ठेकेदार से होटल सरकार जप्त नहीं कर सकेगी और बाद पांच साल यानि ठेके की मयाद खत्म बाद इस रेस्टोरेन्ट पर ठेकेदार का कोई हक नहीं रहेगा और इस इमारत को मरजी माफिक काम में लेने का हकदार होगा और राज्य इस इमारत को मरजी माफिक काम में लेने का हकदार होगा।

श्री भैरूंसिंह—एक महिने के लिए ज्यादा उसके पास रह गया तो उसके लिए क्या किराया लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—१७ हजार के बजाय पांच हजार में फैसला करने में शामिल है।

श्री हरि कृष्ण व्यास—उसका सत्रह हजार का क्लेम था, लेकिन प्रश्न यह है कि ठेके की अवधि पूरी हो गई उसको उसके बाद एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं थी; तो फिर वह पांच हजार भी किस आधार पर दिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पांच हजार का आधार था उसके क्लेम को मानते हुए और मोरेली सरकार बाउन्ड थी। जब फैसला हुआ तो उसने एकदम खाली करा लिया और उसने रुपये लिये और इमारत छोड़ दी।

श्री हरि कृष्ण व्यास—क्या शरायतनाने की खिलाफवर्जी करने पर भी क्लेम्स सरकार के पास आये थे ? शरायत नामे में क्लेम्स का जिक्र नहीं है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा—पांच साल पहले का शरायतनामा था, बाद में खिलाफवर्जी की।

श्री हरि कृष्ण व्यास—जब शरायत नामे में जिक्र नहीं था तो सरकार के लिए मोरल क्लेम्स कौन से थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शरायतनामे में कुछ शरायतें ऐसी थीं जिनकी पाबन्दी करना लाजमी थी, उनकी पाबन्दी नहीं हो सकी इसलिए फैसला कराया गया।

श्री भैरोंसिंह—कौन २ सी पाबन्दी थीं जो नहीं करायी जा सकीं और इसका जिम्मेदार कौन था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, इसका कोई रिप्लाई दिया जाय, क्योंकि कोई मुकदमाबाजी शुरू हो सकती है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट का सवाल है कि पांच हजार रुपया शरायतनामे में नहीं होते हुए दिये और छः हजार रुपये और दिये जाने की तजवीज है; इसलिए माननीय मंत्रीजी इसका सदन में उत्तर दें और जो सप्लीमेन्टरीज पूछे जांय उनसे माननीय सदस्यों को सेटिस्फाई किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करूंगा कि मुझे पूरा शरायतनामा फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—I think a copy of the Sharayat Nama should be given to the Hon'ble Member and if he desires, another question may be tabled.

श्री हरिकृष्ण व्यास—शरायतनामा ही नहीं, कॉन्ट्रेक्टर के साथ रिलेशन्स एन्ड लिंक्स का एक स्टेटमेन्ट हो जाय तो यह सारा मामला ही साफ हो जाय।

(घन्टी)

श्री भैरोंसिंह—बिजली पानी का खर्चा भी क्या पांच हजार की रकम में से बाद दिया गया या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—७५६ रुपये काटे गये।

श्री भैरोंसिंह—क्या ये बाद में काटे गये ?

श्री बृजसुंदर शर्मा—पांच हजार रुपये दिये गये उसमें से ७५६ काट लिये गये।

श्री भैरोंसिंह—क्या बिजली और पानी का खर्चा माहवारी न लिया जाकर एक साथ लिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मीटर नहीं लगा हुआ था और केल्कुलेशन करके ७५६) रुपये बनते थे, काटे गये ?

श्री भैरोंसिंह—सरकार के कब यह बात ध्यान में आई कि मीटर नहीं लगा हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मैं नहीं कह सकता। इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार के ध्यान में था कि उस जगह मीटर लगाया हुआ है और उस हिसाब से ७५६ रुपये तय किये गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—एवरेज के हिसाब से तय किया गया।

श्री भैंरूसिंह—किस चीज़ के एवरेज को आधार माना गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कन्जंपशन जितना होता था, हमारी जितनी लाइट्स थीं और उसकी जितनी थीं, उसका एक मीटर था कोमन, उसका प्रपोर्शन निकाल कर काटा गया।

श्री भैरोंसिंह—ठेका खत्म होने के बाद में या उसके पहले ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—डिसिजन लेते वक्त।

श्री भैंरूसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि ठेका वापिस लेने के वक्त बनाया गया था या पहले ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मकान खाली किया और जब रीडिंग वगैरह देखकर जो प्रोपोर्शन निकला उस हिसाब से वसूल किया।

श्री खेलसिंह—क्या यह सही है कि ३.१०.५५ को जब कि उन्होंने यह प्रश्न भेजा माननीय सदस्य इस रेस्टोरेन्ट में गये थे और उनकी खातिरतवज्जोह नहीं की गई ?

(हंसी)

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि कॉमन मीटर होने के बावजूद भी पांच साल में बिजली पानी का खर्चा नहीं वसूल किया गया और उसके लिए कौन जिम्मेदार था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सालाना निकाला गया और वसूल किया गया ।

श्री भैंरूसिंह—जब सालाना निकाला लिया गया तो फिर वसूल भी सालाना क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—शरायतनामा की कॉपी लेकर फिर पूछिये ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कन्जम्पशन चार्जेज़ तो सालाना वसूल किये नहीं ।

श्री खेतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैं प्रश्नकर्ता के साथ उस रोज़ था ।

(हंसी)

श्री भैंरूसिंह—मेरा तो स्वागत नहीं किया ।

(विराम)

जब सालाना उस मीटर के अनुसार वसूल किया गया तो सालाना ही उसको वसूल क्यों नहीं किया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ठेकेदार के क्लेम्स का फैसला नहीं हो सका । वही जिम्मेदार है क्योंकि उसी के कारण वह बिजली-पानी का पैसा नहीं दे रहा था ।

श्री भैंरूसिंह—किस आधार पर बिजली पानी के खर्चे के वसूल करने के सरकार ने आॅर्डर्स दिये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आॅर्डर्स का सवाल नहीं, पैसा नहीं देता तो मुकदमाबाजी करके वसूल करते ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि बिजली पानी के खर्चे का मुकदमा पी. डी. आर. के अन्दर करने के पहले करेन्ट काट देते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी के ध्यान में है कि एकाएक केस पी. डी. आर. के मार्फत किये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कॉमन मीटर सरकार का था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कॉमन मीटर हो या न हो। प्रश्न यह है कि क्लेम्स चार साल बाद पेश किये ; तो चार साल की बकाया क्यों नहीं वसूल की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने अर्ज किया कि चार साल तक इसलिए वसूल नहीं किया कि कॉमन मीटर था, उसने क्लेम्स रख दिये। १७ हजार का क्लेम था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बकाया के ड्यू होने के कितने साल बाद किया, यह प्रश्न है ?

श्री बृजसुंदर शर्मा—यह मामला सन् १९५२ से चल रहा था।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४०५

सवाई मानसिंह अस्पताल (जयपुर) के लिये विजिटर्स की नियुक्ति

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल के लिये विजीटर्स नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें सरकार की ओर से इसकी सूचना दी गई है ?

(ग) विजीटर्स के क्या क्या कर्तव्य हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) उन महानुभावों के नाम राजस्थान पत्रिका नं. ७. ता. ९ अप्रेल, १९५५ में प्रकाशित कर दिये गये हैं। डाइरेक्टर को यह भी आदेश दिया गया है कि सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दें।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ग) उनका कर्तव्य सरकार को समय २ पर अस्पतालों की सुव्यवस्था के संबन्ध में सुझाव देना है ।

प्रश्न संख्या ४०६

तहसील पदमपुर के कुछ चकों को पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित करना

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे –

(क) चक १४ बी. बी., १९ बी. बी., १७ बी. बी., १६ बी. बी., २ आर. बी. बी., ७ एन. एन., ९ ट. एन. एन., ४ ई. ई. ए., २० बी. बी. बी., २० बी. बी. सी., ६७ एल. एन. पी. तहसील पदमपुर किस किस पंचायत क्षेत्र में है ?

(ख) यदि ये गांव किसी पंचायत क्षेत्र में शामिल नहीं हैं तो सरकार इनको किस किस पंचायत क्षेत्र में शामिल करने का प्रयत्न कर रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—

क.	नाम चक	नाम पंचायत	रिमार्क
१.	१४ बी. बी.	५ के. के.	गजट में १४ बी. बी. ए. तथा १४बी. बी. के. अशुद्ध छपा है ।
२.	१९ बी. बी.	३ ई. ई.	गजट में इसके बजाय १९ आर. बी. अशुद्ध छप गया है ।
३.	९ एन. एन.	८ एन. एन.	इसके बजाय ९ एन. एल. ए. तथा ९ एन. एन. बी. अशुद्ध छपा है ।
४.	४ ई. ई. ए.	घुमड़वाली	

अशुद्धियों की दुरस्ती कराई जा रही है । चक १७ बी. बी. २ आर. बी; ७ एन. एन. तथा ६७ एल. एन. पी. अभी किसी पंचायत क्षेत्र में नहीं हैं । तथा २० बी. बी. सी. नाम के कोई चक तहसील पदमपुरा में होना नहीं पाया गया ।

ख. उपरोक्त ५ चक जो किसी पंचायत क्षेत्र में शामिल नहीं हैं उनके लिये अति शीघ्र वहां की जनता की राय लेकर उन्हें पास की पंचायतों में सम्मिलित कर दिया जावेगा ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह कब तक हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--यह शीघ्र हो जायगा।

प्रश्न संख्या ४०७

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता (प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ४०८

राजस्थान के वर्तमान डाइरेक्टर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, की नियुक्ति के पश्चात् डाक्टरों के स्थानान्तरण

श्री भैरोंसिंह—क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे-

(क) राजस्थान के वर्तमान डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज़ की इस पद पर नियुक्ति के बाद अब तक कितने डाक्टरों के स्थानान्तरण किये गये!

(ख) कितने डाक्टरों के एक बार, कितनों के दो बार, कितनों के तीन बार और कितनों के चार बार और उससे अधिक स्थानान्तरण किये गये ?

(ग) जिन डाक्टरों के स्थानान्तरण किये गये उनमें १० डाक्टरों के नाम बताये जावें जिनका सबसे कम समय के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया गया और प्रत्येक को कितने कितने समय के बाद ?

(घ) डाक्टरों के स्थानान्तरण के विषय में सरकार के क्या नियम हैं ? कृपया उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ?

(ङ) स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमों का पालन किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क)२२५.

(ख) १६२ के एक बार, ४३ के दो बार, १४ के तीन बार व ६ के चार बार स्थानान्तरण हुए।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) डाक्टरों के स्थानान्तरण के विषय में सरकार के कोई विशेष नियम नहीं हैं सिवाय इसके कि नये स्नातकों को अन्य योग्य डाक्टरों की निगरानी में २ वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जावे।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह—जिन डॉक्टर्स की शिकायत के कारण ट्रान्सफर किया गया, क्या उनके ट्रान्सफर में इस बात का उल्लेख किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, उल्लेख नहीं किया जाता ।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि जिन डाक्टरों को शिकायत के कारण तब्दील किया गया है, उनकी जांच अभी हो रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी जांच तो होती रहती है, लेकिन सरकार ट्रान्सफर कर देती है ।

श्री भैरोंसिंह—क्या उनके जांच-कागजों में यह उल्लेख रहता है कि जिस स्थान से उनके बारे में शिकायतें आई हैं उस स्थान से उनका ट्रान्सफर कर दिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह—जिन डाक्टरों के खिलाफ शिकायतें होती हैं क्या उनको अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ट्रान्सफर किसी का करना यह कोई सजा नहीं होती है । उसके बाद जो कुछ भी कार्यवाही आवश्यक होती है जांच के सम्बन्ध में की जाती है ।

श्री भैरोंसिंह—सीरियस कम्पलेन्ट भी गलत हो सकती है ? क्या सीरियस कम्पलेन्ट की जांच करने से पूर्व ही ट्रान्सफर कर दिया जाता है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—किसी केस में पहले हो जाती है और किसी केस में बाद में भी हो सकती है, लेकिन ट्रान्सफर कोई पनिशमेन्ट नहीं है ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—इसी प्रकार का एक सवाल कुछ रोज पूर्व पूछा था उस समय माननीय मंत्रीजी ने फरमाया, जानकारी है नहीं आज उनके पास जानकारी है, क्या वे उस जानकारी के आधार पर यह फरमायेंगे कि क्या यह सही है कि मर्दाने अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स का और जनाने अस्पताल में मेल डॉक्टर्स का ट्रान्सफर हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह—डा० मंगतराम जिसकी एक साल में चार बार ट्रान्सफर हुई, क्या उनकी शिकायतों पर जांच हो चुकी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी जांच कराई जा रही है ।

कु० श्री जसवंतसिंह—क्या इस प्रकार के ट्रान्सफर्स जिसमें जनाने अस्पताल में मेल डाक्टर्स का और मर्दाने अस्पताल में लेडी डाक्टर्स का हुआ है उसके बारे में यदि माननीय मंत्रीजी को बताया जाय तो क्या वे उसके लिये कार्यवाही करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात मेरे ध्यान में नहीं थी, ध्यान में लाने पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री तेजमल बापना—हमारे भीलवाड़ा में मेटरनिटी होम में डा० गुप्ता को भेजा गया है, वहां की लेडी डाक्टर के स्थान पर ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरे ध्यान में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह—जिन डाक्टरों के खिलाफ शिकायतें होती हैं, क्या उनको कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ये ये शिकायतें हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कम्पलेन्ट की रिपोर्ट होती है तो उनको सूचना दी जाती है ।

श्री भैरोंसिंह—क्या उनको डिफेन्स का मौका दिया जाता है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अपने जवाब में कहा कि ट्रान्सफर इज़ नो पनिश्मेन्ट; ट्रान्सफर तो बिना कम्पलेंट के भी हो सकता है, इसलिये मौका देने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिनका ट्रान्सफर शिकायत के आधार पर किया जाता है, तो क्या उसे पनिशमेंट नहीं समझा जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—देट इज़ नॉट पनिशमेन्ट; इसके लिये तो कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं । पनिश्मेन्ट क्या चीज है ?

श्री भैरोंसिंह—किसी किसी डाक्टर की चार चार बार शिकायतें आई हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह डाक्टरों का तबादला करते रहते हैं तो उनको क्या पनिश्मेन्ट दिया जाता है ?

Page No.28

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा ऐसी शिकायतों के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रकार फ्रिक्वेन्ट ट्रान्सफर्स क्यों होते रहते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले इसलिये ट्रान्सफर्स कर देते हैं कि बाद में जांच में सहूलियत हो।

श्री भैरोंसिंह—जिन जिन डाक्टरों का तबादला किया गया, तो क्या यह मान कर किया गया कि उनके खिलाफ जो शिकायतें आई थीं वे सच थी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कब कहा सही थी; जांच हो रही है। आम तौर पर ऐसा होता है कि लोग आम शिकायतें करते रहते हैं उनके ऊपर ट्रान्सफर हो जाता है और बाद में जांच करवाते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार के ट्रान्सफर्स में इससे सम्बन्धित विभाग के सेक्रेटरी आदि से राय नहीं ली जाती?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह साफ नहीं हुआ कि किन किन डाक्टर्स का चार चार बार तबादला हुआ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने इस सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रख दी है।

श्री टीकाराम पालीवाल—डाक्टरों के खिलाफ शिकायतें थी या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सदन की मेज पर सूची रख दी है, उसमें वजह बतला दी गई है कि किस किसवजह से ट्रान्सफर हुए हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ट्रान्सफर कोई पनिश्मेन्ट नहीं है; ट्रान्सफर और पनिश्मेन्ट दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने इस सम्बन्धी सूची सदन के मेज पर रख दी है, माननीय अध्यक्ष आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं। किन किन डाक्टरों के किस किस तरह से ट्रान्सफर हुए उनकी कम्पलीट जांच करवाई जा रही है। ट्रान्सफर कोई पनिशमेन्ट हो, ऐसी बात नहीं। ट्रान्सफर केवल इसलिये किया जाता है कि उस शिकायत की जांच करने का कम्पलीट मौका मिल सके।

श्री टीकाराम पालीवाल—पहली शिकायत पर दूसरी जगह ट्रान्सफर किया दूसरी शिकायत आई तो तीसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया। इस प्रकार लोगों के चार चार बार ट्रान्सफर्स किये गये। ज्यों ज्यों शिकायतें इकठ्ठी होती गई सिरीज़ ऑफ ट्रान्सफर्स होते गये क्या?

Page No.29

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप किसी पर्टिक्युलर इन्सटान्स की बात करेंगे तो बता सकूंगा।

श्री भैंरूसिंह—डाक्टर मंगलराम का जून, ५४ में भरतपुर से ट्रांसफर किया गया और इसके बाद शिकायत आने पर तीन ट्रांसफर उसके और किये गए ; तो क्या सरकार ने उसकी पहली शिकायत पर जांच पूरी कर ली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरे पास जानकारी नहीं है। आप अलग से सवाल करेंगे तो उत्तर दे सकूंगा।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या शिकायत पर ट्रान्सफर करने से पहले सरकार यह उचित नहीं समझती है कि शिकायत प्राइमाफेसी ठीक है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आम तौर से जो कम्पलेन्ट करने आते हैं उनसे पता करके और उनसे ही छानबीन करके यह ट्रांसफर कर देते हैं और यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये ट्रांसफर कोई पनिश्मेंट नहीं हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—तो क्या गलत शिकायत पर भी ट्रान्सफर कर लेते हैं यह आपका खयाल है ?

(घंटी)

श्री भैंरूसिंह—(१६) इनमें टेलीफोन द्वारा कितने ट्रांसफर हुये हैं ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज़ ! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०६

डीडवाना सब डिविजन के पंचायत क्षेत्र भिंडासरी रणसीसर इत्यादि चुनाव क्षेत्रों के बार बार चुनाव होना

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डीडवाना सब डिविजन के पंचायत क्षेत्र भिंडासरी, रणसीसर, सुदराशन, पीडवा, गेहु, कोलीया, सूपका, पायली आदि चुनाव क्षेत्रों के बार बार चुनाव होने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या इन पंचायत क्षेत्रों के चुनाव बार बार कैन्सिल करने का कारण किसी जाति विशेष के सरपंच को न चुना जाना है ?

[श्री भोपालसिंह]

(ग) क्या यह ही है कि कलेक्टर नागौर को इस विषय में गलत रिपोर्ट दी गई थी जिसमें पंचायत ऑफिसर का हाथ था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) रणसीसर व पीडवा का चुनाव एक ही बार में सम्पन्न हुआ, निर्वाचन स्थगित नहीं हुए। कुदराशन में पंचायत केन्द्र ही नहीं है। भिंडासरी, रोड़ू कोल्या, सूपका, पायली में अवश्य निर्वाचनाधिकारी तहसीलदार डीडवाना व लाडनू द्वारा निर्वाचन स्थगित हुये, जिनके कारण निम्न हैं :

	दिनांक चुनाव	
१. भिंडासरी	२१.३.५५	सरपंच व उपसरपंच का चुनाव शान्ति भंग होने की सम्भावना से स्थगित हुआ।
	२६.५.५५	चुनाव के समय जल वहां आस पास उपलब्ध न होने से विशेष परिस्थिति के कारण स्थगित हुआ।
	२३.६.५५	शान्ति भंग होने की संभावना से स्थगित हुआ।
	१६.७.५५	अमन कायम रखने के पूरे साधन जुटाकर सरपंच व उपसरपंच का चुनाव सम्पन्न कराया गया।
२. रोड़ू	३.४.५५	शान्ति भंग होने की सम्भावना से स्थगित हुआ।
	७.६.५५	जिले भर की पंचायतों का शिक्षित शिविर होने से स्थगित।
	२८.६.५५	शान्ति भंग होने की संभावना से स्थगित।
	१०.८.५५	चुनाव सम्पन्न हुआ।
३. कोलिया	३०.३.५५	केवल २ वार्ड का चुनाव होने के पश्चात् शान्ति भंग होने से चुनाव स्थगित करना पड़ा और २ वार्ड का चुनाव-परिणाम स्थगित न किया जा सका।
	१६.७.५५	पूरा चुनाव समुचित पुलिस व्यवस्था एवं एस. डी. एम. की उपस्थिति में पूर्ण हुआ।
४. सूपका	२५.३.५५	पंचों का चुनाव हो गया, किन्तु सरपंच का चुनाव शान्ति भंग की संभावना से अपूर्ण रहा। सरपंच के पुनः चुनाव की व्यवस्था हेतु कलेक्टर को लिखा है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

५. पायली	२.४.५५	शान्ति भंग होने की संभावना से स्थगित हुआ।
	२६.५.५५	,, ,, ,,
	१.६.५५	चुनाव सम्पन्न हुआ।

ख. जी नहीं।

ग. जी नहीं।

श्री भोपाल सिंह—भिंडासरी चुनाव अधिकारी कौन थे और क्या शान्ति भंग हुई यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जवाब दिया कि शान्ति भंग हुई।

श्री भोपाल सिंह—चुनाव अधिकारी कौन था वहां पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—२६। ५। ५५ को...

श्री अध्यक्ष—वह तो चुनाव अधिकारी का नाम पूछना चाहते हैं।

(उत्तर प्राप्त न होने पर)

श्री भोपाल सिंह—क्या चुनाव अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी और वहां कोई शान्ति भंग का अन्देशा नहीं था, यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भोपालसिंह—जब एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट और एस० पी० वहां गये तो वहां जाने पर उनको कोई शान्ति भंग होने का अन्देशा नहीं मालूम पड़ा, क्या यह सही नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब ये वहां भेजे गये तो उन्होंने ही चुनाव कराये थे।

श्री भैंरूसिंह—जब चुनाव अधिकारी ने शान्ति भंग होने की रिपोर्ट की तो उन व्यक्तियों के भी नाम रिपोर्ट में दर्ज मिले या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अलग सवाल है।

श्री भैंरूसिंह—क्या इन पंचायतों के चुनावों में जो शान्ति भंग होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें भी नाम दर्ज हैं कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो पंचायत अधिकारी गड़बड़ी देखता है तो स्थगित कर देता है।

श्री भैंरूसिंह—गड़बड़ी देखना नहीं, नाम बताने की आवश्यकता है या नहीं कि फलां आदमी शान्ति भंग करने का जिम्मेदार है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। फिर इलेक्शन अधिकारी, वहां हल्ला-गुल्ला होता है तो किस किस का नाम मालूम करे।

श्री भैंरूसिंह—सम्बन्धित थाने में क्या इलेक्शन अधिकारी ने रिपोर्ट की कि फलां फलां आदमी ने शान्ति भंग करने की कार्यवाही की है ?

श्री भैंरूसिंह—अगर शिकायत की गई है तो उसकी आवश्यक कार्यवाही की गई होगी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या चुनाव अधिकारी ने इस बात का उल्लेख किया है कि किस रूप की गड़बड़ी का अन्देशा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—शान्ति भंग का।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शान्ति भंग का कोई स्पेसिफिक मेन्शन है ? दंगा है, मारपीट है हथियार लेकर आ रहा है या शोरगुल है ; कुछ भी डेस्क्रिप्शन दिया है सिचुएशन का ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह डिटेल में पूछेंगे तो दुबारा बता दूंगा। पर मैंने कहा कि स्थगित करने का कारण शान्तिभंग का होना था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि स्पोट पर जाने से पहले ही चुनाव के स्थगित होने के बारे में निर्णय दे दिया गया कि शान्ति भंग होने के डर से यह स्थगित किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कहां के लिये कह रहे हैं आप ?

श्री भैंरूसिंह—जिनका जिक्र है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह, नेक्स्ट।

श्री भोपालसिंह—मेरा एक सप्लीमेन्ट्री और है ?

श्री अध्यक्ष—इतने सप्लीमेन्ट्री पूछ लिये गये और आप सोते ही रहे हैं। (हंसी)

श्री भोपालसिंह—भिंडासरी के पंचों के चुनाव के कागजात गुम हैं, क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो अलग से सवाल पूछियेगा।

श्री भोपालसिंह—क्या वहां के सरपंच की शपथ हो चुकी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव तो, मैंने कहा, हो चुका है। शपथ की जानकारी प्राप्त करके कह सकूंगा।

श्री भोपालसिंह—एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट ने चुनाव कराये हैं, उसमें तो सरपंच को शपथ हो चुकी है और क्यों पहले के हुए चुनावों को दुबारा अगर कराया गया है तो उनके पंचों के चुनाव के अब तक कागजात ही गुम हैं, क्या यह सही नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री भैंरूसिंह—एक मामूली सा प्रश्न है साहब।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४१०

लोसल (तहसील दांता रामगढ़) में शासकीय अस्पताल होते हुए भी सार्वजनिक औषधालय को आर्थिक सहायता

श्री भैंरूसिंह (१६)—क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कस्बा लोसल तहसील दांता रामगढ़ में सरकारी होस्पिटल होते हुये भी वहां के सार्वजनिक औषधालय को १००) मासिक सरकारी सहायता मिलती है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त औषधालय के वैद्य भी ऐलोपेथिक दवाइयां ही काम में लेते हैं ?

(ग) उपरोक्त कारणों से क्या सरकार यह सहायता तहसील के किसी अभावग्रस्त क्षेत्र के किसी औषधालय को देने का विचार करेगी ?

[श्री भैंरूसिंह]

(घ) सरकारी अस्पताल होते हुए सार्वजनिक औषधालय को भी सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार के क्या नियम हैं ?

(ङ) क्या सरकार ऐसे नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) सार्वजनिक औषधालय लोसल को ५०) मासिक सहायता दी जाती है, वहां कोई राजकीय औषधालय नहीं है।

(ख) हो सकता है।

(ग) ये कारण ऐसे नहीं हैं जिससे कि उक्त औषधालय की सहायता बन्द की जाय।

(घ) सरकारी नियमों में इस प्रकार की रोक नहीं है कि जहां सरकारी अस्पताल हो वहां पर किसी सार्वजनिक औषधालय को सरकार की ओर से सहायता न दी जाय।

(ङ) नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि राजस्थान के आयुर्वेदिक विभाग ने इस प्रकार का आदेश दिया है कि जो सरकारी औषधालय या अर्द्ध सहायता से सरकारी औषधालय हैं उन औषधालयों में एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल न किया जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, दिया है।

श्री भैरोंसिंह—तो क्या इन आदेशों का पालन और इन पर अमल, ये औषधालय करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जो यहां का मामला है इसमें थोड़ा फर्क है। यह एडेड औषधालय है, इसे हम पचास रुपया एड देते हैं, यह गवर्नमेंन्ट का औषधालय नहीं है। इसमें वह अपने इन्जेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पर इसकी कोई पाबन्दी नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार के ऐसे स्पष्ट नियम हैं कि आयुर्वेदिक औषधालय आयुर्वेदिक दवाइयों को काम में लेने के स्थान पर अगर एलोपैथिक दवाइयां काम में लें तो आयुर्वेदिक डिपार्टमेन्ट से कोई मदद न दी जावे ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या ४११

पंचायत चुनावों के वार्ड बनाने की नीति एवं आधार

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिलित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि पंचायत चुनावों के वार्ड बनाने की नीति क्या थी और वे किस आधार पर बनाये गये ?

(ख) क्या इन पंचायतों के चुनावों में वार्ड बनाने में किसी जाति विशेष की आबादी को ध्यान में रख कर तहसील पंचायतों पर उसका प्रभुत्व स्थापित करने का मकसद रहा है ?

(ग) क्या सरकार जब तक तमाम वार्ड बराबर बराबर आबादी के करके पंचों की संख्या निर्धारित नहीं कर देती है, तब तक तहसील पंचायतों के चुनाव स्थगित करेगी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—(क) वार्ड, पंचायत क्षेत्र के लिये निर्धारित पंचों की संख्या तथा वहां की जनसंख्या के अनुपात, जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए, स्थायी रास्ते व निशानात का सहारा लेते हुए बनाये जाते हैं ।

(ख) नहीं ।

(ग) 'क' के उत्तर के बाद यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भोपालसिंह—क्या कहीं पांच सौ की संख्या पर एक पंच और कहीं ८०० की संख्या पर एक पंच जो नियत किये गये हैं तो क्या इस तरह की अनियमितता को दूर किये बगैर ही क्या तहसील पंचायतों के चुनाव कर दिये जावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा आधार क्या है ? अब आप जो कह रहे हैं वह मेरे ध्यान में नहीं है । आप बतावेंगे तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री भोपालसिंह—तो मैंने आपको जो प्रश्न संख्या ४०६ में पूछा था उसका आपने उत्तर नहीं दिया, इसका क्या कारण है ?

(घंटी)

श्री भोपालसिंह—तो क्या आप वह संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—हाफ एन अवर डिबेट इस पर रेज् की है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उत्तर दे चुका हूँ इस बारे में।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४१२

मेडिकल कालेज में कार्य करने वाले सवाई मानसिंह अस्पताल के डाक्टरों को अलाउन्स

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सवाई मानसिंह अस्पताल के जो डाक्टर मैडिकल कॉलेज का काम करते हैं उन्हें क्या अलाउन्स दिया जाता है?

(ख) मैडिकल कालेज के जो अध्यापक अस्पताल सम्बन्धी काम करते हैं उन्हें कितना अलाउन्स दिया जाता है?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—(क) सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों को, जो कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी करते हैं निम्न स्तर पर अलाउन्स दिया जाता है:

(१) प्रोफेसर	२००) मासिक
(२) रीडर्स	१५०) मासिक
(३) लेक्चरार	१००) मासिक

(ख) मैडिकल कॉलेज के अध्यापकों को जो हास्पिटल में काम करते हैं कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता।

श्री रामदयाल उपाध्याय—यह जो भिन्नता रक्खी गई है कि एक को काम करने पर अलाउन्स दिया जाता है और दूसरे को नहीं, यह क्यों?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका कारण यह है कि कॉलेज के अध्यापक जो हैं उनकी ग्रेड अच्छी हैं और जो डाक्टर हैं उनकी ग्रेड कम है; इसलिए डाक्टरों को वहां भेजते हैं तो उन्हें अलाउन्स दे देते हैं इससे गवर्नमेन्ट को भी फायदा है। नहीं तो नये अध्यापक अगर रक्खें तो उन्हें वही ऊंची ग्रेड देनी पड़े, इसके बजाय इनको थोड़ा अलाउन्स देकर वह काम करा लिया जाता है, हालांकि काम की इफीशियेन्सी में इससे कोई अन्तर नहीं आता। डाक्टरों की तनखा पांच सौ से एक हजार तक की है और अध्यापकों की ११००), १२००) है। इसलिये डाक्टरों को अलाउन्स दे देते हैं।

श्री राम दयाल उपाध्याय—क्या उनको प्राइवेट प्रेक्टिस करने की इजाजत है अध्यापकों को ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—यह तो अलग से सवाल करिये ।

श्री अध्यक्ष—श्री प्रभु दयाल ।

प्रश्न संख्या ४१३

चूरू शहर में जच्चा गृह खोलने की शासकीय योजना

श्री प्रभु दयाल—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की चूरू शहर में जच्चा गृह खोलने की कोई स्कीम है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्तशासन मंत्री)—जी हां । महारानी जी श्री बघेलीजी ट्रस्ट के अन्तर्गत ट्रस्ट की ओर से प्रार्थना पत्र आने पर चूरू में एक जच्चा गृह खोलने की स्वकृति दी गयी थी ।

(ग) जच्चागृह के खर्चे के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया है । जिसके उपलब्ध होते ही कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जायगा ।

श्री प्रभुदयाल—कब तक हो जायगा ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—जल्दी हो जायगा ।

श्री जसवंत सिंह—क्या सरकार कम से कम जच्चाखाने के अस्पताल के लिए यह विश्वास दिलाने को तैयार है कि वहां मर्द डाक्टर नहीं भेजे जाया करें ।

श्री गुप्ता—ऐसी ही कोशिश की जायगी ।

श्री जसवंत सिंह—तो आप आश्वासन देने को तैयार नहीं हैं कि जच्चाखानों में मर्द डाक्टर नहीं भेजे जायेंगे ? क्या इसका सरकार आश्वासन नहीं दे सकती है ?

श्री गुप्ता—औरत और मर्द डाक्टर में कोई फर्क नहीं । (हंसी)

Page No.38

प्रश्न संख्या ४१४

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित - कृपया परिशिष्ट १ देखीये)

प्रश्न संख्या ४१५

बीकानेर डिवीजन में इस साल सांप काटने की घटनाएं

श्री प्रभुदयाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर डिवीजन में इस साल सांप काटने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि, इलाका मगरा, ज़िला बीकानेर में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई है ?

(ग) क्या सरकार ने इसके बचाव हेतु किसी विशेष औषधि की खोज की है ?

(घ) और हां, तो वह कितने परसेन्ट कामयाब हुई है ? अगर नहीं, तो क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) इस संबंध में बीकानेर डिवीजन के विभिन्न छोटे बड़े सभी स्वास्थ्य अधिकारियों (डॉक्टर्स) से जानकारी की गई है जिस (सूचना) के इकट्ठी होने में समय लगेगा।

(ख) सांप के काटने की घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्रप्त होने पर दी जायगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्रभुदयाल—कब तक जानकारी प्राप्त हो जायगी।

श्री गुप्ता—जल्दी ही हो जायगी ?

भीम डिस्ट्रीक्ट बोर्ड 'वैधकरण' विधेयक, १९५५ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष—Now legislative business, Shri Badriprasad Gupta

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं भीम डिस्ट्रिक्ट (वैधकरण) विधेयक, १९५५, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि भीम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (वेलीडेशन) बिल, १९५५, को, पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को, पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५५ (पुरः स्थापन)

श्री अध्यक्ष—Yes, Sir Ramkishore Vyas.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५५, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ड एन्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५५, को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं विधेयक को पुर :स्थापित करता हूँ।

विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक।

राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (संशोधन) विधेयक, १९५५

(जन-मत हेतु प्रसारित करने के लिये)

श्री अध्यक्ष—Yes. Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jajirs (Amendment) Bill. 1955.

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)— अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स विधेयक, १९५५, को......

श्री अध्यक्ष—Consideration motion has been presented to the House.

श्री दामोदर लाल व्यास—Now it will be taken clause by clause.

श्री अध्यक्ष—Before I put it to vote- Shri Tan Singh will speak on hi motion.

श्री तनसिंह— माननीय अध्यक्ष, मैंने इस बिल को जनमत ज्ञात करने के लिए ३०-११-५५ तक इसको प्रसारित करने के लिए प्रस्ताव रखा है।

यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है इसके उद्देश्य और कारणों पर जब आप विचार करेंगे तो प्रतीत होगा कि इसमें दो बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक यह बताई गई है कि सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद कुछ परिस्थिति इस प्रकार पैदा हुई कि जिससे उक्त अधिनियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता पैदा हुई। दूसरी बात जो बताई गई हैं वह यह है कि मूल अधिनियम में कुछ इस प्रकार की क्लेरिकल एरर्स रह गई जिनके कारण इसकी आवश्यकता हुई। इन दो के अलावा तीसरा उद्देश्य या कारण इस विधेयक के बारे में नहीं दिया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि कोई महत्वशाली ऐसा कारण रहा नहीं। अर्थात् ये दोनों ही कारण ऐसे हैं जो कि इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए आवश्यक थे।

अब यदि इसका विश्लेषण किया जाय, उसकी धाराओं को देखा जाय तो यह प्रतीत होगा कि यह कारण नहीं मालूम होता है कि .....

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, ९-४६ बजे पदासीन)

इसके खंड ५ को देखा जाय; इसके पांचवें खंड में संशोधन जो मूल अधिनियम में किया गया है, एक शर्त जोड़ी गई है, और वह यह है कि सारी जागीरें पांच साल के भीतर समाप्त

[श्री तनसिंह]

कर दी जांयगीं, अर्थात् सन् ५२ के बाद सन् ५७ तक यह सारी जागीरें समाप्त कर दी जायगीं । मैं नहीं समझ सकता कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण हुआ है संशोधन अथवा यह कोई क्लेरिकल एरर रह गई थी, जिसके कारण यह संशोधन लाया गया है । इससे तो यह प्रतीत होता है, कि इस संशोधन को देखने से मालूम होगा कि हम किसी बात को व्यक्त करना चाहते हैं । यह इस तरह की बात है कि जब हम एक कानून को पास करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उस कानून के जितने इम्प्लीकेशन्स हैं वे स्वत: ही होंगे । जागीर रिजम्प्शन और लेन्ड रिफार्म्स बिल जब हमने पास किया, जो एक एक्ट के रूप में हमारे सामने आया, उससे निस्संदेह यह बात प्रकट होती है कि सारी जागीरें तो रिज्यूम होंगी ही लेकिन उसके लिए ५ साल की अवधि नियुक्त करना है । इस बात से सिद्ध होता है कि कुछ इस प्रकार की धारणाएं लोगों के मन में फैल सकती हैं या सरकार की मन्शा नहीं है कि ये ५ साल में खत्म की जांयगी और इस भ्रान्त धारणा को संतोष देने के लिए या स्पष्टी-करण करने के लिए यह क्लॉज़ जोड़ा गया हो । लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का स्पष्टीकरण करने का मतलब साफ है कि विधान सभा में इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है ।

दूसरी बात, यदि यह भी कहा जाय कि पांच साल में खत्म कर दी जांयगीं तो भी इससे कई कम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे; एक तो यह कि पांच साल के अन्दर राजस्थान में जितनी भूमि है उसका सेटिलमेंट वगैरह नहीं हो सकेगा, और यदि सेटिलमेंट नहीं होगा तो जो कम्पेन्सेशन तय होना है वह रेन्ट रेट्स के बिना कम्पेन्सेशन तय नहीं हो सकेगा । इसलिए बिना सेटिलमेंट किये हुए अनसेटल्ड लेन्ड को रिज्यूम किया जाता है तो वह रिज्यूम तो हो जायगी और उनका रेवेन्यू भी सरकार वसूल करना शुरू कर देगी, लेकिन उसके जागीरदार को उस समय तक जब तक कि सेटिलमेंट नहीं होता और रेन्ट रेट्स तय नहीं होती हैं तब तक कम्पेन्सेशन डिसाइड करने में एक अनिश्चित समय लगेगा । यह कहा जा सकता है कि हम उसके लिए उस आमदनी को मानेंगे जो रिजम्प्शन के पहले के साल की हो । लेकिन मैं निवेदन यह करूंगा कि जो बड़े ठिकाने हैं, बड़ी जागीरें थीं उनमें तो इस प्रकार का हिसाब किताब रहता था कि इतनी आमदनी हुई इतना खर्चा हुआ । लेकिन कई लोगों की आमदनी २५ रु० साल या २०० रु० या ५०० रु० साल की है तो ऐसे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है कि वे अपना हिसाब रखें कि साल भर में उनको कितनी आमदनी हुई । फिर यह नहीं समझ में आता कि सरकार किस प्रकार भूस्वामियों के क्लेम डिसाइड करेगी ? इसलिये मेरा निवेदन है कि यह संशोधन जो रखा गया है उसके उद्देश्य और कारणों को देखने से आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

दूसरा यदि सरकार इस प्रकार का संशोधन रखकर यह आश्वासन देना चाहती है इस विधान सभा के सदस्यों को कि जो एक्ट हमारे सामने आया है उसके प्रति हम स्वयं ईमानदार हैं और बहुत जल्दी इसको समाप्त करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इससे अच्छा तो यह है कि वे स्वयं लोगों के सम्पर्क में आवें और सब बातों को समझें क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो शब्द लिखे हैं

[श्री तनसिंह]

उनसे सरकार का पक्ष मजबूत नहीं हो सकता। आश्रय मिलता है तो मिले लेकिन वह किस आधार पर मिलता है, यह देखने की बात है। इसलिये ऐसे संशोधन जो प्रस्तुत हुए हैं वे इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से संबंध नहीं रखते।

दूसरी बात जो खंड ६ में है और उसमें जो संशोधन रखा है वह कोई क्लेरिकल त्रुटि के कारण नहीं है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण नहीं है।

फिर खंड ९ में एक बात रखी गई है कि यदि कंपेनसेशन तय करने में कुछ अनावश्यक समय लग जाय तो सरकार कुछ इस प्रकार का अमाउन्ट जागीरदारों को दे देगी जो उसके साल भर के कंपेन्सेशन के बराबर हो या जैसा गवर्नमेंन्ट उचित समझे वैसा कंपेन्सेशन का अमाउन्ट ईंटेरिम रूप में दिया जायगा और बाद में मंजूर किया जायगा। मुझे समझ में नहीं आता कि किस आधार पर यह रखा गया है और यदि इस संशोधन की आवश्यकता है तो उसको यदि स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में स्पष्ट करते तो हम उसे एप्रीशियेट करते। उसमें यह बताया गया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ इसलिये इसको लाना जरूरी है, यदि फैसले को ध्यान में रखते हुए इस क्लॉज़ को जस्टीफाइ करते।

क्लॉज़ १४ में इजारा इस्तमरार शब्द को शिड्यूल में बढ़ाने की आवश्यकता हुई। ये क्लेरिकल एरर मानें तो जो साधारण छोटी मोटी बातें रह गई हों उनको लाते तो यह माना जात लेकिन यह तो एक दूसरी ही चीज शामिल की गई है, इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। सरकार का जो जागीरदारों के साथ रुख है वह इस प्रकार का है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो यह जाहिर करते हैं कि हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं और आपसी सहयोग से तय करना चाहते हैं इसलिये आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा हल करेंगे और जब आवश्यकता दूसरी तरह की होती है तो उससे गुरेज करते हैं। जब आप हमदर्दी जाहिर करना चाहते हैं तो आपको उसी तरह से बात करनी चाहिये।

कुछ बातें जो सदन के सामने गुजरी हैं मैं उनके बारे में अर्ज करना चाहूंगा। कल ही माननीय गृह मंत्रीजी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया और कुछ अर्से पहले मुख्य मंत्रीजी ने मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि भूस्वामी संघ के साथ बातचीत होकर कोई समझौता नहीं हुआ न हमने उनको कुछ लिखकर दिया। मैं नहीं जानता यदि भूस्वामियों और राजस्थान सरकार के बीच कोई समझौता हुआ है तो इसका समावेश इस विधेयक में जो हमार सामने प्रस्तुत हुआ है उसमें किया गया है या नहीं। यदि यह माना जाय कि कोई समझौता नह हुआ और जैसा कि पहले बतलाया गया कि मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी ने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ तो मुझे यहां पर कुछ ऐसे फेक्ट्स लाने पड़ेंगे जो उन बातों पर प्रकाश डाल सकें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—ये बातें इर्रिलेवेन्ट हैं, इनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि और बातें भी आनी चाहिये तो वे अलग बिल ला सकते हैं। जहां तक इसका संबंध है यह भूस्वामी संघ से संबंधित नहीं है।

श्री तनसिंह—मैं यह जानता था कि वे यह कहेंगे कि यह इर्रिलेवेन्ट है लेकिन मैं दलील के साथ इसको सपोर्ट करूंगा कि क्यों आवश्यक है? इस बारे में मेरा संशोधन इस बात का है कि पहले जनमत जाना जाय। मैं यह स्पष्ट करूंगा कि जनमत की क्यों आवश्यकता है? यह इसलिये आवश्यक है कि क्योंकि हम अगर आपस में बैठकर तय करना चाहते हैं तो हमारी भावनाओं को देखते हुए आपस में बैठकर बातें करना तथ्य नहीं रखती। जनमत इसलिये आवश्यक है कि सरकार किसी बात को स्पष्ट करना चाहती है और एक अमेन्डमेन्ट लाना चाहती है तो सरकार का यह फर्ज है कि वह जनता की राय जाने।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अमेन्डिंग बिल के जो प्रोविजन्स हैं उनके ऊपर ही ये बोल सकते हैं और जो बातें उसमें नहीं हैं उनके लिये सुझाव देना गलत है। उसके लिये दूसरा आलटरनेटिव है, वे दूसरा बिल स्वयं ला सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह जनरल डिस्कशन है।

श्री दामोदरलाल व्यास—This is not a general discussion. We are going clause by clause. This is an amendment...

श्री सभापति—It is not an amendment. He wants that it may be circulated for elicleting public opinion.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It is not an amendment...

श्री दामोदरलाल व्यास—He says that it should be circulated for eliciing public opinion. I proposed that the Bill should be taken into consideration. He has amended that it should be circulated for eliciting public opinion. Therefore, I have said that it is an amendment.

श्री तनसिंह—That is, of course, an amendment to the motion for consideration.

तो माननीय चेयरमेन, अभी जो ऐतराज उठाया गया है मेरे ख्याल से उसका स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करूं कि इस विधेयक में जो बातें हैं उनके अलावा मैं नहीं कह सकता लेकिन इसके सिवाय कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर तय हुई हैं वे ही इस विधेयक में

[श्री तनसिंह]

आई हैं, इसलिये मैं कहूँगा कि जब स्पेसिफिकली उन बातों को लाते हैं तो मेरा कहना जस्टिफाइड है। यदि बाहर से होता तो भी वैसा ही होता। जो बातें आपने बतलाई हैं वे निर्मूल हैं, यह कहना कि जो बातें भूस्वामी संघ से आती हैं वे रिलेवेन्ट नहीं हैं, यह कहां तक उचित है यह मैं नहीं समझ सका। मैं कहूंगा कि भूस्वामी संघ भी जागीरदारों की संस्था है और क्षत्रीय महासभा भी जागीरदारों की संस्था है तो कोई कारण नहीं है कि जब क्षत्रीय महासभा के साथ समझौते को आप यहां लाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि भूस्वामी संघ के साथ जो बातें हुई हैं उन दलीलों को हिम्मत के साथ लाने में आप क्यों असमर्थ हैं? आप यह कहने में क्यों असमर्थ हैं कि उनके साथ इस तरह का समझौता हुआ? मेरे पास लिखित सुबूत हैं जिनको यदि आप चाहेंगे तो मैं यहां प्रस्तुत करूंगा। गृह मंत्रीजी ने कल कहा था कुछ भी, लिखकर नहीं दिया.....

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने यह कहा था कि कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री तनसिंह—क्या फरमाया?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने यह कहा था कि मदनसिंहजी को कोई आश्वासन नहीं दिया और न मदनसिंहजी को गवर्नमेंट ने लिखकर दिया।

श्री तनसिंह—मैं भी यही कह रहा था, शायद आपने बात नहीं की। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट की क्या सूरत मानें। यदि मुख्य मंत्री लिख कर देते हैं तो हम यह समझते हैं और साधारण आदमी यह मानते हैं कि गवर्नमेन्ट की तरफ से ही लिखा गया है। मुख्य मंत्री लिखते हैं और गवर्नमेन्ट का लिखा हुआ यह नहीं तो बड़ी परेशानी होगी कि फिर गवर्नमेन्ट माने किसको? मुख्य मंत्रीजी को हम गवर्नमेन्ट का प्रतिनिधि मानते हैं और उनके द्वारा कोई चीज लिखित रूप में दी गई है तो निश्चित रूप से हम उसे गवर्नमेन्ट द्वारा लिखी हुई चीज मानेंगे। या तो यह कहना चाहिये कि कुछ बातें सरकार की ओर से लिखी गई हैं जो विधेयक में सम्मिलित की गई हैं, वे खंड ६ में हैं।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—इसकी डिटेल में क्यों जाते हैं? पब्लिक सर्कूलेशन के लिये भेजना चाहते हैं, यह कहिये।

श्री तनसिंह—मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपने मत को अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से ही कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद पर्याप्त होगा। कल माननीय गृह मन्त्रीजी ने जो कहा उसका माननीय मुख्य मंत्रीजी खण्डन कर देंगे और इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो यह स्पष्ट हो जायगा।

[श्री तनसिंह]

जागीर रिजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ असन्तोष है और छोटे भूस्वामियों में तो जो एक असन्तोष था उसका एक स्वरूप हमारे सामने आया, अब मैं नहीं कह सकता कि वह क्या रूप धारण करेगा। एक मंत्री महोदय ने तो कहा कि आन्दोलन हुआ ही कब था।

मैं यह कहता हूँ कि आन्दोलन किसी भी सरकार के सुशासन अथवा स्वस्थ परम्परा के द्योतक नहीं। जो शासन लोकप्रिय होते हैं उनमें आन्दोलन कम होते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय चेयरमेन, मैं फिर निवेदन करूंगा कि यह डिस्कशन एक दम इर्रिलेवेन्ट है।

श्री सभापति—आन्दोलन से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट करने के सम्बन्ध में बोलिये।

श्री तनसिंह—मैं इसे जनमत ज्ञात करने के लिये सर्कुलेट करने के बारे में ही कह रहा हूँ। जनमत प्राप्त करने से कोई आन्दोलन नहीं होंगे। आन्दोलनों को रोकना, इसके माने शासन को अच्छी तरह चलाना होता है। आन्दोलन तभी होते हैं जब सरकार जनता की राय जाने बिना एकाएक कोई चीज जनता के सामने लाती है। सरकार यह नहीं सोचती कि जागीरों के खत्म करने के कारण कितनी असुविधाएं होती हैं उनको रोकना सरकार का काम है। सरकार यह नहीं देखती कि इससे क्या क्या असुविधाएं लोगों को होने वाली हैं, इसका परिणाम क्या होगा और कुछ लोगों की भावनाओं को सन्तुष्ट करने के लिये सरकार विधेयक पास कर देती है और इससे सरकार खुद उलझन में फंस जाती है, दुविधा में फंस जाती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण बिल को जनता की राय जानने के लिये प्रसारित करना चाहिये। मैं नहीं समझता कि इसमें क्या अड़चन हो सकती है?

लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट में इस प्रकार का संशोधन रखा था। मैं जानना चाहता था कि सरकार इस विधेयक को हमारे सामने जो प्रस्तुत करती है, इसे जनता के सामने प्रस्तुत किया जाय तो ऐसी समस्याएं आ सकती हैं कि जिनका अभी खयाल तक नहीं है।

इसके बारे में मैं एक उदाहरण सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ। एक अमेंडमेंट इस विधेयक के अन्दर आया और वह एक ऐसी सेक्शन से ताल्लुक रखता है जिस सेक्शन में सारी लैंड्स, सारी जागीरों पर एक लैंड रेवेन्यू लगेगी और ऐसा मूल एक्ट में है कि या तो रेख या चाकरी पहले देते हैं वही देंगे या १।८ हिस्सा अपनी आमदनी का देंगे, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वह वसूल किया जायगा। इससे जो स्थिति उत्पन्न होगी उसके बारे में निवेदन करूं कि एक आदमी के ३ हजार बीघा जमीन है, उसके पहले २००० रुपये लिया करता था, सेटलमेंट होने के बाद केश रेंट होने के कारण उसकी आमदनी डेढ़ हजार रुपया रह गई और नये कानून के माफिक उसको २०००

[श्री तनसिंह]

रुपया देना लाजिमी हो गया, १।८ नहीं दे सकता क्योंकि कानून में ऐसा है कि जो ज्यादा होगा वही देगा। दो हज़ार रुपया पे करता है, तो ऐसी विचित्र परिस्थितियां होंगी। तो फिर मैं नहीं समझता कि सरकार क्यों नहीं इस कानून को पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्यूलेट करती ? इस प्रकार की और २ भी विचित्र परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक ओर तो जागीरों को लेना चाहती है और दूसरी ओर इससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से गुरेज़ क्यों करती है ? जागीरें लेती है तो उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों, इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करे। जो कुछ उन्हें एक्ट द्वारा मिला है वह क्यों नहीं उन्हें जल्दी दे देती ? हमारे एक्ट में इस प्रकार की बातें हैं कि हम कम्पेन्सेशन क्लेम कर सकते हैं, खुदकाश्त की जमीन क्लेम कर सकते हैं और दूसरी सुविधायें क्लेम कर सकते हैं। पर आंकड़े देखे जांय तो पता चलेगा कि लगभग ५००० खुदकाश्त की दरख्वास्तें आई उनमें से कितनों को खुदकाश्त के लिये जमीनें दी गई ? कितनी ही दरख्वास्तें कम्पेन्सेशन के लिये आई, उनमें से कितनों को कम्पेन्सेशन मिला ?

श्री सभापति—अब आप जनमत के लिए इसे सर्क्यूलेट करने के बाबत ही कहें।

श्री तनसिंह—जनमत यदि ज्ञात किया जायगा तो यह कहा जायगा कि इस बिल को असेम्बली में लाने के पहले, एक बार पहले कम्पेन्सेशन मिल जाना चाहिये और सरकार को जनमत बतायेगा कि इस प्रकार के संशोधन होने चाहिये कि जल्दी से जल्दी उनकी समस्या सुलझाई जा सके। जनमत मालूम करने से हमें जो जो डिफिकल्टीज़ आने वाली हैं वे हमें मालूम हो जायगी कि किस किस प्रकार की डिफिकल्टीज़ आने वाली हैं और भूस्वामियों के प्रति सरकार का जो उत्तरदायित्व है उससे अगर सरकार निकलने की, उससे बचने की कोशिश करेगी तो इसका नतीजा यह हो सकता है जो बहुत ही अब अन्कम्फरटेबल हो सकता है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे ३०-११-५५ तक जनमत प्राप्त करने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री खेतसिंह—माननीय चेयरमेन मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूँगा। भूस्वामी संघ के बारे में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कल माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा था कि सरकार ने कोई टर्म भूस्वामी संघ के साथ तय नहीं की, भूस्वामी संघ के साथ सरकार का कोई समझौता नहीं हुआ। किन्तु हमें मालूम हुआ है कि भूस्वामी संघ के साथ सरकार का समझौता हुआ है। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से चाहूँगा कि वे इसका खुलासा करें।

श्री सभापति—आप क्या बोल रहे हैं ? तनसिंहजी के पक्ष में बोल रहे हैं या खिलाफ ?

श्री खेतसिंह—मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्लेरिफिकेशन की अभी कोई आवश्यकता नहीं।

श्री खेतसिंह—क्लेरिफिकेशन की बहुत आवश्यकता है।

श्री सभापति—ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज !!

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय सभापतिजी, अभी बाडमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा, वह पब्लिक ओपिनियम पाने के लिए इस बिल को सर्कुलेट करने के लिये रखा है। इस तरह से तो इस सत्र एक्ट का बहुत कुछ विचार किया जा चुका है और कई अमेन्डमेन्ट इस बिल में नये लाये गये हैं। पर जो स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स दिया है उससे कुछ मुगालता अवश्य हो जाता है, कि किस कारण से यह लाया गया है।

जिस प्रकार जागीर रिजम्प्शन एक्ट में नीचे के अफसरों द्वारा जो कार्यरूप उसको दिया जा रहा है उसकी वजह से बहुत कुछ दिक्कतें जागीरदारों को महसूस हो रही हैं। इनको मालूम करना भी अति आवश्यक हो गया इसलिये कुछ हद तक मैं इस बात की जोरों से ताईद करूंगा कि इसकी इन्क्वायरी कराई जा सकती है। मैं राजस्व मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि आपने अलग अलग कमेटियें अलग अलग स्थानों पर बनाई हैं और इस संबन्ध में भी कमेटी हर डिवीज़न में है मगर अमूमन यह देखने में आता है कि जो आदेश सरकार द्वारा कमेटियों से सलाह मशवरा करके दिये जाते हैं उन आदेशों का नीचे के अफसर किसी कारण से उन्हें कार्यरूप देने में सफल नहीं होते और इसी वजह से ज्यादा गड़बड़ियें होती हैं और जागीरदारों को ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इस वजह से अगर इसको पब्लिक की राय के लिये भेज दिया जावे और पब्लिक की राय मांग ली जावे तो सरकार को मालूम हो जावेगा कि उनके साथ कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। सरकार चाहती है कि काम जल्दी हो और जागीरदारों को कम्पेन्सेशन जल्दी मिले, मगर नीचे के अधिकारी इन्फ्ल्यूएन्स में आकर या किसी दूसरे कारणों से हुक्मों को कार्यरूप में नहीं लाने देते। यहां तक कि जागीर कमिश्नर को लोग अर्जियें देते हैं क्योंकि उनकी कलेक्टर आदि के पास सुनवाई नहीं होती। वहां से हुक्म होने के बाद वही कागजात कलेक्टर और तहसीलदार के पास पहुँचते हैं और वहां पहुँचने पर इतनी जबर्दस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि जिसका हम यहां पर जिक्र नहीं कर सकते। इसको ५ मिनिट में मैं मिसालें देना चाहता हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ और मानता हूँ कि अगर उसको चीफ मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर या जागीर कमीश्नर के सामने लावें तो मुझे विश्वास है कि वे ऑर्डर जरूर जारी कर देंगे, मगर उनके ऑर्डर का अमल नहीं होता। इसलिये मैं यह कहूँगा कि अगर जनमत मांग लिया जावे तो हम लोगों की बहुत सी दिक्कतें सरकार के सामने आवेंगी।

सबसे पहले मैं एक छोटी सी माननीय राजस्व मंत्री के सामने मिसाल रखूंगा और मैं आशा करता हूँ कि वे जरूर जांच करावेंगे। तारानगर बीकानेर डिवीज़न में तहसील है। उस तहसील

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

में एक जिगसाताल नाम के गांव की एक छोटी सी जागीर है जिसकी आमदनी १४०० या १५०० रु० है। जागीरदार ने २८. २. ५५ को अपना क्लेम कम्पेन्सेशन के लिये जागीर कमिश्नर को पेश किया। बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि २८. २. ५५ को यानि उसी दिन जागीर कमीश्नर के दफ्तर से हुक्म होकर वे कागजात चूरू कलेक्टर को भेज दिये गये। चूरू कलेक्टर ने १८. ३. ५५ को तारानगर तहसील में कम्पेन्सेशन फॉर्म को भेज दिया। अब वहां पर क्या होता है कि तहसीलदार ने उसको जांच करने के लिये एक व्यक्ति को दिया जिसका नाम उमरावलां है और जो गिरदावर तहसील है। यहां पर आकर गड़बड़ होती है। उमरावलां उस जागीरदार के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि तस्दीक तब करूंगा जब पेट पूजा होगी। जागीरदार ने कहा कि उसके पास देने को दूर रहा खाने को भी कुछ नहीं है इसलिये उसने कम्पेन्शेसन को तस्दीक करने में बहुत बाधा डाली। इस तरह तीन-चार महीने घुल गये और जब बहुत परेशानी से कम्पेन्सेशन फॉर्म तस्दीक कर दिया गया तो वह क्या करता है, माननीय राजस्व मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको सुनें, किस हद तक आपके ऑफिसर पहुँच सकते हैं। गिरदावर ने देखा कि जब जागीरदार ने कुछ पैसा नहीं दिया, किस तरह से उस फॉर्म को गुम किया जावे। उसने बगैर नाम पता लिखे उसकी एक पोस्ट पार्सल बना कर तारानगर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। आप इसकी तहकीकात पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हैं। पोस्ट मास्टर ने इसको, पता न होने से, फेंक दिया। वह दूसरे के हाथ लगा और तारानगर के एक वैद्य के यहां पर पहुँच गया। वैद्य ने उसकी दवाइयों की पुड़ियें बनाने के लिये इसको काम में लाने का सोचा। वहां पर जागीरदार का एक आदमी अकस्मात पहुँच जाता है और उधर तहसील में तीन-चार महीनों से लगातार इसकी तलाश हो रही थी। वह कागज वहां एक वैद्य के यहां दवाइयों की पुड़ियां बांधने के कागजों में मिला। किसी तरह से उस फॉर्म को वहां से लेकर कलेक्टर को ५. ८. ५५ को दिया गया। इसलिये जिस कागज को २८. २. ५५ को जागीर कमिश्नर के यहां से तहसील में भेजा गया उसका अब तक पता नहीं लगता। वापिस वैद्यजी के यहां से आने के बाद भी अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं। इन्टेरिम रिलीफ तो देना दूर रहा, असली क्लेम घूमता घूमता पहुँच रहा है। इससे मालूम होता है कि गवर्नमेन्ट के ऑर्डर कहां तक अमल में लाये जा रहे हैं। मैं इन सब बातों को सदन में इसलिये कहता हूँ कि सदन में कहने से शायद ऑफिसरों पर इसका कोई असर पड़े।

दूसरा कम्पेन्सेशन्स के फॉर्म को तसदीक करने के लिये बीकानेर में, मैं यह आपको फेक्ट कहता हूँ वह बीकानेर के हैं, पंचायतों को भेजने शुरू हो गये हैं। अब पंचायतों के और जागीरदारों के रिलेशन्स कुछ वजुहातों के कारण अच्छे नहीं हैं। कम्पेन्सेशन शुरू होते ही वे अपनी गलत सलत रिपोर्ट दे देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप कहां की बात कह रहे हैं?

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं बताऊंगा। अभी पंचायतों ने इस सम्बन्ध में अपने रिलेशन्स अच्छे नहीं होने के कारण गलत सलत रिपोर्ट दे दी और जब हम जाकर कलेक्टर और

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

तहसीलदारों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि आप तहसील पंचायत ऑफिसर के पास जाइये। हम पंचायतों के फैसले के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते। कहीं कहीं तो, मैं यह कहूँगा कि तहसील पंचायतें बनी ही नहीं हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, १०. १८ बजे पदासीन)

आप कहें तो मैं नाम भी बता सकता हूँ। अगर आप मालूम करेंगे तो आपको पता चल जावेगा। हम लोग इसकी जांच में पूरी पूरी मदद देंगे। हम सरकार की सहायता करने को तैयार हैं; पूरे पूरे ग्रेटफुल हैं।

दूसरी शिकायत हमको कोर्ट ऑफ वार्ड से है। एक जागीरदार बालिग होते हुए भी उसकी जागीर के कम्पेन्सेशन के लिये एक अधिकारी ने नहीं बल्कि एक क्लर्क ने फॉर्म भर कर गलत भेज दिया। अगर आप उस जागीर का नाम जानना चाहें तो मैं यह कहूँगा कि उनका नाम लोहा जागीर है। वहां का जागीरदार बालिग है। वहां की जागीर के लिये कोर्ट ऑफ वार्डस के एक क्लर्क ने जागीरदार की तरफ से कम्पेन्सेशन उसको बिना पूछे लिख कर भेज दिया। जब जागीरदार को मालूम हुआ कि इससे उसको २५ या ३० हजार का नुक्सान होगा तब उसने कहा कि कोर्ट ऑफ वार्डस के क्लर्क ने जो कम्पेन्सेशन का फॉर्म भेजा है वह उसको मन्जूर नहीं है। उसने अपनी रिपोर्ट भेजी है और लिखा है कि मेरी रिपोर्ट कम्पेन्सेशन की यह है। जागीर कमिश्नर से यह कहा गया कि आप कलेक्टर से कहिये। अगर कलेक्टर सुनता तो हम जयपुर में क्यों आते ? न तो इसको कलेक्टर और न तहसीलदार सुन सकता है। हमें अगर किसी प्रकार की आशा है तो वह जागीर कमिश्नर से जरूर है। उनका कहना न माने यह दूसरी बात है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के एक क्लर्क ने बगैर पूछे ही लिख कर क्लेम भेज दिया और वह भी गलत। अगर आप इस सम्बन्ध में जानकारी मालूम करने की कोशिश करें तो आपको मालूम होगा कि कहां तक यह सही है ? इसलिये मैंने दो तीन मिसालें जो आपके सामने रखी हैं यह सिद्ध करती हैं कि जो कुछ श्री तनसिंहजी ने कहा है उनके कथन में तथ्य जरूर है। अगर जनमत होगा तो हजारों मिसालें आपके सामने आ जावेंगी। मैं आशा करता हूँ कि ये कम से कम तीन मिसालें आपके सामने रखी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ किया जावेगा। और इसके लिये मैं आभारी हूँगा।

श्री खेतसिंह—सदन के नेता से क्लेरिफिकेशन हो जाय। उम्मीद है वे कुछ जवाब देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, वैसे तो यह इस बिल से संबंधित बात नहीं थी लेकिन जो कुछ चर्चा सदन के अन्दर समय समय पर आती रही है और अब भी उठायी गई है कि जागीर रिजम्प्शन और भू-स्वामी संघ के सम्बन्ध में, मैं कुछ बातें स्पष्ट

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कर देना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि जहां तक जागीर रिजम्प्शन का और गवर्नमेंट के दृष्टिकोण का प्रश्न है हम हमेशा इस बात को लेकर चले हैं कि हम इस प्रश्न को आपसी मेलजोल से और जितने अच्छे ढंग से सम्भव हो, इसको हल करने का प्रयत्न करना चाहिये और इस दृष्टिकोण से माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पंत को इस बीच में डाल कर एक निर्णय किया गया था । उसके बाद, मुझे क्षमा करेंगे, मैं समझता हूं कि बीच में एक भू-स्वामी संघ की तरफ से इस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया और एक आंदोलन भी किया गया इस बात के लिए कि जागीर रिजम्प्शन न हो । बातें कई कही जाती थीं, आन्दोलन शुरू हुआ कुछ प्रस्ताव कुछ अजीब तरह के थे और यह सारी की सारी स्थिति उलझन भरी थी, लेकिन जैसा कि आन्दोलन चल रहा था और जैसा कि एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि कुछ व्यक्ति बीच में पड़े हैं कि इस प्रश्न को हल कर लिया जाय । उन्होंने कुछ बातें हमें बतायीं कि आम लोगों को तकलीफ इस तरह की है तो हमने उनको स्पष्ट कहा था कि जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है इस कानून में कोई परिवर्तन नहीं होगा । हमने यह स्पष्ट कहा था कि जहां तक जागीर्स के रिज्यूम करने का प्रश्न है उसके अन्दर सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा । ये दोनों मुख्य बातें थीं जो स्पष्ट कर दी गई थीं । उसके बाद छोटी मोटी बातें थीं, कम्पेन्सेशन किस प्रकार मिले, दूसरा कैसे हो, उसके लिए जो सरकार को कानून के अन्दर करना चाहिये था उसको करने में जो सहूलियतें एडमिनिस्ट्रेटिवली हो सकती थीं उसकी कुछ बातें कही गई । समझौते की जो बातें कही जाती हैं बार बार, मैं समझता हूं कि समझौते जैसी बात माननीय सदस्य जो भू-स्वामी संघ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने जो सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया है उसके अलावा राजस्थान में भू-स्वामी संघ की ओर से जो कुछ किया जा रहा है, उसको करने का प्रश्न नहीं है । समझौते की बात कही जा रही है, उसके अलावा जो भू-स्वामी संघ द्वारा वातावरण किया जा रहा है क्या वह समझौते के अनुकूल है । समझौते के लिये जो बातें उन्हें कही गई उनमें उनका विश्वास नहीं और उन सब बातों को लेकर राजस्थान के अन्दर राजनैतिक वातावरण बनाया जा रहा है, आर्थिक चीजें उसके पीछे नहीं हैं सारी चीजों के पीछे राजनैतिक संगठन की भावना है जिसको लेकर, इन सारी चीजों को लेकर चला जाता है । इसलिये मैं यह कहूं कि समझौता हुआ, समझौता तो तब होता है जब कि दोनों पक्ष मिल कर बातें करें और बातें करने के बाद रजामन्दी के साथ कोई निर्णय किया जाता है, बीच में पड़ने वालों ने कई बातें कहीं, कुछ हमने नामंजूर कीं, तो ये बातें हो सकती हैं लेकिन कहा यह गया है उपाध्यक्ष महोदय, कि जागीर एबोलीशन की बात हो गई, यह समझौता हुआ । मैं यह एम्फेटिकल तौर से कहना चाहता हूं कि जागीर रिजम्प्शन के बारे में जो कानून बना है उसमें इस प्रकार का कोई परिवर्तन, जागीर रिजम्प्शन की बात छोड़ने के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया । इससे ज्यादा में वादविवाद में पड़ना नहीं चाहता । माननीय विरोधी दल के नेता ने जो बातें कहीं, कम्पन्सेशन के फार्म्स को सर्टिफाई करने के लिए पंचायतों को भेजा जाता है और वह न जागीर रिजम्प्शन के अनुसार है; मैं निवेदन करूंगा कि भेजने का प्रश्न नहीं आता है कि पंचायतों को भेजा जाय । अगर कहीं पर ऐसी बात हो रही है तो उसको ठीक किया जायगा । वह रेवेन्यू स्टाफ

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

का काम है जिनको उन्हें पूरा करना है । जब जब सूचना दी गई हमने उनको ठीक करने का प्रयत्न किया और आगे भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने जो कुछ निर्णय किया है वह उस पर पूरी तरह से अमल करना चाहती है लेकिन साथ ही साथ आन्दोलन की धमकी से या और किसी तरह से सरकार अपनी मूल नीति में परिवर्तन नहीं कर सकती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जिन संशोधन वाले कानून पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है उस पर एक पहलू से विचार व्यक्त किये गये । मेरी राय में इस प्रकार का संशोधन करने के कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है । बल्कि एक बहुत बड़ा तात्विक खतरा इसके जरिये से पैदा हो रहा है माननीय उपाध्यक्ष । वह यह है कि सरकार, जो लॉ एन्ड आर्डर की सुबह-शाम लगातार रट लगाये रहती है वह, इस बार लॉ एन्ड आर्डर तोड़ने की सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करने के कानून की, पाबन्दी नहीं करने के काम को न केवल प्रोत्साहन दे रही है बल्कि उसको कानूनी रूप भी दे रही है। जो इस सदन के नेता महोदय हैं और जो कुछ वर्षों पहले तक राजस्थान के राजस्व मन्त्री के नाते बार बार सरकार की नीति पर सभा में प्रकाश डाला करते थे उन्होंने एक बार यह कहा था कि यह बात सही है कि राजस्थान में कम्पन्सेशन में वृद्धि करने क आवश्यकता पड़े । यह भी सही है कि कई बातों में हमें दूसरे राज्यों के मुकाबले में ज्यादा सहूलियत देने की आवश्यकता पड़े, लेकिन आपस में बैठ कर बातें तय हो गई और हमें सहयोग मिल गया, दूसरी पार्टी का इसमें, इस वजह से यह थोड़ा सा लाभ देने से हमारी दृष्टि में ज्यादा हो गया तो सरकार ने सोचा हल करलें । लेकिन उसके बाद जागीर रिजम्प्शन में संशोधन करने का मसला सदन में आया उस पर विचार हुआ, मन्जूर हुआ और उसके बाद किन लोगों ने कानून की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दीं कि लागू करने की हरचन्द कोशिश को किसी तरह रोका जाय । जो आदमी अगर इस प्रकार का निर्णय लेता है उसे कान्सीक्वेन्सेज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो खुदकाश्त के लिए समय पर अर्जी नहीं करता उसको भी उसके दुष्परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए । और जिन्होंने इसका उल्लंघन किया उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो उसके लिये संशोधन करते जांय यह बहुत ही खतरनाक किस्म का प्रिसीडेन्ट कायम हो जायगा राजस्थान में। इसका नतीजा यह हो सकता है उपाध्यक्ष महोदय, कि दूसरे तबकों में भी यह विश्वास संपादन हो जायगा, सरकार के कानून उल्लंघन करने के बाद जो कुछ भी नतीजा होने की गुंजाइश हो सकती है तो रियायत दे दी जाती है । यह इस प्रकार की सहूलियत एक विशेष तबके को मिले, यह सीधा जवाब देने के लिये लायक बात नहीं रह जाती उन लोगों के लिये जो अपने आपको प्रगतिशील कहते हैं और जिनके इस सम्बन्ध में बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं। उनके लिये इस प्रकार के संशोधन से ढील पड़ जायगी । इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो सत्य होता है वह सिर पर चढ़ कर बोलता है । जागीर पुनर्ग्रहण बिल पर बहस हो रही थी और उसमें मुआवजा देने के संबंध में जब

Page No.52

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

चर्चा चल रही थी तब उस समय एक दम प्रोटेस्ट की तौर पर उधर बैठने वाले माननीय मित्र बड़े जोर जोर से खड़े होकर बोलते थे ······

श्री कपिल देव अग्रवाल—सुनाई नहीं पड़ता, जरा माइक से दूर रह कर बोलिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मित्र के सुझाव के लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपके धन्यवाद का पहला ही मौका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसे मौके बार बार आयेंगे, अगर आप हम काम किया करेंगे तो। मैं अभी यह कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, उधर बैठने वाले मित्र कूद कूद कर प्रोटेस्ट करते थे; ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले मित्र करते थे। कभी कभी नीम के थाने से आये हुए मेरे माननीय मित्र भी मुझको समझाया करते थे कि तुम्हारा ख्याल नादुरूस्त है। उस बात को कुछ महिने बीते और यह भू-स्वामी आन्दोलन हुआ और अब सदन के अन्दर और उस समय आन्दोलन के सिलसिले में सरकार द्वारा जो प्रेस नोट शाया किये गये उन प्रेस नोटों को मैंने पढ़ा तब ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जिस प्रकार मुल्जिम अदालत में जाकर अपने जुर्म को मन्जूर करता है ऐसी स्थिति हमारी सरकार की नजर आती थी। ·······

एक माननीय सदस्य—ये बहुत डिग्नीफाइड शब्द हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप यदि चाहें कि मैं इसको जबान बदल कर कहूँ तो इस डिग्नीफाइड का अंग्रेजी भाव में तर्जुमा कर देता हूँ; "Admission of one's own crime." It appears to me as an admission of one's own guilt.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Call it a confession.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not only a confession but a damaging confession. A confession cut across or that was claimed in this House claimed for more than four years in Rajasthan.

इस सिलसिले में मैं अर्ज कर रहा हूँ, आवश्यक नहीं कि जो संशोधन किया है उसकी आवश्यकता नहीं और मैं इसी पक्ष में दलील दे रहा हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था उन प्रेसनोटों में यह कहा गया....

श्री उपाध्यक्ष—अमेन्डमेन्ट सर्कुलेट किया जाय या नहीं, इस पर कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट एक माननीय सदस्य का है। मैं तो राजस्व मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में बोल रहा हूँ। यह दूसरी बात है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह क्या प्रस्ताव है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह प्रस्ताव है, "राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ इसको विचारार्थ लिया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—आप कहते हैं, नहीं लिया जाय......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, साढ़े दस बजे तक का समय इसके लिये रखा गया था और उसके बाद माननीय माथुर साहब के सम्बन्ध में जो मोशन आया है उस पर विचार किया जाने वाला है; अतः समय हो गया है अब उस पर विचार किया जाय।

कुं० श्री जसवंतसिंह—दिलचस्प स्पीच है, खत्म हो जाने दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें मुझे समय लग सकता है अतः मुझे आगे के लिये रिज़्यूम करने की आज्ञा दी जाय। I will resume my speech when the House starts reconsideration.

श्री खेतसिंह—माणक चौक की चौपड़ पर ही आप सुनाइये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माणक चौक की चौपड़ पर सुनाने से दूसरों को भी परेशानी होती है, वैसे ही अब सदन के माननीय सदस्यों को भी परेशानी होने लगी है। अगर आप माननीय उपाध्यक्ष, आज्ञा दें तो मैं कहता जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसके सर्कुलेशन के बारे में कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस समय इस पर विचार स्थगित किया जावे और जिस दिन इस पर पुनःविचार शुरू हो तो उस दिन, मैं अर्ज करना शुरू कर दूंगा....

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप पांच मिनट में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह एक फन्डामेन्टल क्वेश्चन है, जब कि एक कानून के संशोधन के सिलसिले में प्रस्ताव आया है तो मैं यह साबित करने जा रहा हूँ कि कोई संशोधन की आवश्यकता

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नहीं; अभी तो मैंने एक क्लॉज़ पर ही दलील दी है, चार क्लॉजेज़ के बारे में और दलील देना बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष—तो आप बैठ जाइये।

(विराम)

Mr. Tyagi.

श्री वेदपाल त्यागी के, श्री मथुरादास माथुर के आचरण की जांच करने सम्बन्धी समिति की नियुक्ति विषयक प्रस्ताव (अग्रेत्तर विचार-विमर्श एवं वापिस लेना)

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव निम्नलिखित है :

"That a Committee of five members of the House be appointed by the Hon'ble Speaker—

(a) to investigate the activity of Shri Mathuradas Mathur, an hon'ble member of the Rajasthan Legislative Assembly regarding his letter dated 10.1.1953 addressed to the Director of Education, Government of Rajasthan, which inter alia establishes prima facie the following facts with regard to his conduct as a member of this House :—

(i) Shri Mathur obtained the secrets of the Government in an unauthorised manner for business contact.

(ii) He wrote recommendatory letter to an official of the Government to secure business from the Government for Shri Ganpat Mathur in whom he was directly interested.

(iii) He influenced or attempted to influence the Government official in the discharge of his function for the furtherance of his personal ends.

(iv) As is evident from his own words Shri Mathur is in the habit of doing such things.

(b) to submit a report by the last day of the first week of the next session whether the conduct of the hon'ble member was derogatory to the dignity of the

[श्री वेदपाल त्यागी]

House and inconsistent with the standards which this House is entitled to expect from its Members.

(2) That the quorum of the Committee shall be three.

(3) (a) That the Committee shall have power to hear and/or to record evidence, oral or documentary connected with the matters referred to the committee or relevant to the subject matter of the enquiry and that it shall be in the discretion of the committee to treat any evidence tendered before it as secret or confidential;

and

(b) That the committee shall have the power to hear and/or to record evidence, oral or documentary in Jaipur and/or any other place as the Speaker may decide;

(4) That Shri MathuraDas has leave to be heard before the Csmmittee by himself or by counsel if he thinks fit and the Committee may hear counsel to such extent as they think fit on behalf of any other person;

(5) That the Hon'ble Speaker may, from time to time, issue such instructions to the Chairman of the Committee as he thinks necessary for regulating the procedure aud organization of the work of the Committee."

माननीय अध्यक्ष, यह वास्तव में दुख का विषय है कि मैं एक ऐसे प्रस्ताव को आज सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिसमें एक सदन के चुने हुए माननीय सदस्य के आचरण के बारे में जांच करने के लिए कमेटी बिठाने का एक सिद्धान्त तय किया जावेगा।

मेरे लिए कहा जाता है कि माथुर साहब के खिलाफ होने के कारण यह प्रस्ताव मैं इस तरह का प्रस्ताव पेश करता रहा हूँ।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री मथुरादास माथुर—Who has said this thing ?

श्री वेदपाल त्यागी—In the last Meeting your goodself had said.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Now he does not remember what he had said.

श्री वेदपाल त्यागी—लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष, आपको और आपके द्वारा सदन को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि इसको प्रस्तुत करने में इस सदन के प्रति जो मेरा कर्तव्य है

[श्री वेदपाल त्यागी]

उससे प्रेरित होकर मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। बल्कि मैं शायद सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊं अगर कमेटी नियुक्त हो जावे और कमेटी यह वर्डिक्ट दे कि माथुर साहब निर्दोष हैं। लेकिन आज जिस तरह से यह प्रस्ताव सदन के समक्ष आ रहा है उसके अन्दर मुझे दुःख जरूर हो रहा है। कल इस प्रस्ताव के लिए इस सदन में यह बहस हुई कि आया इसको एडमिट किया जावे या नहीं। इस सम्बन्ध में कुछ कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट्स भी उठाये गये, पर मुझे दुःख है कि सदन के नेता ने यह मानते हुए कि मैं इसके प्राइमाफेसी नेचर को नहीं मानता फिर भी कहा कि इसको सदन में रक्खा जावे और इस पर वाद-विवाद किया जावे। यह प्रस्ताव आज सदन के समक्ष पेश करने के लिये मुझे बाध्य होना पड़ रहा है अन्यथा मैं चाहता यह था कि किसी सदन के सदस्य के आचरण के सम्बन्ध में यहां वाद विवाद का मौका न आता और एक कमेटी नियुक्त हो जाती, जिसको यदि सदन के नेता प्रस्तावित करते तो उस पर वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं होती और कमेटी तमाम वाकयात को देख कर इस निर्णय पर पहुँचती कि आया मिस्टर माथुर गुनाहगार हैं या बेगुनाह। अगर गुनाहगार हैं तो वे किसी भी पार्टी के सदस्य हों, उनकी कैसी भी अब तक पोजीशन रही हो, उनको सजा मिलनी चाहिये और अगर बेगुनाह हैं तो ऑनरेबल तरीके पर एक्विटल मिलना चाहिये और वह बात मिल सकती थी जब कि कमेटी कायम होकर तमाम वाकयात पर, जिस पर कि एक तरफ से यह कहा जाता है कि गलत है और दूसरी तरफ से यह एसर्ट किया जाता है कि वे सही हैं और यह उसकी रोशनी में इस प्रकार का कन्डक्ट है कि जिसको डेरोगेटरी कहा जा सकता है। मैं मानता हूँ कि हमारे यहां एडोप्टेड कानून ऐसा नहीं कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि कौनसा एक्ट सदन के सदस्य का डेरोगेटरी कहा जावेगा और कौनसा नहीं। हमारे यहां डेमोक्रेसी की शुरूआत है और इस स्थिति में हमें यह एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिये कि हमारे यहां कहीं ऐसा केस मिल जावे। पर मदर ऑफ पार्लियामेन्ट से जहां इंगलैंड में डेमोक्रेसी परिपक्व रूप में है और जहां से हमने कॉन्स्टीट्यूशन में लिया है कि जो प्रिविलेज के क्वश्चन वहां है वही प्रिविलेज हमारे माने जावेंगे, जो कि हाउस ऑफ कामन्स में माने जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष, हाउस ऑफ कामन्स का भी लिखित कॉन्स्टीट्यूशन नहीं है। इंगलैण्ड का कान्स्टीट्यूशन कन्वेन्शन्स पर चलता है और प्रिविलेजेज़ भी कन्वेन्शन्स पर चलते हैं। ऐसी हालत में हमें उनको देखना है जिनको कि इंगलैंड ने ऐसी सूरत में अपनाया है। उनके कन्वेन्शन्स को हमने अपनाया है और उसी के आधार पर हमारे यहां भी ऐसे केस हुए हैं। मैं पूर्व इसके कि वाकयात सदन के सामने रक्खूं मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि कौन कौन से एक्ट इस प्रकार के हैं जिनको देखने से यह कहा जा सकता है कि सदन की डिग्निटी पर उनसे असर पड़ता है।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे एक नया कन्वेन्शन बन जावेगा। जिस प्रकार से इस विषय को प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, आगे के लिए नये कन्वेन्शन्स बनेंगे हमारी राजस्थान विधान सभा में।

Page No.57

कु० श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान ही में नहीं, सारे हिन्दुस्तान में भी बनेंगे।

श्री रामकरण जोशी—मुझे यह भी दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह कन्वेन्शन इसलिये बन रहा है कि सदन के नेता में इतना आत्म विश्वास नहीं कि वे यह कह सकें कि हम पर जो चार्ज लगाया जा रहा है हम उसका सामना करने को तैयार हैं और उस पर कमेटी बिठाने के लिए भी तैयार हैं और उस कमेटी के वरडिक्ट को सहन करने को भी तैयार हैं। ऐसे वक्त में जिस वक्त कि ऐसे चार्ज लगते हैं जो ओनेस्ट होते हैं ईमानदार और सच्चे होते हैं वे कहते हैं कि हम हर परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार हैं, तुम भले ही इसका फैसला दुश्मन के हाथ में भी दे दो, हम सामना करने को भी तैयार हैं। पर आज हमारे यहां यह बात देखने को मिल रही है कि वे कमेटी भी नहीं बिठाना चाहते। कमेटी के फोर्मेशन से डर रहे हैं।

मैं आपसे कह रहा था कि क्या यह कन्वेन्शन हो जावेगा कि इसी तरह से बिना किसी मुकद्मे के, शुरुआत की कार्यवाही हुए बिना, बिना किसी पूरी जांच के हुए और बिना यह जाने कि यह प्राइमाफेसी केस बनता है कि नहीं, किसी भी सदस्य के बारे में विचारार्थ बहस के लिए समझ कर लिया जा सकता है। इससे आयन्दा के लिए ऐसा ही कन्वेन्शन बन जावेगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री मथुरादास माथुर से) आपको कोई एतराज है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर—किस बात का ?

श्री अध्यक्ष—जो ये कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर—आपका रूलिंग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—My ruling was given yesterday.

श्री रामकरण जोशी—मैं समझा नहीं कि वह रूलिंग का कन्वेन्शन क्यों बनता है; इस तरह का जैसा कि दुनिया में कहीं नहीं है और जब तक कोई प्राइमराफेसी केस नहीं बनता है उसके पहले ही हाउस में किसी भी सबजेक्ट पर डिसकशन करना ठीक नहीं होगा। अगर आज इसकी इजाजत मिल जावेगी और इस पर बहस की जावेगी तो क्या यही कन्वेन्शन आयेन्दा के लिये लागू रक्खेंगे आप ? आज की स्थिति दूसरी है। मान लीजिये कि इस मामले में ये चार्ज सच्चे लगाये जा रहे हैं और उनकी स्पिरिट देखकर आप यह कहते हैं कि यह एडमिट कर लिया जावे और किन्हीं भी परिस्थितियों में कह दिया गया कि बहस के लिये यह ले लिया जावे; पर माननीय अध्यक्ष, आपके हाथ में सदन को चलाने की जिम्मेदारी है और हरेक सदस्य की इज्जत की सुरक्षा भी आपके हाथों में है। आप एक तरह से कस्टोडियन हैं हाउस के। तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विचार करिये कि इसी तरह से पहले सारी बात को गौर से देखे बिना आप उनके ही कहने मात्र से इजाजत दे देते हैं ऐसे सब्जेक्ट को हाउस में डिस्कस करने के लिए या आपने कोई प्राइमाफेसी केस के बारे में बिना

[श्री रामकरण जोशी]

निश्चित निर्णय पर पहुँचे, इस वास्ते डिस्कस करने की इजाजत दे दी कि हाउस ही यह तय करे कि यह प्राइमाफेसी है या नहीं, एडमिशन के लायक हैं या नहीं; तो यह कन्वेन्शन मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा।

इस सिलसिले में माननीय सदस्यों ने अभी तक कन्वेन्शन की बात करते हुए इतना ही निवेदन किया है कि कन्वेन्शन वही काम में आता है जो आज तक ऐसे मामलों में हाउस ऑफ कोमन्स में या लोक सभा में काम में आता रहा है। तो यहां के लिये भी जो वहां के कन्वेन्शन्स हैं उन्हीं को ले लिया जावे और यदि नया कन्वेन्शन डाला जाता है तो आगे के लिए वही लागू होंगे और दूसरी जगह धारासभाएं होंगी वहां भी अपना यह नया कन्वेन्शन अमल में आवेगा, वे भी अपने यहां इसे अमल में लावेंगे। तो ऐसी बात है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम यह गम्भीरता से विचार करें कि क्या यह सही तरीका होगा। हमारे एक साथी के केरेक्टर पर विचार करने के लिए। इस तरह से एक नया कन्वेन्शन डालना उचित होगा कि बिना प्राइमाफेसी केस तय हुए केवल इसलिये कि कोई हममें से किसी से नाराज है और किसी साथी पर आक्षेप करके ऐसा रिजोल्यूशन प्रस्तुत कर दे हाउस में और फिर बहस के लिए भी ले लिया जावे, उसे तो किसी के पास मेजोरिटी है वह थोड़ी देर यहां की बातें बरदाश्त करके उसे रूल आउट करा देगा; पर मान लीजिये कि किसी के पास वोटिंग पॉवर नहीं है, माइनोरिटी में है, उस पर इसी किस्म के ऐसे दूसरे ही आरोप लगा दिये और वे झूठे भी हों भले ही, पर चूंकि वोटिंग से तय होगा इसलिये धान्धली उसके साथ होगी और बेइज्जत भी उसे किया जावेगा और आगे जाकर कोई एक्शन भी आयत हो गया तो इस तरह तो हमारे उस साथी का आगे सारा केरियर बिगड़ सकता है और जिसके पास मेजोरिटी है उस पर सही भी आरोप हों; पर चूंकि मेजोरिटी है इसलिये वह उसे रूल आउट करा सकेगा।

इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष से और उनकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कन्वेन्शन डालने के पहले इस पर हाउस को गम्भीरता से सोचना चाहिये कि हमारे साथी के खिलाफ, उसके कैरेक्टर पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से पहले हमको किसी कन्वेन्शन के बारे में विचार कर लेना चाहिये कि क्या यह परम्परा इस हाउस के लिये और इसी प्रकार की दूसरी विधान सभाओं के लिए मौजूं पड़ेगी। मैं चाहता था कि इस पर आप रोशनी डालें।

कुं० श्री जसवन्त सिंह— मालूम ऐसा होता है कि माननीय सदस्य, जिन्होंने इस वक्त यह ऐतराज उठाया कल सदन में मौजूद नहीं थे। कल मौजूद होते तो उनको यह कहने का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। यह ऐतराज जो कि आज मेरे माननीय मित्र ने उठाया उससे ज्यादा एतराज काबिल शब्दों में कल उठाया था और मैंने ओथोरिटीज़ क्वोट कीं और जिन ओथोरिटीज को कान्ट्राडिक्ट कोई नहीं कर सका और वैसे यहां दुनियां में दो केसेज देखने में आये, जिसमें कि जैसा

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

मेरे माननीय मित्र ने सुझाव दिया वे प्राइमाफेसी फेअरली कायम की गई। किसी मेम्बर के प्रति उसके आचरण पर हमला हो तो प्राइमाफेसी बनाकर और माइनोरिटीज़ का हक कायम रखने के लिए माननीय अध्यक्ष और सदन का हक रखने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी इसकी पहले जांच करें। मैंने जो ऑथोरिटीज़ क्वोट कीं वे ऑथोरिटीज़ अनइम्पीचेबल आथोरिटीज़ क्वोट कीं जिनके विरुद्ध कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं माननीय सदस्यों के लिए जो कि सदन में मौजूद हैं कहता हूं कि इतनी जबर्दस्त आथोरिटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया भी मानती है और जो मदर ऑफ पार्लियामेन्ट्स कही जाती हैं, यानि इंगलेन्ड का संसद है इन शब्दों को वह मानती है कि "The Speaker is the guardian of rights and privileges of the House, the Members and the committees thereof satisfies himself that before a motion of this character is brought in the House, the evidence, the explanation of the Member and such other facts as are rerevant to the case are conclusive of further investigation of the matter by a parlimentary committee and it is only after he has applied his mind to the fullest possible extent and come to his own conclusion that he allows such a motion being placed in the order paper. Then again he ensures that the motion is drawn up in proper terms so that there is defect in the procedural machinery."

इन उपर्युक्त शब्दों में जोरदार शब्दों में, वर्ल्ड की ऑथोरिटीज़ ने कहा है इस बात को जो हम हमारी विधान सभा में रख रहे हैं, उसके लिए हमें दुनिया में सबसे नीचे देखना पड़ेगा तो देखना यह है कि हम लोग जो माइनोरिटीज़ में हैं, जो कि विरोधी पक्ष में हैं, जो कि अपोजिशन में है, जिन्हें कि सिद्धान्त रूप से गवर्नमेन्ट की गल्तियां निकालनी पड़ती हैं उनका भविष्य इस सदन में अन्धेरमय है, और कोई भी अपने बहुमत के जोर से कोई माननीय सदस्य मेरे विरुद्ध प्रस्ताव ला सकता है, माननीय त्यागीजी के विरुद्ध कोई प्रस्ताव ला सकता है, श्री एच० के० व्यास के विरुद्ध ला सकता है, माननीय भैंरूसिंहजी के विरुद्ध ला सकता है। हम चार आदमी निशाना हैं गवर्नमेंट के, यह साफ कहने के लिए तैयार हूँ। यह जो प्रणाली हो रही है इससे बिल्कुल शंका है कि अगर माननीय अध्यक्ष हमारे हितों को नहीं बचायेंगे, रक्षा नहीं देंगे तो जैसी कि मेरे माननीय मित्र ने शंका जाहिर की है वह शंका हमारे दिल में कूट कूट कर भर गई है। गवर्नमेंट की जो २ गल्तियां हैं, दिल चाहता है कि कहें या न कहें। अगर कहेंगे, हमारी ड्यूटी अदा करेंगे तो यही डर है कि बहुमत के बल पर हमें कन्डेम किया जा सकता है। हम किसको कह सकते हैं? हम माननीय अध्यक्ष, आपसे ही कह सकते हैं। यदि आप इस डर से प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो ठीक है कि जो कुछ भुगतना पड़ेगा, वह भुगतेंगे, या हमें सिद्धान्त बदलने पड़ेंगे।

(श्री जवानसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Let the Leader give a reply. Sufficient debate was held yesterday and the Leader holds his view.

(श्री किशनलाल शाह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—No. All these things were discussed very widely.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं श्री किशनलाल शाह, दोनों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री हजारीलाल शर्मा—Who is in the possession of the House ?

श्री अध्यक्ष—The Leader of the House.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि कल से काफी वाद विवाद हुआ था-और जो एक कन्फ्यूज्ड पोजीशन पैदा हुई है उसके कारण मैंने प्रकाश डाला था कि अगर....

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, मेरा एक सवाल था वह कल की बहस से ताल्लुक नहीं रखता है। मैंने एक मोशन मूव किया था कि यह फ्युचर के लिए कन्वेन्शन नहीं बनेगा। गलत परम्परा जो कायम की जा रही है उसके बारे में मैं समझता हूँ व रुकें या न रुकें, लेकिन मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि यह आयन्दा के लिए कन्वेन्शन बन जायगा; आप ऐसा कहेंगे कि यह कन्वेन्शन नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—मैं यही कह रहा था कि उसका जवाब देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—I will give an opportunity. Let the Leader explain and then if there is anything to be said next, I will give an opportunity and even then if the hon'ble members are not satisfied, I will clarify the position.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इसको सदन में विचार के लिए बिना प्राइमा फेसी के सम्बन्ध में पहले फैसला किये जो यहां पर लिया था उसके कुछ कारण पैदा हुए थे और वह कारण यह था कि शुरू से इस सदन में माननीय सदस्यों के कन्डक्ट के सम्बन्ध में हम किस प्रकार से क्या करें उसकी परम्परा स्वस्थ स्थापित नहीं की गई। पिछले सदन में खुले आम चार्ज लगाया गया सदन में खड़े होकर। उसके बाद सदन के लिए प्रस्ताव यहां पर आया है। सदन की एक प्रोपर्टी के तौर पर वह प्रस्ताव

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बनाया जाता है। एक माननीय सदस्य का कन्डक्ट बराबर चर्चा का विषय बना रहे। मैं समझता हूं कि वह कोई माननीय सदस्य पसन्द नहीं करेगा। उस मजबूरी की स्थिति के अन्दर इस बात को यहां पर कहना पड़ रहा है, और मैं मानता हूं कि जो परम्परा हमारे यहां पर पड़ रही है या जो तरीका इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनाया गया है वह कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि एक राजनैतिक कारण से या किसी कारण से एक मामले को लेकर बराबर उसका बाहर प्रचार किया गया, यहां प्रचार किया गया। उस चीज को लाने के बाद लगातार चर्चाएं हुई, अच्छी और बुरी। लेकिन सबसे बड़ी जो आपत्ति थी कि एक सवाल को कायम रखें और खतम नहीं करें। उसके उपर बाहर और अन्दर बहस चलती रहे तो उसके लिए जरूरी है कि उसका फैसला हो जाना चाहिये, बजाय इसके कि उसको लिन्गर ओन किया जाय या पेन्डिंग रखा जाय। इस कारण से यहाँ पर रखा है। मैं स्वयं नहीं कहता कि स्वस्थ परम्पराएं इस बात को लेकर कायम की गई हैं। मुझे अफसोस है, माननीय अध्यक्ष, कि माननीय सदस्य ने मोशन में यह सुझाया है कि कमेटी मुकर्रर कर दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गलत परम्परा है। एक मेम्बर भी यह कह दे कि अमुक आदमी पर हमारा यह चार्ज है और एक कमेटी कायम करने के लिये एक मोशन मूव कर दो, तो उसके लिए मैं तैयार नहीं हूंगा।

श्री जसवन्तसिंह—यह गलतफहमी है, कमेटी एप्वाइन्ट करने का कोई सवाल नहीं आता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री जसवन्तसिंह—वह त्यागीजी हों या मैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, कल भी इस प्रकार की भावनाएं प्रकट की गई थीं कि अपोजिशन चेलेन्ज एक्सेप्ट करता है या नहीं, मेरे खयाल से यह प्रश्न अपोजिशन वर्सेज़ ट्रेजरी बेन्चेज़ का नहीं है या वाइस वरसा नहीं है। प्रश्न यह एक माननीय सदस्य के आचरण से सम्बन्ध रखता है, और वह सारे ही सदन का है। इसलिये मेजोरिटी और माइनोरिटी की दृष्टि से देखने में वह नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसा कि माननीय जोशीजी ने कहा कि यह ठीक है कि कल इस बात को आपने भी एडमिट कर लिया है, लीडर ऑफ दी हाउस ने भी कहा कि प्राइमाफेसी केस के निर्णय के बिना ही इस मोशन को एडमिट कर लिया जाय। मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ और मेरी कल से यह फीलिंग रही, कल भी मैंने यह निवेदन किया था कि इस प्रकार की परम्परा डालने की बात गलत होगी, अब गलत होगी और आयन्दा के लिये भी गलत होगी। यह सम्भव है कि इस प्रकार की परम्परा का दुरुपयोग आज नहीं हो, कल हो सकता है। दुरुपयोग हो या नहीं, हमें यहां पर एक स्वस्थ परम्परा डालनी है। इस दृष्टि से भी निवेदन किया था कि पहले आप स्वयं प्राइमाफेसी केस होने के बारे में अपने आपको सन्तुष्ट कर लें। जो कुछ अब तक कहा गया है

[श्री टीकाराम पालिवाल]

उससे तो ऐसा लगता है कि यह ठीक है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति है हाउस के सामने। आम तौर से यह परम्परा रही है कि जब किसी सदन के सदस्य के आचरण के प्रति किसी को खिलाफ बात मालूम है तो स्वस्थ परम्परा यह है कि वह सदन के नेता को वह चीज बतावे और सदन के नेता उस चीज के बारे में जांच करे और जांच के परिणाम की कार्यवाही से भी सदन के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श करें और दोनों ही जब एक मत हो जांय कि आया इस बात पर कि कोई प्राइमाफेसी केस है तब दोनों की राय से एक मोशन सदन में आवे और यदि दोनों एक राय के हैं कि प्राइमाफेसी केस नहीं है तो यह मेटर ड्रोप कर दिया जाता है। यही नहीं बल्कि इस हद तक जो सूचना दी गई है वह फेबुलस है, अकारण है, वैमनस्य के कारण है तो इस प्रकार की सूचना देने वाले सदस्यों के खिलाफ इस प्रकार का मोशन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज़ का लाया जा सकता है। यह परम्परा है और इन परम्पराओं को हम निभाना चाहते हैं। यह ज्यादा अच्छा होता कि जो चिट्ठी सदन में पेश की गई वह पत्र सदन के नेता को दिया जाता और सदन के नेता इस बारे में छानबीन करते। लेकिन यह नहीं हुआ किसी कारण से। या तो जिन्होंने इसे सदन में रखा है वे बतायें कि सदन में रखने के बजाय सीधी पेश करने में क्या शंका थी ? लेकिन वह हो गया। वह चिट्ठी यहां आई और जिनके द्वारा लिखी हुई थी उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन फिर भी यह कहा गया कि यह अमुक जगह नहीं पहुँची, वह अमुक परिणाम इसका नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न आया। जहां तक याद पड़ता है फरवरी १७ या १८ के आस-पास वह सदन में आई थी, उसके पश्चात् ५-७ सप्ताह सदन और चलता रहा। वह उपयुक्त समय था कि जिस समय के बीच सदन के नेता को उसके बारे में जांच करनी चाहिये थी और अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श होना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय ने कल जो पत्र यहां पढ़ कर सुनाये उनसे यह पता चलता है कि आपने पूछा भी और उन्होंने बताया कि जांच कर रहे हैं और इस बीच सदन स्थगित हो गया। कल मैंने निवेदन किया था कि लम्बा अरसा चला गया, इस बीच में आप का और सदन के नेता का सम्पर्क रहा है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता और यह मालूम होता है कि यह झूलता रहा है। या तो आपने स्वयं जानकारी लेने का प्रयत्न नहीं किया या सदन के नेता को जो जानकारी देनी चाहिये थी वह उन्होंने नहीं दी। तो जो कड़ी रह गई है वह अब पूरी की जाय और अब इसके तथ्यों में जाकर कि यह प्रेमाफेसी केस है या नहीं, आप स्वयं जानकारी लें और सदन के नेता से प्राप्त करें, और और स्रोत से प्राप्त करें। सदन के नेता से जानकारी करके आप दोनों एक निर्णय पर पहुँचें कि यह प्राइमाफेसी केस है या नहीं। यदि है तो अधिक अच्छा हो कि यह मोशन सदन के नेता की तरफ से आवे बजाय सदन के एक प्राइवेट मेम्बर की तरफ से आने के। प्राइवेट मेम्बर की तरफ से मोशन आना एक नई परम्परा होगी, जो उचित नहीं होगा। यदि ऐसी ही परम्परा डाली जानी है तो डाली जाय लेकिन वह अधिक स्वस्थ नहीं होगी। अच्छा यही होगा कि इसके औचित्य के बारे में सदन के नेता और आप मिल कर जांच करें और यदि माना जाय कि मोशन आना चाहिये तो वह सदन के नेता की ओर से आना चाहिये चाहे वे माननीय सदस्य इस ओर के हो या उस ओर के हों। इसमें अल्प मत और बहुमत, ट्रेज़री बेन्चेज और अपोजिशन का प्रश्न नहीं है। आप सदन के अध्यक्ष के नाते सामुहिक सदन की प्रतिष्ठा के संरक्षक है और मैं मानता हूँ कि

[श्री टीकाराम पालीवाल]

सदन के नेता का कर्तव्य है कि वे इस प्रकार का कार्य करेंगे जिससे सदन की परम्परा बढ़ती है, अभी बढ़ती है और आगे भी बढ़ती रहे; चाहे वे सदस्य किसी भी दल के हों, चाहे वे विरोधी दल के हों या इस दल के हों या कितने ही निकट के सम्बन्धी हों। जैसा उन्होंने कहा था कि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि इसमें कुछ तथ्य है तो वे कभी भी नहीं हिचकेंगे।

माननीय अध्यक्ष, जैसा आपने कल कहा था और जो तथ्य सामने आये थे और जो कुछ सदन के नेता द्वारा कहा गया उससे तो लगता है कि जानकारी पूरी नहीं की गई। जैसा कि माननीय श्री व्यासजी ने कल कहा कि उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, प्रस्तावक महोदय ने भी कहा कि उनसे भी कोई पूछताछ नहीं हुई और आपने भी जो कुछ कहा उससे मालूम होता है कि आपको जानकारी नहीं दी गई। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने दिनों तक लटका रहा जो नहीं रहना चाहिये था। पहले ही पूरा होना चाहिये था। जिसकी कार्यवाही सदन के पिछले अधिवेशन में नहीं होना भी दुर्भाग्य की बात है; यह किसकी गलती से हुआ, किस कारण से हुआ, किसने इसको लटकाना चाहा, इन चीजों पर बहस करने से लाभ नहीं। यह एक गलत परम्परा डाल रहे हैं। यह गलत परम्परा न केवल राजस्थान के लोगों के सामने बल्कि सारे देश के लोगों के सामने आयगी और लोग हंसेंगे कि यह भी एक विधान सभा है जो नई गलत परम्पराएं डालती है। वे लोग हमारी बुद्धि पर हंसेंगे, हमारी परम्पराओं पर हंसेंगे। यह अवसर हमें अन्य दूसरे लोगों को नहीं देना चाहिए। इससे हमारी व्यक्तिगत रूप से, दलों के रूप से और सामूहिक रूप से सदन की प्रतिष्टा बढेगी नहीं इस प्रकार के आचरण से। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ, कल भी कहा था कि हम जो चीज करें निष्पक्ष रूप से करें और भविष्य को ध्यान में रख कर करें। आज किसी कठिनाई को पूरा करने के लिये विशेष रूप से अनुकूल पड़ता हो लेकिन आगे के लिये वह अच्छा रास्ता नहीं है स्वस्थ नहीं है इस दृष्टि से वास्तविक परम्परा मानना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि अभी आप सदन के नेता की सम्मति से निश्चित करें कि इसकी जांच करके निश्चय करेंगे कि प्राइमाफेसी केस है या नहीं और उसके बाद यह चीज आयेगी। आज जो सदन में सदस्य बैठे हैं उनकी अलग २ राय हो सकती है—कोई कहेंगे कि प्राइमाफेसी केस बनता है, कोई कहते हैं प्राइमाफेसी केस नहीं है लेकिन पूरी जानकारी किसी ने नहीं की। जो कहते हैं कि प्राइमाफेसी केस है उन्होंने भी जानकारी नहीं की और जो कहते हैं ऐसा केस नहीं है उनके पास भी पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी रखी नहीं जा सकती सिवाय इसके कि मौखिक विरोध कर दिया। जो तथ्यपूर्ण कागज़ात हैं उनको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस फायल को देखना होगा जिसमें किताबों के सिलेक्शन के बारे में है। उसे आप देख सकते हैं, सदन के नेता देख सकते हैं। और भी बहुत सी बातों की जानकारी रखनी होगी जिनसे इनका सम्बन्ध हैं, उन्होंने जिनको प्रभावित किया उनसे जानकारी लेनी होगी। यह देखना भी जरूरी है कि जिस किताब का सिलेक्शन हुआ वह कैसी किताब है, किस प्रकार वह किताबों के सिलेक्शन में आई आदि। इनका निर्णय आपको और सदन के नेता को करना चाहिये। उसके बाद यहां आना चाहिए कि यह प्राइमाफेसी केस है या नहीं ? यदि नहीं है तो नेता

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसको ड्रोप कर देंगे और उसके बाद यदि यह पता चले कि श्री व्यास और श्री त्यागीजी ने वैमनस्य के कारण ऐसा किया है तो मैं कहूंगा कि सदन को अधिकार होगा उनके खिलाफ कार्यवाही करे।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, इससे पहले कि जो कांस्टिट्यूशनल पोइन्ट उठाया गया है, जो कल भी उठाया गया था और आज फिर विशेष चर्चा का विषय बना है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि क्या दो तीन घंटों के वाद-विवाद के पश्चात् इस पोइन्ट पर एक मत धारण कर लिया और तय किया कि इस मोशन को एडमिट करने की इजाजत दी जाती है और उसके बाद इसको प्रोग्राम में रखा। उसको लेकर वापिस चर्चा चल रही है और सदन का समय नष्ट किया जा रहा है। एक चीज को तय कर लिया है तो उसी चीज पर वापिस बहस हो, डिस्कशन हो और वापिस चर्चा का विषय हो; मैं तमाम बातों को मानता हूँ, जो विरोधी दल के नेता ने और दूसरों ने कही हैं, उनका तथ्य यह है कि जल्दबाजी की गई है लेकिन क्या सदन के रूल्स के अंतर्गत यह मानते हैं कि एक चीज को जब मान लिया गया है तो उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं ? उसमें एक षड़यन्त्र हो सकता है कि दूसरे रूप से कोशिश करके सदन के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप रूलिंग दें कि जो चीज कल तय हो गई उसको बार बार क्यों लिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा कुछ उल्लेख आया है।

अध्यक्ष महोदय, परम्पराओं के मुतल्लिक मेरा उल्लेख दिया है, एक माननीय सदस्य ने कहा है। बार बार परम्पराओं का उल्लेख, माननीय अध्यक्ष महोदय, किया जाता है और अभी अभी यह कहा गया, सदन के नेता ने कहा, दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि अच्छा यह होता कि वह पत्र जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया वह सदन के नेता के सामने प्रस्तुत किया जाता...

श्री अध्यक्ष—With regard to that the hon'ble member will have a right to speak when he speaks on the substantive motion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I only want to make a statement on that point, Sir.

I don't want to enter into any controversy.

श्री अध्यक्ष—Not necessary.

श्री हरिकृष्ण व्यास—परम्पराओं का जिक्र है इसलिए थोड़ा सा जिक्र कर दूं, बहस नहीं करूंगा, आधा मिनिट लूंगा।

वह पत्र इस सदन में इसलिये प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई कि मुझे इस बात का यकीन नहीं है और आज भी नहीं है कि ठीक जांच की जायगी। आज अध्यक्ष महोदय यदि मुझे इस बात की गारन्टी दें तो मैं एक दूसरा इस प्रकार का दस्तावेज सदन के नेता के पास पेश करूं और घंटे भर में सम्बन्धित कागज आप अपने कब्जे में ले लें तो मैं पेश करने को तैयार हूँ। वह नहीं हो तो फिर आवश्यकता होती है सदन के सामने पेश करने की।

आज मैं प्रस्तुत करने को तैयार हूँ, उस सदस्य के खिलाफ, उस भयंकर आदमी के खिलाफ शिकायत पेश करने को तैयार हूँ बशर्ते के वह दस्तावेज एक घंटे के अन्दर अन्दर अध्यक्ष महोदय के हाथ में आ जाय।

श्री लालसिंह शक्तावत (उपाध्यक्ष)—अध्यक्ष महोदय, इस सारे वादविवाद को सुनने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो सम्मति दी गई वह वापिस लेनी चाहिये। यह पहले जैसा कि और जगह हुआ है, सदन के नेता और अध्यक्ष महोदय इस विषय की जांच करें और जांच करके इस निर्णय पर पहुँचें कि यह कोई कमेटी कायम करने लायक मामला है तो फिर सदन के नेता इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें और जैसा कि और जगह हुआ है वैसा होना चाहिये।

इस विषय को श्री पालीवालजी, ने स्पष्ट किया, मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। कुछ भी जल्दबाजी में, जोश में, पूरा सुने बिना नहीं होना चाहिये और जो गलती जितनी हुई है वहीं से वापिस लौट जाना अच्छा होगा...

("हियर हियर" एवं करतल ध्वनि)

बजाय इसके कि आगे इसको पूरा करना, यह एक स्वतन्त्र राय मैं रखता हूँ और मेरी यही स्पष्ट राय है।

माना कि इस बात में वाद-विवाद होने के बाद बहुमत होगा कि कमेटी कायम नहीं की जाय। किसी सदस्य के विरुद्ध कोई सदस्य कोई आक्षेप लायें और वह आक्षेप साधारण तौर पर सदन के सामने रखकर उसके आचरण के विषय में ऊंची-नीची बातें कहने का मौका दिया जाय, यह उस सदस्य के लिये अनुचित है। फिर चाहे वह जीत जाय, सदन पास कर दे कि सारा गलत है पर जो जो बातें कही गईं वे वापिस नहीं ली जा सकतीं, पब्लिसिटी तो हो गई। इसलिये उस सदस्य की दृष्टि से यह अनुचित है कि इस तरह इस पर वाद विवाद हो।

[श्री लालसिंह शक्तावत]

माननीय अध्यक्ष जो सब के लिये जिम्मेदार हैं वे और सदन के नेता परी छानबीन नहीं कर लें और करने के बाद कोई ग्रेव सीरियस मामला महसूस करें जिसके लिये कमेटी मुकर्रर करना आवश्यक हो तो यह मामला सदन में लाया जाय वरना कई शिकायतें सदन के सदस्यों के खिलाफ रोजमर्रा आती हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ में कई शिकायतें आती हैं, सदन कोई जुडिशियल कोर्ट नहीं है। सदन को तो ऐसा आचरण जो सदन के सदस्यों की दृष्टि से आलोचनात्मक हो, जिसकी आलोचना सदन को करनी हो, ऐसा सीरियस हो तभी ऐसा मामला लाना चाहिये।

आगे जाकर भी इसको रोकना तो पड़ेगा ही, तो जितना आगे बढ गये हैं, वहीं इसे रोकना आवश्यक है। इसमें फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि बुरा लगेगा, गलती हो जाती है।

मेरे विचारों से सदन के ज्यादा तादाद में सदस्य सहमत होंगे। जहां आगे बढ़ गये हैं, जो खामी पहले रही है, सदन के नेता और अध्यक्ष उसको अनुभव करके अगर आवश्यक समझें कि सदन के सामने लाने का मामला है तो सदन के नेता उसे सदन में प्रस्तुत करें जैसी कि और जगह परम्परा है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट इसके लिये बोलना चाहता हूँ। वास्तव में अगर किसी चीज को दुरुस्त करें तो उसको देरी से भी हो तो स्वागत करना चाहूँगा दलीलें दी गई हैं, एक माननीय सदस्य के पक्ष में या विरोध में बहस हो, १० तरह के आरोप लगाये जायं, उनको अवोइड करने के लिये वे परम्पराएं थीं जिनका जिक्र माननीय उपाध्यक्ष ने किया, उनसे मैं सहमत हूँ।

सरकार के एक साधारण चपरासी के खिलाफ कार्यवाही करनी होती है तो उसकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो कर चुप चाप हो जाता है। तो अपने हाउस में माननीय सदस्य के खिलाफ डिबेट चले, १० प्रकार के आरोप लगायें जाय, यह ठीक नहीं। इसलिये जो सुझाव दिया गया है और माननीय उपाध्यक्षजी ने फरमाया है, मैं उनसे सहमत हूं। इस पर इसी तरीके से विचार किया जाय।

श्री बलवीर— माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों ने जो विचार सदन में रखे हैं, उनसे मुझे बड़ा अफसोस है। जब कल माननीय सदन के नेता ने कह दिया था कि मेरे खयाल से कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बनता और माननीय अध्यक्ष ने गलत या सही तरीके से मोशन मूव करने की इजाजत दे दी तो फिर अब नये सिरे से यह बहस क्यों की जा रही है कि इसे वापिस ले लिया जावे या नहीं ? वह समय निकल चुका है।

माननीय सदस्य के आचरण पर गलत बातें कही जा रही हैं जब कि यह लेटर, जिसके सिलसिले में मोशन है इसका कोई असर नहीं रहा, जिसको दिया गया उसके पास पहुंचा नहीं; यह Information कल सदन के नेता ने दे दी थी।

Page No.67

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)--आप लेटर के बारे में बोल रहे हैं या मोशन के बारे में ?

श्री बलवीर—मैं मोशन के खिलाफ बोल रहा हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—Are you advocating the cause of the Member against whom the motion is being moved ?

श्री अध्यक्ष—I think it has been sufficiently diseussed.

श्री बलवीर—सवाल यह है कि एक माननीय सदस्य के आचरण को यहां evolved किया गया है और आप उसे समाप्त नहीं होने देना चाहते और उसे pending में रखना चाहते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे मित्र श्री पालीवालजी ने फरमाया, मेरे विचार शुरू से ही थे, जब से यह बात सदन के सामने आई, मुझे बड़ा अनुभव हो रहा था इसलिए कि हम दुनिया में छोटे न दिखें और ऐसी परम्परा कायम नहीं करें; बहुत विचारने के बाद में और अपने प्रान्त के हित को अपने सामने रखते हुए; मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोगों के लिये अच्छी बात होगी और बहुत जोर से मेरे मित्र श्री त्यागीजी को निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को विदड्रा करें और जब वे विदड्रा करें तो मैं पूरी आशा करता हूं कि माननीय अध्यक्ष और माननीय चीफ मिनिस्टर भी हमें आश्वासन दें और हमें आशा है कि हमेशा जैसे उनके विचार रहे हैं वे देश और प्रान्त का हित देखेंगे और जो नोरमल चीज ऐसे कामों में होगी; करते हैं, करेंगे। यह प्रीलीमिनरी इन्क्वायरी माननीय अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर करें और अगर कुछ तथ्य हो तो उसको सदन के सामने लावें। यही हाउस ऑफ कॉमन्स में भी होता है। अगर ऐसा वातावरण नहीं बनावेंगे तो हम सबके लिए बहुत बुरी बात होगी। इन विचारों के साथ मेरे माननीय मित्र श्री त्यागीजी से निवेदन करूंगा कि अपने सब के हितों के लिये और बुरा न दिख पड़े, वे इस प्रस्ताव को वापिस लेंगे और मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से अपील करता हूं कि दुनिया में जैसी दूसरी जगह इस प्रकार की चीजें होती हैं, करें; माननीय अध्यक्ष के लिये इस मामले को साफ करें।

श्री वेदपाल त्यागी—I want to express my opinion on this. I will be the last man to lay down a convention which is not a healthy one.

[श्री वेदपाल त्यागी]

और मैं कभी इस बात को पसन्द नहीं करूंगा कि मेरे द्वारा इस बात का कोई कन्वेन्शन बने, आने वाली संतान यह कहे कि हम लोग डेमोक्रेसी को चलाने में नाकामयाब हैं। इसलिये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आपको इसके लिये एक पत्र लिखा था कि यदि इसको उन्हीं कन्वेन्शनों के आधार पर, जो इस सम्बन्ध में दूसरी जगह लागू होते हैं उनके अनुसार हमारे माननीय सदन के नेता और माननीय अध्यक्ष दोनों मिल कर इसकी इन्क्वायरी करें और उस इन्क्वायरी में प्राइमाफेसी अगर उनके सामने आवे तो जरूर सदन के सामने लावें। अगर प्राइमाफेसी जैसी कोई चीज सामने आवे तो चीफ मिनिस्टर इसको पेश करेंगे और अगर आप लोग इसके लिये तैयार हैं तो मैं अपने मोशन को खुशी से विदड्रा करने के लिये तैयार हूं।

(दोनों पक्ष से "हियर हियर" की आवाज एवं अनौपचारिक चर्चाएं)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू से कभी इस बारे में इन्कार नहीं किया कि अगर कोई परम्परा हाउस ऑफ कॉमन्स की है, चाहे हमारी Parliament की हो उन्हीं परम्पराओं के आधार पर अगर हम चलना चाहते हैं, उस पर न चलें, यह मेरी मंशा कभी नहीं है न रही है और न आगे रहेगी, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी को स्पष्टतया समझता हूँ। अगर सदन के माननीय सदस्य, जो परम्पराएं दूसरी जगह पर ऐसे अवसरों के लिये काम में ली जाती हैं लें, अपनी इन्हीं परम्पराओं के अनुसार हमारे यहां पर भी अच्छी कार्यवाही होनी चाहिये और उसके होने की आवश्यकता है तो उसको करने के लिये मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

("हियर हियर" विरोधी पक्ष द्वारा)

इसके करने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह मोशन यहां दे दिया गया है। माननीय अध्यक्ष, इसके सम्बन्ध में और कुछ कहना चाहें और जो विषय चर्चा का है वह इस सदन के जुरिस्डिक्शन के सामने है और दूसरी बातों पर विचार किया जावे और विचार करके जैसा पहले हमारा खयाल था कि सबस्टेन्सिव मोशन के तौर पर सदन के अन्दर हर हालत में इसको पेश करने का अधिकार है वह न समझ कर कि ऐसे केसेज़ में माननीय सदस्य के कन्डक्ट से सम्बन्ध है इसको दूसरा मव बताया कि इससे स्वस्थ परम्पराएं कायम होनी चाहिये और जब तक प्राइमाफेसी केस पहले इन्क्वायरी से साबित न हो जावे सदन में न आवे और यह स्पष्ट बात है, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, अभी यह बात साफ तौर से कही गई सदन के नेता की ओर से कि सदन के नेता और अध्यक्ष महोदय प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी करें। इस बात को स्पष्टतः सदन के नेता ने कुबूल नहीं किया।

(सदन में विरोधी पक्ष की ओर से आवाज 'कुबूल किया गया है')

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि इस सिलसिले में जो भी सुबूत, सरकारी कागजात आदि हैं वे अध्यक्ष महोदय और चीफ मिनिस्टर के पास एवेलेबल किये जावें। उस समय चूंकि मैंने यह खास तौर से रखा है, मुझे मौका अवश्य दिया जावे कि अध्यक्ष और सदन के नेता के समक्ष सरकारी कागजों के आधार पर बता सकूं और खातरी कर दूं कि प्राइमाफेसी केस है।

श्री अध्यक्ष—Order please!

जो वातावरण इस वक्त उपस्थित किया गया है उसके लिए तो मैं सदन के नेता को धन्यवाद देता हूँ लेकिन यह सारा वाद-विवाद मैं समझ नहीं सका। आखिरकार जो रास्ता, प्रोसीजर वह कायम कर रहे हैं और किस तरह चले तो मुझे स्वयं कोई दोष नहीं देना चाहिये कि अध्यक्ष का एक ऐसा प्रतिबन्ध है कि किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर यदि कोई सच्चा या झूठा आरोप लगाया गया है, वह इस पर अनुमति देने के लिये अधिकार रखता है। लेकिन वह आपत्ति कहां है जबकि सदन के नेता और माननीय सदस्य उसको सदन में लाना चाहते हैं। आखिरकार उस इन्क्वायरी का तात्पर्य तो यह हुआ कि प्राइमाफेसी केस है या नहीं और थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि वह प्राइमाफेसी केस बनता है एक की राय में और दूसरे की राय में कोई भिन्नता है तो उस सारे मामले को दबाये जाने की अपेक्षा वह सारा मामला सदन के सामने आये और वह विचार ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित माननीय सदस्य और सदन के नेता ने स्वीकार किया है कि अगर प्राइमा फेसी केस हो तो सदन के सामने रखने को तैयार हैं। तो मैं नहीं समझता कि यह ठीक है। जिन दो केसेज़ का हवाला दिया गया उनमें दो भिन्न परपज हैं और उनमें सदन के नेता और अध्यक्ष एक राय हुए थे और तब ही वह प्रश्न लिया गया था लेकिन अन्ततोगत्वा तो इसका सारा निर्णय, इसकी सारी तजवीज तो सदन करता है और प्राइमाफेसी केस मान लिया जावे और इसके बारे में भी कोई विभिन्न राय हो तो इसको भी सदन तय करेगा। यदि इस परम्परा में मतभेद की कोई बात नहीं रही कि इसमें कोई मतभेद हो, इसमें कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं। मैं समझता हूँ कि जो निर्णय लिया गया था कल वह उचित था और वैधानिक था। मैं स्वयम् उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन अच्छा वातावरण इस सदन में फैले तो मैं समझता हूँ कि मुझसे अधिक किसी को प्रसन्नता नहीं होगी और जो प्रस्ताव किया गया है मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ इन शब्दों के साथ।

(करतल ध्वनि एवं कुछ विराम के अनन्तर)

So now (विराम) Shri tyagi

Page No.70

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मुझको और सदन को विश्वास दिलाया गया है कि सदन के नेता अध्यक्ष महोदय के साथ साथ इसकी प्रिलिमिनेरी जांच करके बतावेंगे ...

श्री अध्यक्ष—One thing I may make clear. The Speaker will himself not make any enquiry. He will be associated with ths Leader. The Speaker is not a Executive Head. It is the duty of the Leader to take the Speaker into confidence.

श्री हरिकृष्ण व्यास—रेकॉर्ड यहां आयगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—No. It will be at the sweet will of the Leader.

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसमें तो गड़बड़ी हो जायगी।

श्री वेदपाल त्यागी—Ultimately it is......

श्री अध्यक्ष—I am not in-charge of the Government.

श्री वेदपाल त्यागी—Ultimately it is the function of the Leader in association with the Speaker to find out whether a prima facie case has been made or not, and in that event, if a prima facie case is made out, then of course the case will come before the House and if both of you come to this conclusion that there is no prima facie case, I will have no objection because we must reside our confidence at least in one man, who is known as the Speaker. The institution of the Speaker is a very sacred institution and every member of this House should reside his confidence in the Speaker. If you come to this conclusion that there is no prima facie case, then of course we will have no objection and if you come to the conclusion that there is a prima facie case then the case will be brought before the House.

With these remarks I am prepared to withdraw my motion and I withdraw it.

एक माननीय सदस्य—यह कुछ हुआ नहीं साहब।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have to add nothing to what I have said.

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, कुछ कन्फ्यूजन मालूम होता है। यह शर्त के साथ कहा जाता है और विज्युअलाइज़ (visualise) किया जाता है कि सदन के नेता की राय

[श्री टीकाराम पालीवाल]

कुछ हो और आपकी राय कुछ भिन्न हो, तब दूसरी तरह की कार्यवाही हो और यदि दोनों की राय मिलती हो तो दूसरी तरह की कार्यवाही हो, यह प्रस्तावक महोदय के कहने से मैं समझता हूं। अब तक की जो स्थिति है, सदन के नेता ने कहा है कि वे इसको नहीं मानते और अब आगे इन्क्वायरी स्पीकर महोदय नहीं कर सकते, जैसा उन्होंने कहा; तो आगे इन्क्वायरी होगी या नहीं यह भी मालूम नहीं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट तौर से कहा जाय कि आपके भी निर्णय में यह प्राइमाफेसी केस है या नहीं। मेरी समझ में नहीं आया कि वे विदड्रा करना चाहते हैं या नहीं। यह भी साफ नहीं है....

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, इस चीज़ में ..

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा—यह यहीं तक खत्म हो जाय, आगे कुछ नहीं होने वाला है।

(घंटी एवं शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, कल से स्पष्टतः सदन में काफी इस तरह का वातावरण हो रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस समय सदन में कुछ विचार नहीं रखूं और जब मुझे आप कहें उस वक्त बोलूं, लेकिन एक नई तजवीज सदन के सामने पेश हुई है। मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि सदन में कोई ऐसी परम्परा न बने जिससे कि भविष्य में सदन के किसी साथी के साथ में भी अगर कोई इस तरह की घटना घटे तो वह उसका मुकाबला न कर सके।

जहां तक मुझसे सम्बन्ध है, इस प्रस्ताव में जो कुछ भी त्यागीजी और दूसरे साथी चाहे इधर हों या चाहे उधर हों और जो प्रस्ताव रखने में हों या रखवाने में आगे हों...

श्री वेदपाल त्यागी—I have made it myself.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member should not get startled.

(हंसी)

श्री मथुरादास माथुर—जो कुछ भी इसके बारे में कहा जा सकता है वह पहले से ही सदन की मेज पर रख दिया गया। आज से छः महीने पहले जब इस प्रस्ताव पर, राजप्रमुख के

[श्री मथुरादास माथुर]

अभिभाषण पर चर्चा करते हुए और बजट पर बहस करते हुए इस सदन में, काफी कहा जा चुका और यह भी मैंने सुना है। मैंने आपको उत्तर शीघ्र ही दे दिया था और लीडर ऑफ दी हाउस ने भी थोड़े समय में जो कुछ जांच करके उन्होंने अपना वक्तव्य सदन में दिया था। यह सब सदन की मेज पर मौजूद है। उसके बाद में त्यागीजी ने एक प्रस्ताव रखा आखरी दिन और उस वक्त हाउस एडजोर्न हो गया और उन दिनों हाउस प्रोरोग हो गया इसलिये छः महीने तक ऐसा प्रस्ताव नहीं आया, सदन के नेता महोदय फर्दर इन्क्वायरी नहीं कर सके। उसके बाद फर्दर इन्क्वायरी की उन्होंने मुझे पत्र लिखा, मुझसे जवाब मांगा, दूसरी शहादतें इकट्ठी कीं, जो कार्यवाही मुनासिब समझी वह काफी थी या नहीं थी मैं वह नहीं कह सकता। उन्होंने मुझसे पत्र लिख कर जवाब पूछा और मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद त्यागीजी ने जोर दिया कि एडमिट होना चाहिए, वह एडमिट हुआ और आपने एलान किया। जहां तक मुझसे सम्बन्ध है मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर इस प्रस्ताव पर बहस होती है तो हो। अब परम्परायें अच्छी नहीं होंगी। परम्परायें अच्छी नहीं हैं इसको जानते हुए इस सदन में कुछ लोग उतारू हैं कि गलत परम्परायें लागू हों। इस सदन को बहस करने का अधिकार है या नहीं, इस पर भी कुछ चर्चाएं हुईं। मैं अपनी बरियत इस तरह देना चाहता हूँ कि इस सदन को अधिकार है कि वह इस पर विचार करे, सदन के सदस्यों को सजा करने का अधिकार हो तो अवश्य करे, अगर नेता इन्क्वायरी करना चाहें तो अवश्य करें, अगर अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी करना चाहें तो अवश्य करें, अगर कमेटी बना कर इन्क्वायरी करना चाहते हैं तो अवश्य करें।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

अगर हाउस को अधिकार नहीं होने पर हाउस के बाहर, कानूनी तौर पर हाउस में नहीं आ सकता है तो माननीय एच. के. व्यास हैं, त्यागीजी हैं, वे इसकी जांच करें और मन को तसल्ली दें।

(करतल-ध्वनि)

मैंने सोचा नहीं था। मैंने तुरन्त कहा था जिसको चिट्ठी कहा जाता है, जो एक लाइन की चिट्ठी है, मैंने लिखी है। मथुरालालजी ने क्या किया मैं नहीं जानता। उनके पास पहुँची या नहीं पहुँची, सदन के नेता ने कहा नहीं पहुँची और कोई जिरह की जाय, कमेटी की जाय, मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि अगर हाउस में अच्छी तरह की परम्परायें कायम करने के लिये होता है तो मैं उसमें बाधक नहीं होउंगा, पूरी कमेटी के सामने तैयार हूँ। जो साथी कहना चाहें, बुरी से बुरी बात कहें, मुझे कहने का हक था। अगर मैंने कोई कुसूर किया है तो मैं सजा पाऊं, सदन नहीं देगा तो मैं अपने आप ले लूं। जो खत लिखा है, मैं इकबाल करता हूँ कि लिखा है। उस चिट्ठी को लेकर अगर मैंने कोई ग्रेटिफिकेशन किया हो या सेटिस्फेक्शन रिसवी किया हो, किसी

[श्री मथुरादास माथुर]

दुर्भावना से लिखा है और मुद्गल केस में जो जो बातें सेटिस्फेक्शन और दूसरी बातें थीं, सदन के जुरिस्डिक्शन में आती हैं या नहीं, इन दोनों में जो कुछ कहा गया आपने पढ़ा होगा। ये केसेज़ हाउस में रेफर किये गये हैं मैंने भी पढ़े हैं ।

अगर उसी तरह का यह केस होता है तो हाउस ही उसकी इन्क्वायरी करे। जहां तक इस सम्बन्ध में होने वाली छींटाकशी का सवाल है मैं माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में कि बहुत छींटाकशी हो चुकी, उसको बरदाश्त किया और सुना है। इस हाउस में इस प्रस्ताव पर ही नहीं दूसरे प्रस्तावों पर और यहां तक कि लैन्ड रेवेन्यू बिल पर अमेंडमेंट के सिलसिले में छींटाकशी इस तरह की हुई जो विधान सभा के इतिहास में संसार भर में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहां तक कि व्यभिचार से सम्बन्धित बातों तक का भी उल्लेख किया गया था इस दौरान में। ये सब बातें इसलिये होती हैं कि सदन में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि इस देश में अनार्की स्थापित हो और इस देश की इन्फेन्ट्स डेमोक्रेसी को वे मरडर करना चाहते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ और आपको तसल्ली देता हूँ कि जो भी निर्णय अध्यक्ष करें या नेता करें या त्यागीजी करें वह मुझे मन्जूर है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर सब इस बहस का क्या परिणाम है ?

एक माननीय सदस्य—कमेटी बिठा दो ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कमेटी बिठाने का कोई सवाल नहीं ।

मैं यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि एक बात जो विरोधी दल के नेता ने कही उस पर मैंने अपनी बात कही। मैं समझता हूँ कि उसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ पहले कहा मैंने उसमें। उसके बाद ऐसा लगा मुझे कि श्री त्यागीजी अपने विदड्रॉअल को कुछ कन्डीशनल बना रहे हैं। यह स्पष्ट होना चाहिये ।

कुं श्री जसवन्तसिंह—इस प्रकार का सुझाव सदन में मैंने रखा था। जो सुझाव मैंने रखा था उसमें यह कन्डीशन रखी थी और इधर त्यागीजी से अपील की थी कि वे अपने मोशन को विदड्रा करलें और आपसे मैंने यह अपील की कि उनके विदड्रा करने के बाद में आप कृपा कर जो फोर्मेलिटीज़ ऐसी बातों में हुआ करती हैं आप और अध्यक्षजी मिल कर जांच करें, अगर प्राइमाफेसी केस बनता हो तो वह हाउस के सामने आये...

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्पीकर की राय में प्राइमाफेसी हो और दोनों की राय डिफर करती हो तो वह हाउस के सामने आना चाहिये, यह एक नई चीज है इसलिये मैंने निवेदन किया ।

कुं श्री जसवन्तसिंह—मेरा प्रोपोजल यह था कि ऐसी बातों में जो परम्परायें चली आ रही हैं वैसा ही कार्य हो। अगर उसमें स्पीकर महोदय एग्री न करें तो न आयें। मेरे सुझाव के माफिक और दो केसेज़ जो पहले हुए हैं जिनके एक्सट्रैक्ट्स से यह सिद्ध है कि अगर दोनों एक मत न हों तो वह मामला सदन में आयेगा। यह जो सुझाव मैंने सदन के सामने रखा वह विधान सभा के हित के लिये, माननीय सदस्य के हित के लिये, अपने और दुसरों के हित के लिये है। इन बातों को मेरे मित्र त्यागीजी ने माना और मेरा जहां तक ख्याल है माननीय मुख्य मंत्री भी इसे मानेंगे। इसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, जो कुछ मैंने कहा उस पर जो गलतफहमी पैदा हो गई, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो किसी मेम्बर के कन्डक्ट के खिलाफ चार्ज होते हैं तो यह सदन के नेता का कर्तव्य है कि इसकी प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी करके स्पीकर को अपने साथ एसोसियेट करके, स्पीकर की रजामन्दी से यदि वे इस नतीजे पर आते है कि यह प्राइमाफेसी केस नहीं तो हो इसे सदन में लाने की आवश्यकता नहीं। अगर दोनों में से एक भी इस नतीजे पर पहुँचता है कि प्राइमाफेसी केस है then there is no need for further enquiry and further action.

दोनों इस नतीजे पर आते हैं कि प्राइमाफेसी केस है तो माननीय सदन के नेता को मोशन मूव करना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाय जो आज तक किसी केस में देखने में नहीं मिला। माननीय नेता कहें यह प्राइमाफेसी केस नहीं और स्पीकर यह कहे कि यह प्राइमाफेसी केस है। ऐसी स्थिति में भी वह सदन के सामने आना चाहिये। क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिनमें सदन की प्रतिष्टा का सवाल है। सदन के स्पीकर कस्टोडियन हैं। उनकी जो कुछ राय है उसके आधार पर आगे चलना चाहिये। मैंने यह बात स्पष्ट करने की पहले भी कोशिश की थी, हो सकता है मैं उसको स्पष्ट न कर सका हूँ। इसी कनवेन्शन को फॉलो करने के लिये मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ और लेने के लिये तैयार हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर चुका था। प्रोसीजर की डिटेल्स में जाना एक अलग सवाल है। मैंने यह स्पष्ट कहा था कि जो परम्परा हाउस ऑफ कोमन्स में, हमारी यहां की पार्लियामेंट में है ऐसे मामलों के बारे में काम में लाई जाती हैं, उनका पालन करने के लिये मैं तैयार रहूँगा।

श्री वेदपाल त्यागी—मैं भी पालन करने के लिये तैयार हूँ और रहूँगा और आपकी भी जो आज्ञा होगी उसको भी मैं मानूंगा।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि जो सवाल मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया उस सवाल पर आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं, सब लोग आपसे सुनना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अभी तक फोर्मल विदड्राअल का मोशन होना बाकी है।

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि विदड्राअल का मोशन हो चुका।

एक माननीय सदस्य—पर्मिशन ऑफ दी हाउस भी लेनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member 'is agreeable to the discussions which have taken place in the House he should move for leave for a formal withdrawal of the motion; if not, then I will take it that he does not want to withdraw it-with all the implications of the discussion that has taken place.

श्री वेदपाल त्यागी—Of course I have already submitted before the House and after having expressed myself on the procedure that is to be followed, I have already submitted before the House that I, in that event, take leave of the House to withdraw the motion.

श्री अध्यक्ष—There can be no conditional withdrawal. The withdrawal will be complete and absolute. the Hon'ble Member must bear in mind all the implications of the withdiawal.

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. Speker, Sir, when the procedure is being followed, I have got no reservations in my mind. I make it clear that when the Leader of the House and the Speaker both will sit together and make preliminary enquiry, then of course I shall have no reservations in my mind.

श्री अध्यक्ष—I can adjourn the House for half an hour so that the differences may be resolved and a formal withdrawal motiont may come.

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने जो बात रखी है कि इसलिये हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाय; by adjourning the House for half an hour we will lose nothing. The way will be clear

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—Mr. Speaker, Sir, I have not been able to understand why this interval of half-an-hour is necessary when we have expressed ourselves clearly.

श्री टीकाराम पालीवाल—यह बहुत खुलासा मालूम होता है कि जो बात अध्यक्ष महोदय ने कही, जो बातें नेता महोदय ने कहीं और जो बातें प्रस्तावक महोदय ने कहीं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों अलग अलग चीजें सोच रहे हैं और तीनों के तीनों एक साथ नहीं हैं, एक चीज नहीं सोच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—Yes. The House may come after consultation with the Leader, the mover, Leader of the Opposition and other Members to any decision. We will meet at five past twelve, i. e. 15 minutes later.

(इसके पश्चात् ११।५५ से १२।१२ तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही)

(श्री अध्यक्ष पुन: पदासीन)

श्री वेदपाल त्यागी—I beg leave of the House to withdraw my motion.

(करतल–ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—I thought I was late but the members are still......

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—I think the bell should be used.

श्री अध्यक्ष—Order please ! श्री वेदपाल त्यागी का प्रस्ताव है कि जो मोशन उन्होंने श्री मथुरादास माथुर के आचरण के सम्बन्ध में सदन में प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

I may take it as unanimous.

एक माननीय सदस्य—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—So the leave to withdraw is granted.

श्री वेदपाल त्यागी—I withdraw my motion.

श्री अध्यक्ष—Now we come to the Jagir Resumption Bill.

सदन के भविष्य के कार्य-क्रम सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, प्लान के डिसक्शन के सम्बन्ध में हम शाम को अगर मीट कर सकें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—I have no objection.

कुछ माननीय सदस्य—No, no.

श्री अध्यक्ष—I think that would be very interesting topic. One thing I may inform the hon'ble members that we are not meeting onwards tomorrow. Only tomorrow we will be sitting.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ लेजिस्लेटिव बिज़नेस इस प्रकार है कि जो समाप्त नहीं होता है तो हमें १७ को भी मीट करना पड़ सकता है। क्योंकि इस बहस ने काफी समय ले लिया है और यह इस पर भी निर्भर करेगा कि हम प्लान पर कितना समय लेते हैं। मैं समझता हूँ कि १७ को तो हमें मीट करना ही होगा।

श्री अध्यक्ष—The first business is Jagir Resumption.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जागीर रिजम्पशन पहले है। पंचायतों के बारे में अमेंडमेंट मूव किया गया है, इसलिए इसको लेना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—That will ripe on the 17th.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That is why I have said that we are meeting on the 17th.

श्री भैरू सिंह (वि० सं० १६)—वह पंचायत अमेंडमेंट बिल आसानी से पास नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—Let the Government be prepared to provide business for the hon'ble members. We will go on meeting.

श्री भीमसिंह—आज शाम को रख लिया जावे तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि १७ को लोग नवरात्रि के लिए जाना चाहेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, आज शाम को, कल सुबह और फिर शाम को मिललें और उसके बाद १७ तारीख को अगर मिलना आवश्यक होगा तो मिलेगें। कई बिल लेने हैं।

श्री जसवन्तसिंह—आज शाम को और कल सुबह और शाम को बैठ जांय, लेकिन कल शाम तक यह खत्म हो जाना चाहिए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—on a point of privilege, Sir, it would be very inconvenient to the hon' ble Members to attend the meetings of the House in the morning and then in the afternoon. If it is at all necessary we can meet on Monday but not in the afternoon.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि जैसे आज सुबह और शाम और कल शाम तक दो बार मिल लें और पंचायत बिल में सदन सहयोग देगा पास कराने में। बहुत स काम तो कल शाम तक कर सकते हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—We can go on meeting on the 17th, 18th and 19th.

("No, No" की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—Instead of meeting twice why should we not meet from 11 to 5

("It is batter, it is correct" की आवाजें)

श्री भोलानाथ—१७ को बुला रहे हैं तो दो बार मीट करने की आवश्यकता नहीं है। १७ के बाद १८ को बुलाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—I will decide it. I am very pained that in simple matters of regulating the days of business of the House we have to come to face such a difference of opinion. I will decide it and members, those who want to go may go and those who want to participate in the discussions, they will participate.

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, जब हम १७ को मिल रहे हैं तो...

श्री अध्यक्ष—Before we rise I will make an announcement in th House. So we come to the discussion on the consideration of the Jagir Resump-on Bill.

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण संशोधन विधेयक, १९५५
(अग्रेतर विचार-विमर्श)

(श्री हरिकृष्ण व्यास के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री दामोदरलाल व्यास—Mr. H. K. Vyas had finished, I think.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I was asked by the Hon'ble Deputy Speaker to resume my seat as the time was up.

श्री दामोदरलाल व्यास—But he had spoken at length.

श्री अध्यक्ष—Brevity is the soul of wit.

श्री दामोदरलाल व्यास—He had already spoken for twenty minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—At the moment I am going into the very material point, Sir. So I do not want to enter into the other part of it, Sir.

मैं यह अर्ज कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि जब यहां पहले सदन में बहस हुई थी तब से बराबर यह कहा जाता था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हमें विशेष सुविधा देनी पड़ी हो, और यह भी कहा जाता था कि यह जो आंकड़े बताये जाते हैं वे आंकड़े भी गलत हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद जो खुद राजस्थान सरकार का प्रेस नोट आया हुआ है उसके अनुसार सरकार ने इस बात को कुबूल किया कि दूसरे सारे राज्यों के मुकाबले में धनराशि के रूप में ज्यादा कम्पेन्सेशन हमने राजस्थान में दिया है। ऐसी परसेन्टेज़ हमने मुकर्रर की है।...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि इस एमेन्डमेन्ट बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट किया जाय या नहीं, लेकिन यहां माननीय सदस्य ओरीजिनल बिल पर बहस कर रहे हैं। उसका इस एमेन्डमेन्ट बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस एमेन्डमेन्ट बिल की एक क्लॉज़ इस तरह की है कि जब तक कम्पेन्सेशन एसेस नहीं हो तब तक प्रोवीज़नल कम्पेन्सेशन देने का अधिकार सरकार को दिया जाय। यदि इस क्लॉज़ की आवश्यकता है तो स्वयं ही इस सारे के सारे बिल को पास करने की बात है। जो क्लॉज़ इसमें सरकार ने रखी है उसका संबंध ओरीजिनल बिल से तो होगा। उसको कैसे छोड़ा जायगा? यह पांच साल में रिज़्यूम हो जायगा, यह बात रखी है। यह संशोधन ओरीजिनल पॉलिसी से अपने आप संबंध रखता है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार एक बात साबित हो गई सरकार की जबानी कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में, समझौते की दृष्टि से समझ लीजिये या व्यवहारिक दृष्टि से समझ लीजिये अथवा सरकार ने जो कुछ भी समझा है उस समय उस प्रश्न को शामिल करने के लिए, अति उदारता बरती गई। यदि और कोई शब्द सरकार को पसन्द न हो तो 'अति उदारता' उनको मान्य होगा। इतना होने के बाद में भी यदि ऐसी स्थिति हो कि कुछ लोगों ने उस कानून का फायदा नहीं उठाया और समय पर अपने आवेदन नहीं किये तो उसकी जिम्मेवरी उन सलाहकारों पर पड़नी चाहिए कि जिन्होंने उनको ऐसी सलाह दी। उनकी जिम्मेवरी फिर सदन पर, सरकार पर और दूसरे लोगों पर क्यों पड़े ? यह एक गलत परम्परा हम यहां पर डालेंगे। एक धारा का संम्बध जहां तक आवेदन की अवधि बढ़ाने का है उसके बारे में यह एतराज है।

दूसरा उसमें जो सुझाव दिया है वह अन्तरिम कम्पेन्सेशन के सिलसिले में आ रहा है। उसके बारे में मेरी यह मान्यता है कि इसको युनिवर्सल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी हैसियत के जो लोग हैं, छोटे जागीरदार जो हैं उनके सिलसिले में यदि सरकार यह कहे कि मामूली सी रकम है और उसे निर्णय करने में ही इतना समय लग जाय, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं उनको थोड़ासा मुआवजा कुछ अंश के रूप में, कुछ रुपया दे दिया जाय। लेकिन इस धारा को आम रूप से प्रस्तुत किया गया है। हम यह चाहते हैं कि कल इस पंचवर्षीय योजना को बात करेंगे और जैसा कि लगभग राजस्थान के हर समझदार आदमी को मालूम है कि इस योजना के सिलसिले में काफी बड़ा डेफिसिट हमारे सामने आ रहा, है सरकार के एस्टीमेट के मुताबिक लगभग ३५ करोड़ रुपये का है और उसको पूरा करने की जिम्मेवरी, यदि उस योजना को क्रियान्वित करना है, तो उसकी जिम्मेवरी राजस्थान के हर आदमी को होगी, क्योंकि सिंचाई की बड़ी २ उपयोगी योजनाएं उसके अन्तर्गत हैं। तो मेरी यह मान्यता है कि छोटी हैसियत के जागीरदारों का प्रश्न है उनके लिये दरअसल में इन्टेरिम कम्पेन्सेशन का अधिकार सरकार ले ले, लेकिन साथ ही साथ यह भी दुरुस्त करे कि आने वाली बड़ी विशाल योजनाओं को देखते हुए बड़े २ जो जागीरदार हैं उनका पेमेन्ट ५ साल के लिए पोस्टपोन करे जिससे कि वह पैसा इस बड़ी योजना के काम में आ जाय और वह डेफिसिट...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं फिर अर्ज करूंगा कि he is suggesting new amendments to original Bill whereas he should confine himself to the present Bill.

श्री अध्यक्ष—I will limit the time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am myself aware, जैसी आपकी आज्ञा। इस क्लॉज़ के सिलसिले में कह रहा था कि इंटेरिम कंपेन्सेशन का अधिकार दिया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—That has nothing to do with this. You are not within your rights to speak about that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Obviously I am perfectly within my right to suggest that and the general right of this sort is not called for. I would say that the hon'ble member has pricked my suggestion of the postponement. He can in reply to this say that he does not want to say but why he should prick ?

श्री अध्यक्ष—If the hon'ble member discusses something which is beyond the scope of this Amending Bill I think he has not got that right. If the hon'ble members want that certain clause of the Amending Bill are lacking and this should also be added, then they are welcomed but the clause which are dealing with this Amending Bill only can be relevant and anything beyond the scope of this is not allowed in the House.

श्री हरि कृष्ण व्यास—Within those very sections, Sir, I am going to suggest that in this form it is not necessary. But unnecessarily I am led into the procedure.

श्री अध्यक्ष—At 12-30 I will like you to finish.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will also. तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय मैं तो एक सिद्धान्त के रूप में और एक सुझाव के रूप में अर्ज कर रहा था कि अधिकार लेने की जहां बात है वहां अधिकार एक न्यायपूर्ण उसूल की तहत लिया गया हो तो समझा जाय। इन्टेरिम कंपेन्सेशन का अधिकार जो सरकार ले रही है वैसा अधिकार यदि इस स्ट्रक्चर पर ले रही है कि जहां तक छोटे जागीरदारों को देने का सवाल है हमें इन्टेरिम कंपेनसेशन देने का अधिकार दिया जाय और बड़े बड़े जागीरदारों का जहां प्रश्न है वहां उसे पोस्टपोन करने का अधिकार दिया जाय; तो यह क्लॉज़ कुछ काम की होती और समझ में आता। आज के रूप में इसका कोई खास अर्थ नहीं होता। वैसे तो यदि यह क्लॉज़ बिल में नहीं होने पर भी ऐसा सुना जाता है कि ६ अक्टूबर के लगभग इन्टेरिम कंपेनसेशन के मामले तय हुए थे, जब कि यह क्लॉज़ नहीं थी और आज हो गया उसकी क्या आवश्यकता प्रतीत होती है इसका क्लेरिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स एंड रज़ीन्स में नहीं है। यदि क्लेरिकल मिस्टेक्स से ताल्लुक है तो वे वैसे ही दुरुस्त की जा सकती हैं। ५ साल की अवधि रखी है वह इस प्रकार रखने के बजाय इसको कर देना ज्यादा मौजू होता और दो धाराएं एक धारा, कंपेन्सेशन की अवधि बढ़ाती और दूसरी धारा इन्टेरिम कंपेन्सेशन के लिये अधिकार देती है। इसके बारे में मैंने अर्ज किया, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का संशोधन आवश्यक नहीं है। इन शब्दों के साथ राजस्व मंत्रीजी के प्रस्ताव का विरोध प्रदर्शित करता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

Page No.82

कु० श्री जसवन्तसिंह—The time is over, Sir

श्री अध्यक्ष—So we meet this afternoon. At what time ?

कुछ माननीय सदस्य—At four o'clock, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—एजेन्डा क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—The same, Jagir Resumption Bill.

श्री भैरोंसिंह—आगे का प्रोग्राम क्या होगा ? कुछ लोग बाहर जाने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—We will meet at 4 P. M. and the next programme will be decided when we rise. By that time we will be able to assess, what more time we will need.

(विराम)

Now we adjourn

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२.३० मध्यान्ह को सांय ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१४ अक्टूबर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव
राजस्थान विधान सभा

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों को अनुमति है)

प्रश्न

393 (88 CM) Shri Sangram Singh, M. L. A. (Division No. 134) :- Will the Minister for Local Self Govt. please state:—

How many persons have been employed in the Water Board in District Udaipur ?

उत्तर

Four (as below) :

1. Shri Kishanlal Sharma (Secretary)
2. Shri Peeru Bhai (worker)
3. Shr Kodan Lal "
4. Shri Ghanshyam "

प्रश्न

३६४ (१४ एफ.एम.) श्री चांदमल मेहता एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७:-क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में नये वन कायम करने में राजस्थान के निर्माण के बाद कितने रुपये खर्च किये गये ?

(ख) उक्त वनों में ऐसे कितने वन हैं जो निगरानी नहीं होने की वजह से साफ हो चुके है ?

उत्तर

(क) इस ओर नये वन कायम नहीं किये गये। ऐसी अवस्था में खर्च का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न

395 (90/C..M) Shri Sangram Singh, M.L.A. (Division No. 134):-Will the Minister for Local Seff Govt. supply the following information regarding Water Board work in District Udaipur:-

1. The number of persons employed with their names and salaries ?

2. If the persons employed are only Congressites ?

3. The number of wells dug, names of villages and expenses incurred by the Government so far on each well.

उत्तर

(1) Four as below:—

1. Shri Kishan lal Sharma (Secretary)	Rs. 150/- p.m.
2. Shri Peeru Bhai (worker)	Rs. 70/- p.m.
3. " Kodan lal "	Rs. 60/- p.m.
4. " Ghanshyam "	Rs. 60/- p.m.

(2) The appointments are not made by Government or out of Government funds, the expenses are met by private funds. The Rajasthan Water Board has, however, informed that these appointments are made not on party basis but on merits.

(3) The required list has been placed on the table of the Assembly.

(उत्तर की सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

३९६ (१६/एफ. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७:— क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) 'पेड़ लगाओ' आन्दोलन में राजस्थान के निर्माण के बाद किस वर्ष में कितना २ रुपया खर्च किया जा चुका है ?

(ख) किस २ वर्ष में कितने २ पेड़ लगाये गये और इस वक्त उन पेड़ों में कितने पेड़ मौजूद हैं ?

(ग) पेड़ लगाने के संबंध में क्या कोई निश्चित योजना सरकार द्वारा प्रति वर्ष बनाई जाती है ?

(घ) यदि हां, तो किस २ वर्ष में क्या २ योजना थी और उक्त योजना को किस हद तक कार्यान्वित किया गया ?

उत्तर

(क) वन विभाग के बजट में 'पेड़ लगाओ' आन्दोलन के लिए कोई अलग मद नहीं होने के कारण यह तो सही तौर पर नहीं बताया जा सकता कि इस कार्य में प्रति वर्ष कितना खर्चा हुआ। ऐसा खर्च बोआई और रोपण (Sowing and Planting) के मद से किया जाता है जिसमें जमीन तय्यारी, बोआई, नलाई (weeding) एवं नर्सरी पर खर्चा शामिल है जो निम्न प्रकार है :—

वर्ष		रुपये
१६५०-५१	–	३६, ६४४
१६५१-५२	–	३०, ३६४
१६५२-५३	–	२०, २५७
१६५३-५४	–	६०, ४६३
१६५४-५५	–	८६, १३५

(ख) निम्न प्रकार है :—

वर्ष	पेड़ संख्या जो लगाए गये	पेड़ संख्या जो मौजूद है
१६५०-५१	१, ६४, ६००	३१, ७००
१६५१-५२	२, ६२, ३००	६५, ६००
१६५२-५३	१, ६८, ६००	४६, ३००
१६५३-५४	१, ६२, ५००	७१, ६००
१६५४-५५	५, ६७, ४००	१,६३, ७००

(ग) जी हां।

(घ) सन् १६५० से प्रति वर्ष वन-महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव के दिनों में कई पेड़ लगाये जाते हैं। इसके अलावा वन विभाग से पौधे भी दिये जाते हैं। सन् १६५२-५३ व १६५३-५४ में नर्सरियें बनवाई गई और सन् १६५४-५५ में करीब २०० एकड़ भूमि में पौधे लगाए गए। भविष्य में अधिक भूमि में पौधे लगाये जाने की योजना है।

प्रश्न

३६७ (४०/एफ. एम.) श्री भैरूंसिंह, एम. एल. ए., डिविज़न नम्बर १६:-क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) क्या यह सही है कि जू विभाग, जयपुर में श्री रामनारायण वल्द रूपनारायण अहीर को जू अधिकारी नियुक्त किया गया ?

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ?

(ग) श्री रामनारायण ने इस नियुक्ति के लिये किस दिन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया और किस दिन इस पर नियुक्ति के आदेश जारी हुए ?

(घ) जिस समय कि रामनारायण की नियुक्ति हुई उस समय क्या राजस्थान के कोई मुलाजिम सरप्लस में नहीं थे ?

(ङ) श्री रामनारायण की दरख्वास्त के साथ किन किन लोगों के आवेदन-पत्र आये थे और उनका क्या हुआ ?

(च) क्या यह सही है कि कस्टम विभाग के कई कर्मचारियों ने इस स्थान पर नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र दिये थे ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) स्थान रिक्त होने और श्री रामनारायण के उपयुक्त अधिकारी होने के कारण मुख्य वन संरक्षक द्वारा अस्थाई रूप से ६ मास के लिए नियुक्ति की गई।

(ग) श्री रामनारायण ने १२-२-१६५५ को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और तारीख २६-२-१६५५ को नियुक्ति के लिए आदेश जारी हुए।

(घ) जी नहीं। डिवीज़नल कमिश्नर से non-availability certificate लिया गया था।

(ङ) श्री रामनारायण की दरख्वास्त के साथ और कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ। इनकी नियुक्ति होने के बाद श्री परमानन्द भारती से १८-३-५५ को और श्री भैरूसिंह से ६-६-५५ को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

(च) जी नहीं।

प्रश्न

३९८ (२०/एम. एल. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविज़न नम्बर ८७:-
क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. राजस्थान में कितनी म्युनिसिपैलिटीज़ को म्युनिसिपल क्षेत्र में जमीन बेचने का अधिकार प्राप्त है ?

२. ऐसी कितनी म्युनिसिपैलिटियां हैं जिन्हें ऐसे अधिकार सन् ५४-५५ के आरम्भ में थे लेकिन गत वर्ष छीन लिये गये हैं ?

३. उक्त अधिकार किन किन कारणों से छीने गये हैं ?

उत्तर

क. २८ नगरपालिकाओं को। जो ये हैं—

१.	कोटा	१५.	भवानीमंडी
२.	बांरा	१६.	डूंगरपुर
३.	बूंदी	१७.	सगवाडा
४.	पाटन	१८.	गालियाकोट
५.	नैनवा	१९.	बांसवाडा
६,	लाखेरी	२०.	प्रतापगढ़
७.	किशनगढ़	२१.	शाहपुरा
८.	सरवार	२२.	कुशलगढ़
९.	सिरोंज	२३.	भीलवाड़ा
१०.	छबडा	२४.	चित्तोड़
११.	निम्बाहेडा	२५.	उदयपुर
१२.	पिडावा	२६.	जोधपुर
१३.	झालावाड	२७.	बीकानेर
१४.	झालरापाटन	२८.	जयपुर

ख. किसी भी नगरपालिका के ऐसे अधिकार नहीं छीने गये हैं।

ग. प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्न

४०४ (६/एस. आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७:— क्या पुनरस्थापन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) १ जनवरी, १९५५ के बाद कितने शरणार्थियों को कुल कितनी रकम मुआवजे के रूप में दी गई ?

(२) किशनगढ़ सब डिविजन के किन किन शरणार्थियों के मुआवजे के मामले अभी तक सरकार के विचारधीन हैं ?

उत्तर

(क.) जनवरी से अगस्त सन् १९५५ तक २,५७९ अलॉटमेंन्ट्स को निम्न प्रकार मुआवजा दिया गया

१. नकद ३८,१४,३१८ रु०

२. इन्तकाल

जायदाद द्वारा ८७, ८४१ रु०

३. सार्वजनिक बकाया

के दाखले के जरिये २५,०६,९५६ रु०

पूर्ण योग:— ६४,०९,११५ रु०

(ख) ४३ क्लेम अभी विचाराधीन हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

सूची

1. श्री नारूमल प्रीतमदास
2. ,, डीयलदास लीलाराम
3. ,, गिदुमल टीकूमल
4. ,, कोदूमल तुलसीदास
5. ,, फागुनमल टेऊमल
6. ,, हुकुमतराय रामचन्द
7. ,, नारूमल पोपटमल
8. ,, आसनदास गेहीमल
9. ,, थांवरदास पमनदास
10. ,, राजूमल हेमनदास
11. ,, चेतनदास होतचन्द
12. ,, लीलाराम टेकचन्द
13. ,, नाउमल कुन्धोमल
14. ,, बन्सीमल लालचन्द
15. ,, मोहनलाल लालचन्द
16. ,, शामदास कुन्दीमल
17. ,, साधूराम विशनदास
18. ,, टोपूमल रामचन्द
19. ,, जैसाराम वाधूमल
20. ,, चन्दीराम मंघनदास
21. ,, भूरामल दूलाहनोमल
22. ,, हुन्दलवास हरूमल
23. ,, चक्कनमल सावरमल
24. ,, फागनदास नारायणदास
25. ,, शामदास वेडोमल
26. ,, चिमनदास थारूमल
27. ,, लीलाराम परसोमल
28. ,, हजारीमल जैऊमल
29. ,, ननसाराम नन्दीराम
30. ,, नानकमल व्यापारीमल
31. ,, किशनामल नारूमल
32. ,, डेटाराम ग्वालदास
33. ,, उत्तमलाल दयालदास
34. ,, दूलाराम रात्रोराम
35. ,, मदनदास वेडोमल
36. ,, लाहोरीदास ताराचन्द
37. ,, जुमडोमल चन्दीराम
38. ,, गुरदनोमल मोजीमल
39. ,, टीकमदास मन्घनमल
40. ,, रीझूमल रतनदास
41. ,, दूलादीनोमल साधूराम
42. ,, रोचलबाई वल्लीराम
43. ,, पेसूमल रीझूमल

प्रश्न

४०७ (१०/एस. आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७:—क्या पुनर्स्थापन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. १ जनवरी, १९५५ के बाद पुनर्स्थापन विभाग द्वारा कितने शरणार्थियों को कुल कितने रुपये कर्ज के रूप में दिये गये ?

२. किशनगढ़ सब डिविजन के किन २ व्यक्तियों को उक्त कार्य-काल में कर्ज दिया गया ?

३. किशनगढ़ सब डिविजन के कर्ज के कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं ?

उत्तर

१. १८० शरणार्थियों को रु. ५,०६,३६० दिये गये।

२. श्री छबलदास, मंगूमल, रिफ्यूजी स्कूल को, ६, ३५६ रुपये दिये गये।

३. एक भी नहीं।

प्रश्न

४१४ (१३२/पी.डब्ल्यू.एम.) श्री धर्मपाल पंवार, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३७:- क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कितने जिला बोर्ड तथा नगरपालिकाओं के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों को ओनरेरियम मिलता है?

(ख) वह ओनरेरियम किस किस को कब से तथा कितना कितना मिलता है?

उत्तर

क. राजस्थान में जिला बोर्ड के अध्यक्षों को कोई ओनरेरियम नहीं मिलता। १३ नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को ओनरेरियम मिलता है; किन्तु उपाध्यक्षों को नहीं।

ख. १३ नगरपालिका के अध्यक्षों को इस प्रकार ओनरेरियम मिलता है:—

	नाम		द्रव्य	तिथी प्रारम्भ
१.	अध्यक्ष नगरपालिका,	किशनगढ़	७५ मासिक	१. ४. ५४
२.	,,	सीकर	१०० ,,	१. ४. ५३
३.	,,	करोली	१०० ,,	१. ४. ५४
४.	,,	टोंक	१०० ,,	२२. ४. ५४
५.	,,	धौलपुर	१०० ,,	१. ४. ५४
६.	,,	बीकानेर	३०० ,,	१. ४. ५४
७.	,,	राजगढ़	१०० ,,	१. ४. ५४
८.	,,	बांसवाड़ा	७५ ,,	१. ३. ५२
९.	,,	बांरा	५० ,,	अक्टूबर, ५४
१०.	,,	चूरू	१५० ,,	१. ४. ५३
११.	,,	कुम्भेर	५० ,,	२८. ६. ५४
१२.	,,	जोधपुर	१३० ,,	१. ४. ५४
१३.	,,	चोमू	१०० ,,	१. ८. ५४

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर देखिये)

शरायतनामा मुतालिक ठेका जुबली बार एन्ड कैफे रेस्टोरेन्ट महकमा जू वास्ते पांच साल तारीख २८-१-४६

(१) इस रेस्टोरेन्ट का नाम जुबली बार एन्ड कैफे रेस्टोरेन्ट है। इस नाम को ठेकेदार बदल नहीं सकेगा।

(२) इस रेस्टोरेन्ट में कुल फर्नीचर व सामान ठेकेदार अपना जाती रखेगा और सरकार किसी किस्म का फर्नीचर व सामान नहीं देगी।

(३) जितना सरफा मुतालिक बिजली, पानी का होगा उसकी अदायगी ठेकेदार ही करेगा।

(४) इस रेस्टोरेन्ट में किसी किस्म की मुतालिक इमारत ठेकेदार रद्दो बदल बगैर इजाजत मः जू के प्राप्त किए नहीं कर सकेगा।

(५) मुताल्लिक लेसन्स (बार) शराब महकमा, महकमा ऐक्साइज को सिफारिस जरूर कर सकता है मगर लेसन्स दिलवाने की जुम्मेवारी महकमे हाजा की नहीं होगी। दीगर महकमे जात के सब कानून रेस्टोरेन्ट पर लागू होंगे। उसके लिए महकमे हाजा की कोई जुम्मेवारी नहीं होगी।

(६) इमारत में किसी किस्म का नुकसान ठेकेदार या उसके नोकरों द्वारा यदि कभी होगा तो उसका हरजाना ठेकेदार से राज उचित कारवाई समझकर वसूल करने का हकदार होगा।

(७) सम्वत् २००७ राज का शुरू होते ही जो खोमचे वाले, चाट, पात, पतासी, मिठाई, आइसक्रीम इत्यादि चिड़ियाखाने में बैठते हैं, उनको वहां से हमेशा के लिए उठा दिया जावेगा मगर चिड़ियाखाने में जो आमदनी फोटोग्राफरों की होती है उसको नहीं तोड़ा जायगा और जू के चिड़ियाखाने के अलावा और हिस्से में जो खोमचे वाले बैंटते हैं वे भी बैठते रहेंगे। खोमचे वालों के लिए मनादी सिर्फ चिड़ियाखाने की होगी।

(८) इस ठेके की मियाद तारीख मन्जूरी महकमे, महकमा मजाज से आ जाने पर उसी तारीख से पांच साल की होगी और उन पांच सालों में किसी भी वक्त ठेकेदार से होटल सरकार

जप्त नहीं कर सकेगी और बाद पांच साल ठेका यानी ठेके की मियाद खत्म बाद इस रेस्टोरेन्ट पर ठेकेदार का कोई हक नहीं रहेगा और राज इस इमारत को मरजी माफिक काम में लेने का हकदार होगा फक्त ।

ह० केसरी सिंह अफसर

महकमा जू

ह० रामगुलाब
ठेकेदार जुबली बार रेस्टोरेन्ट

ह० लक्ष्मण सिंह
सुपरवाईजर जू

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ४०८ का उत्तर देखिये)

S. N. 1	Name of Doctor. 2.	Transfers. 3.	Reasons. 4.
1.	S. R. Kakaria	Baggar to Jaisalmer (Jhunjhunu) (Jodhpur) February, 1954.	Complaint.
		Jaisalmer to Kalandri (Jodhpur) (Sirohi) Dec. 1954 after 10 Months.	Complaint.
		Kalandri to Kotah (Kotah) (Sikar) July, 55 after 4 months.	Transferred as A. H. O. Jhunjhunu & Sikar Distts.
2.	Kishan Singh Inda.	Siwana to Jalore (Jalore) (Jalore) June, 1954.	Complaint.
		Jalore to Kalandri (Jalore) (Sirohi) Sept. '54 after 3 months.	,,
		Kalandri to Jaisalmer (Sirohi) (Jodhpur) Mar. 55 after 4 months.	,,
		Jaisalmer to Bijolian (Jodhpur) (Bhilwara) Sept. 55 after 6 months.	,,
3.	R. P. Sharma.	Bikaner to Ganganagar (Bikaner) (Ganganagar) Nov., '54	No vacancy existed at the time of his re-instatement. Hence posted at Ganganagar.

1.	2.	3.	4.
		Ganganagar to Hanumangarh (Ganganagar) (Gangangar) Dec. 54 after one month.	There was a vacancy at Dispensary Hanumangarh. He being senior most in the Distt. was transferred there.
4.	M. N. Agarwal.	Tijara to Reengus (Alwar) (Sikar) (Sikar) Nov. 1954.	Complaint.
		Reengus to Mahwa (Siker) (S. Madhopur) Jan. 55 after 2 months.	"
5.	Kamal Nayan.	Udaipur to Kapasin (Udaipur) (Chittore) June 54	To fit in new Drs. in the Hospital.
		Kapasion to Rikhabdeoji (Chittor) (Udaipur) July 55 after 12 months.	Complaint.
		Rikhabdeoji to Udaipur (Udaipur) (Udaipur) Aug., '55 after 1 month.	"
6.	N.D. Maheshwari	Bansur to Kotkasim (Alwar) (Alwar)Jan. '55.	Complaint.
		Kotkasim to Baswa (Alwar) (Jaipur) May 55 after 4 months.	"
7.	Nand Lal Dhoot	Jodhpur to Nagaur (Jodhpur) (Nagaur) Aug. '54.	"
		Nagaur to Banswara (Nagaur) (Banswara) Dec. 54 after 4 months.	"
		Banswara to Jalore (Banswara) ((Jalore) May, 55 after 5 months.	"
8.	G. D. Narang.	Jaipur to Kushalgarh (Jaipur) (Banswara) June, 1954.	He was transferred due to his promotion.
		Kushalgarh to Pali (Banswara) (Pali) Aug. '54 after 2 months.	Complaint.
		Pali to Niwai (Pali) (Tonk) Jan. 55 after 5 months.	"

1.	2.	3.	4.
9.	Balu Ram	Mandrail to Kotah (S. Madhopur) (Kotah) Nov. 54	Due to lack of residential accommodation.
		Kotah to Baran (Kotah) (Baran) Dec. 54. after 1 month..	He was transferred to fit the other promoted medical officers.
		Baran to Rajsamand (Kotah) (Udaipur) June 55 after 6 months.	Due to urgent requirement of a M.O. at Community Development Block.
10.	Mangat Ram	Nagar to Weir (Bharatpur) June 54.	Complaint.
		Weir to Nagar (Bharatpur) Sept. 54 after 3 months.	,,
		Nagar to Jaipur (Bharatpur) (Jaipur) May, 55 after 8 months.	,,
		Jaipur to Kotah (Jaipur) (Kotah). July, 55 after 2 Months.	

राजस्थान विधान सभा

१४ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक--१४ अक्टूबर, सन् १९५५

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ४-१० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५५

(कुछ समय तक गण-पूरक न होने के कारण)

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मन्त्री) कोरम हो गया।

माननीय अध्यक्ष, यह जो अमेंडमेंट माननीय तनसिंहजी ने पेश किया कि इस अमेंडमेंट बिल को पब्लिक ओपिनियम के लिये सर्कूलेट कर दिया जाय, यह आवश्यक नहीं है। यह साधारण सा अमेंडमेंट बिल है। जो कहीं क्लेरिकल मिस्टेक्स हो गई हैं, उनको ठीक करने के लिये या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ उसके ऊपर अमेंडमेंट आवश्यक थे, वह किये हैं। मैं नहीं समझता कि इसे पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्कूलेट करने से क्या नतीजा निकलेगा? लेकिन यह जरूरी है कि इस वक्त जो यह अमेंडमेंट बिल है इसको देखेंगे तो मालूम होगा कि सिर्फ ऐसे सेक्शन्स में अमेंडमेंट किये जा रहे है कि जिनमें पहले गलती से कोई शब्द रह गये थे या जल्दी में ज्यादा शब्द जोड़ दिये थे।

सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वह सब माननीय सदस्यों को विदित है, 'इस्तमुरारदारी' शब्द जागीर की डेफिनेशन में रह गया था उसको अमेंड करने के लिये यह संशोधन पेश किया जा रहा है।

जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिया वह इस अमेंडमेंट से सम्बन्ध नहीं रखता, इसलिये मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि श्री तनसिंहजी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसे मंजूर नहीं किया जाय और इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडर कर लिया जाय।

श्री तनसिंह—मेरे संशोधन के विषय में जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया वह वही था जो मैंने कहा था। यह मैंने कहा था कि ये दो रीज़न्स बताये गये हैं ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में; पहला तो यह कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया इसलिए यह संशोधन बिल पेश किया गया है, दूसरा यह कि कुछ क्लेरिकल एरर्स रह गई हैं। यही माननीय मंत्री महोदय ने कहा। पर मैंने कुछ बातें कहीं उनके बारे में माननीय मन्त्री महोदय प्रकाश डालते तो पता चलता कि यह अमेंडमेंट बिल पेश करने की क्या आवश्यकता थी? भूस्वामियों से समझौते के संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्टीकरण में इस विषय में डिनाई किया। उन्होंने यह इतना स्पष्ट नहीं किया व उन्होंने लिख कर नहीं दिया अगर ऐसा करते तो मैं उनके दस्तखतों की चीज सदन में पेश करता। ..

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं फिर अर्ज करूंगा कि भू-स्वामी संघ, समझौता या स्टेटमेंट वगैरह इस अमेण्डमेण्ट से सम्बन्ध नहीं रखते। बहस ही करना है तो वह बात अलग है।

श्री तनसिंह—मैं निवेदन कर रहा था कि उन्हें आवश्यकता क्या पड़ी इस कानून को बदलने की? उन्होंने सिर्फ यही दो कारण बताये कि इजारादार, इस्तमुरारदार का जागीर की डेफिनेशन में रहना और दूसरा कारण बताया क्लेरिकल एरर्स रह जाती हैं, उनको ठीक करना। लेकिन मैंने जो बातें खंड ५, ६ और ८ के बारे में बताई थीं उनके बारे में माननीय मन्त्री महोदय जवाब देते तो मैं मानता कि वे जवाब देना चाहते हैं, या यही जवाब है। वे जवाब नहीं देते हैं तो इसका यही खयाल होता है कि सिर्फ बहुमत के बल पर ही कहते हैं कि इनके अमेंडमेंट को निरस्त कर दिया जाय। यह तो उनकी दलीलों में कोई महत्व नहीं है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे इस प्रस्ताव को बहुमत से पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री तनसिंहजी ने "दी राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एन्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (संशोधन) विधेयक, १९५५" को पब्लिक ओपिनियन के लिये प्रसारित करने हेतु जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित)

The motion is automatically dropped

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि "दी राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एन्ड रिज़म्शन ओफ जागीर्स (संशोधन) विधेयक, १९५५" को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । बिल विचारार्थ लिया जाता है ।

(विराम)

Clause 2, Shri Bhairo Singh.

(अनुपस्थित)

Shri Bheem Singh

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ २ पर जो प्रोविजन है वह इस दृष्टिकोण से है कि यहां जो डेफिनिशन के शब्द "occupied" की मूल एक्ट में नहीं थी वह इसमें नई डेफिनिशन जोड़ी जा रही है । ऐसी स्थिति में जो डेफिनिशन हो वह ऐसी होनी चाहिए कि पूरी परिभाषा को कवर कर सके और उसमें कोई चीज ऐसी नहीं रहनी चाहिये कि जो इस डेफिनिशन से ताल्लुक रखने वाली बाहर रह जाय । इस डेफिनिशन को देखने से जो मैंने डेफिनिशन दी है उसके अलावा कोई ऐसी जमीन भी है जो किसी के कब्जे में होते हुए भी इस डेफिनिशन से कवर नहीं होती । नीचे 'अनओक्युपाइड' के लिये यह कर दिया है :

'unoccupied lands' mean lands which are not occupied."

तो इस 'अनओक्युपाइड' में भी नहीं आती, ओक्युपाइड में भी नहीं आती; तो मैं समझता हूँ कि यह डेफिनिशन इन्कम्प्लीट रह जाती है । इसलिये चौथी लाइन में दो शब्द और बढ़ाने हैं ।

"In sub-clause (a) line four after the word 'tenant' the following words be inserted:- 'or a jagirdar' ".

इस शब्द को जोड़ने से मेरा अभिप्राय यह है कि यदि आपने यह डेफिनिशन मुलाहिजा की हो तो ३ केटेगरीज़ 'ओक्युपाइड' मानी हैं :

[श्री भीमसिंह]

1. Let out to
2. In the occupation of a tenant, and
3. Include Khudkasht

तो कुछ जमीन ऐसी रह जाती है जो खुदकाश्त की परिभाषा में नहीं आती। जिस वक्त खुदकाश्त के इन्दराजात हुए थे तो जिनमें काश्त होती थी वही जमीनें दर्ज की गई थीं। जिनमें घोड़ों के लिये घास रखा जाता था, या भेड़ों को चराते थे, जिन जमीनों पर अहाते बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, वह जमीनें इसमें दर्ज नहीं की गई थीं। तो ऐसी सूरत में वे जमीनें न खुदकाश्त में आती हैं, न वे टिनेन्ट्स के कब्जे में हैं, तो वे जमीनें इस डेफिनिशन से कवर नहीं होतीं।

मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य कुछ गलतफहमी में हैं कि यह डेफिनिशन कम्पेन्सेशन कायम करने के लिहाज से है। मैं उन्हें बता दूं कि जागीरदार की जमीन खुदकाश्त में इन्क्लूड कर दी गई है, उनके कब्जे की जमीन है उसका उनको कम्पेन्सेशन दिया जायगा। तो ऐसी सूरत में शब्द 'जागीरदार' एड करने से कोई मतलब नहीं। जो जमीन ग्रेजिंग के काम में आती थी, या और कुछ काम में आती थी, उनके कब्जे में थी और ग्रेजिंग फीस वगैरह लेते थे; तो हमने इस एक्ट में प्रोविजन रखा है कि कम्पेन्सेशन compute करके दिया जायगा।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने रखा है वह आवश्यक नहीं, इसलिये इसे जैसा मैंने रखा है वैसे ही स्वीकार किया जाय।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इसे समझेंगे और अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री भीमसिंह—मैं समझता हूँ कि खुदकाश्त की डेफिनिशन में वह जमीन नहीं आती। खाली घास की ही नहीं, बीड़ की ही नहीं, ऐसी जमीनें हैं जिन पर पक्के डंडे हैं, घर बने हुए हैं। तो डेफिनिशन तो कम्प्लीट होनी चाहिये। तो ऐसी सूरत में जो आश्वासन दिया गया है कि माननीय मन्त्री महोदय आगे खुदकाश्त की डेफिनिशन में तरमीम करेंगे......

श्री दामोदरलाल व्यास—तरमीम करने का मैंने नहीं कहा, आप गलत समझ गये।

श्री जवानसिंह—यह भी तो घास ही काटा है।

श्री भीमसिंह—ऐसी सूरत में मैं अपना संशोधन विदड्रॉ करने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसिंह—मैं वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से, जोड़ा गया।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ३ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा क्लॉज़ ४ के सम्बन्ध में यह संशोधन है कि शब्द "अगस्त" के स्थान पर शब्द "दिसम्बर" प्रतिस्थापित किया जावे और मेरा ख्याल है कि जितने भी संशोधन इस विषय में आये हैं वे इसी आशय के हैं मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब यह अक्टूबर में बन रहा है तो अगस्त के वक्त की लिमिट आप प्रेस्क्राइब करते हैं इससे...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य का संशोधन मैं स्वीकार करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—श्री भीमसिंह ।

श्री दामोदरलाल व्यास—इनका भी वही संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह ।

(अनुपस्थित)

इनका भी वही है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, जब माननीय मन्त्री महोदय ने इसको मान लिया है तो कोई प्रश्न नहीं रहता ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री तनसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ५, श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जिस स्प्रिट से माननीय मंत्री महोदय ने पहले कार्य किया है उसी स्प्रिट में इसे भी मंजूर करेंगे, क्योंकि यह धारा जो पेश की गई है रिलक्टेन्ट है । इस धारा में ऐसा बताया गया है कि आप जागीर लैंड को ५ साल में ले लेंगे । आप

[श्री तनसिंह]

उनको दो सालमें ही लें। एक साल में ही लें, और चाहे जब ही लें आप ले सकते हैं। फिर ५ साल का अर्सा क्यों रखा जा रहा है। इसके रखने से आपको ५ साल के लिये बाध्य होना पड़ेगा और इससे पहले आप अगर रिज्यूम नहीं कर सके या इस अर्से में रिज्यूम नहीं कर सके या आपके ऑफिस में समय लग जाय, यह लग सकता है, कागजातों में समय लग जाए तो यह ५ साल का लम्बा अर्सा क्यों रखा जाता है? अगर ५ साल में यह काम नहीं होगा तो गवर्नमेंट को फिर कोई एमेन्डमेंट लाना होगा या कोई कार्यवाही करनी होगी। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह संशोधन माननीय तनसिंहजी का स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—The question is that......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस पर माननीय अध्यक्ष और भी एमेन्डमेंट हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—Of the same nature.

श्री अध्यक्ष——श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—I move my amendment.

श्री अध्यक्ष—It has already been moved.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I also move my amendment. I only want to add one word to what my friend Tan Singhji has said.

लेकिन जब हम इस प्रोविजन को रखना नहीं चाहते तो वे क्यों रखना चाहते हैं? हम कहते हैं कि हम रखना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष—श्री भैंरूसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री तनसिंह ने क्लॉज़ ५ में रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ में श्री तनसिंह का इस क्लॉज़ को डिलीट करने का संशोधन स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप क्लॉज़ ५ डिलीट किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६, कु० श्री जसवन्तसिंह।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, क्लॉज़ ६ में वर्ड "ट्री" को ओरिजिनल एक्ट से डिलीट करने की प्रार्थना की गई है। मैं माननीय मन्त्रीजी से एक पोइन्ट पर क्लेरीफिकेशन कराना चाहूँगा। यह "ट्रीज़" जिस क्लॉज़ से हटाने का कहा गया है अगर वह हटा दिया जावेगा तो इसकी तहत में जो फ्रूट्स के ट्रीज़ जागीरदारों के रखे गये हैं उसमें मिसअन्डरस्टेन्डिग हो जावेगी कि दूसरे किस्म के ट्रीज़ जो हैं जिनकी जागीरदारों की मिलकियत मान लिया गया है, खुदकाश्त की जमीन के हैं और दूसरे दरख्त हैं, अगर यह मान लिया जावेगा तो बाद में तकलीफ होगी और दूसरा एमेन्डमेंट सरकार को उसको सुधारने के लिये रखना पड़ेगा और दिक्कत रहेगी। अगर माननीय मन्त्रीजी का उन ट्रीज़ से कोई सम्बन्ध नहीं है जो जागीरदारों की खुद की मिलकियत मान लिये गये हैं, इसमें आप कृपया आश्वासन दें कि जो ट्रीज़ उसमें नहीं हैं, खुदकाश्त में नहीं और जागीरदारों की मिलकियत मान ली गई है उसके अलावा हैं, वर्ना इस पर असर पड़ेगा। असर तो जरूर पड़ेगा। इसलिये आप कृपया साफ समझा दें। उसके बाद में हम ट्रीज़ शब्द को डिलीट करने के लिये रजामन्द होंगे नहीं तो मेरा एमेन्डमेंट यह है कि इसको ड्रोप कर दिया जावे।

श्री दामोदर लाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि यह क्लॉज़ है वह बिल्कुल बेमाने है। यह क्लेरीकल एरर है और इसको तो हटाना बहुत आवश्यक है। जहां तक फ्रूट ट्रीज और दूसरे जागीरदारों की मिल्कियत के ट्रीज़ का सम्बन्ध है सरकार को निश्चित नीति है और उनके वे राइट्स बदस्तूर रहेंगे। इसके अलावा एमेन्डेड बिल पेश कर दिया गया है कि वे उनके फ्रूट ट्रीज़ के अलावा होगा। मेरे खयाल से जो बात मैंने साफ कर दी है उससे वह अपना एमेन्डमेंट वापिस ले लेंगे और जो मैंने कहा है वह इसके लिये काफी होगा।

श्री जवानसिंह—मुझे तो बोलने का मौका दिया जावे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जो आपने अभी फरमाया वह हाफ हार्टेडली फरमाया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने सैकिन्ड एमेन्डेड बिल पेश कर दिया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तब मुझे इसको विद्ड्रा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(श्री जवानसिंह से) आप कुछ कहेंगे?

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास—और कोई ओकेज़न आवेगा तो कहेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री भीमसिंह।

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय,.... ... .

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री जसवन्तसिंहजी के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार...

श्री दामोदरलाल व्यास—स्वीकार नहीं साहब, विद्ड्रा कर रहे हैं। उन्होंने...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं इसको विद्ड्रा करने की अनुमति चाह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इनको अपना अमेन्डमेंट विद्ड्रा करने दिया जाय?

(स्वीकृत)

विद्ड्रा करने की स्वीकृति दी गई।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं विद्ड्रा करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ६।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ ७ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ८ ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मुझे कुछ क्लेरिफिकेशन करना है । ६ के मुतल्लिक अमेन्डमेंट पेश कर दिया गया है । दरअसल वह टाइप हो रहा था और वह अब आ गया है ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ८ ।

श्री भीमसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ८ में मेरा संशोधन यह है कि सिर्फ 'लैंड' शब्द को हटा कर 'जागीर' शब्द ही रहने देना चाहिये । मैं समझता हूँ कि इस हेर फेर से खास असर जागिरदार को न होकर उन धार्मिक संस्थाओं को या माफीदारों को होने वाला है जिनको जागीर की इनकम से फायदा मिलता था । अब 'लैंड' शब्द जोड़ने से क्या होगा कि जिनको जमीन कोई खास भोग या माफी के लिए दी गई थी मंदिर वगैरह के लिये उनको गवर्नमेंट से मिला करता था वह मिला करेगा, सिर्फ जिन मन्दिरों के नीचे जमीन लगी हुई थी, ब्राम्हण या महन्त थे, उनको मुआवजा देंगे लेकिन जिनको जागीर से मिली हुई थी उनको नहीं देंगे । मैं समझता हूँ कि 'लैंड' शब्द जोड़ने से शायद सरकार का यह अभिप्राय हो कि उन महन्तों को जो कुछ हमेशा से मिलता था मौजूदा 'जागीर' 'लैंड' शब्दों के रहने से उनको वंचित रखा जायगा और अगर किसी अभिप्राय से यह 'लैंड' शब्द और जोड़ा गया है तो मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार ओरिजिनल एक्ट में 'जागीर' शब्द है वही रखा जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि इस पर माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है । जागीर रिज़म्प्शन में धार्मिक संस्थाओं को क्लॉज़ ६८ के अनुसार जो दिया गया है वह दिया ही जायगा । "जागीर लैंड" की डेफिनिशन दी गई है । यहां केवल "जागीर" शब्द रखना ठीक नहीं है । इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है कि सरकार की मंशा भेद करने की है ।

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है मैं इस अमेन्डमेन्ट को प्रेस नहीं करना चाहता और विद्ड्रा करने की इजाजत चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री भीमसिंह अपना संशोधन वापिस लें ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री भीमसिंह—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ८ ए,

(विराम)

क्लॉज़ ८ पर संशोधन हैं । श्री सोहनलाल ।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, जो मेरा अमेन्डमेन्ट है वह केवल प्रोसिजरल है । ओरिजिनल एक्ट में यह दिया हुआ है ।

" (b) a minor or a person suffering from a legal disability who is not under the superintendence of the Court of Wards the compensation money shall be deposited in the Court of the District Judge having jurisdiction and shall be disposed of in accordance with the directions of that Court. "

जो अमेन्डमेन्ट है वह इस तरह से हैं कि :

"(b) a minor or a person suffering from a iegal disability who is not under the superintendance of the Court of Wards, the compensation money shall be paid to the person found by the Collector upon inquiry in the prescribed manner to be the natural guardian of such minor or disabled person according to his personal law.

[श्री सोहनलाल भटनागर]

Provided that, in cases in which the question of such guardianship is in dispute the Collector shall apply to the District Judge having jurisdiction to determine such question and to appoint a guardian of the minor or disabled person for the purposes of this section."

तो माननीय अध्यक्ष, ओरिजिनल एक्ट में चाहे डिस्प्यूट हो या न हो, रकमें थीं वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा करानी पड़ती थीं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्ट के अनुसार प्रोसिजर फोलो करती है। माइनर को दिक्कत होती है रुपया मिलता नहीं है। तो मैंने एमेंडमेन्ट पेश किया है कि जहां किसी प्रकार का डिस्प्यूट न हो वहां रुपया माइनर के गार्जियन को दे दिया जाय लेकिन जहां डिस्प्यूट होता है तो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को रेफर करेगा और जब तक फैसला न हो रकम जमा रहेगी। इसलिए यह अमेन्डमेन्ट माइनर की सुविधा के लिए है और इसको पास किया जाना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास:—माननीय अध्यक्ष, मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार करता हूँ।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष मुझे एतराज है। वैसे इस चीज़ को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है लेकिन इस क्लाज़ में जो अमेंडमेंट आया है वह अंग्रेजी में आया है और जो विधेयक बना है वह हिन्दी में बना है। जब इसको स्वीकार किया जायगा तो जो अमेन्डमेन्ट अंग्रेजी में आया है वह खुद नहीं बैठेगा। दूसरी जगह हिन्दी में आयगा और यहां अंग्रेजी में आयगा इसलिए इसको ट्रान्स्लाइज़ करके ही पेश किया जाना चाहिए था वैसे इसको पहले पास कर लिया जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर:—अध्यक्ष महोदय, अभी हाउस ऑफ पीपुल में सिलेक्ट कमेटी को दिया है। दूसरे मुद्दों पर जुरिस्डिक्शन दिया और यह उसी नेचर का है।

कु० श्री जसवन्तसिंह:—पोइन्ट बिलकुल साफ है। पोइन्ट यह है कि ओरिजिनल बिल तो हिन्दी में पेश किया गया है और यह अमेन्डमेंट अंग्रेजी में आया है।

श्री अध्यक्ष:—फन्डामेंटल ओब्जेक्शन नहीं है कोई।

श्री जसवन्तसिंह:—फन्डामेंटली यह है कि मातृभाषा की हत्या की जा रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास:—रिलेवेन्ट प्रोविजन को इंगलिश में रखा गया है तो अमेंडमेंट इंगलिश में ही आयगा। अब आगे यह जोड़ा जाय। This makes no difference

श्री तनसिंह—हमने एक विधेयक को पास किया और अधिनियम बना दिया। उसके अन्तर्गत जितने विधेयक राजस्थान विधान सभा में आते हैं वे हिन्दी में आने चाहिये। मैंने खुद ने जब अंग्रेजी में पेश किया और हिन्दी बनानी नहीं आती थी तो मुझसे मांगा गया कि ट्रान्सलेशन दो। मुझसे जब मांगा गया तो खुद सरकार को सोचना है कि उस अधिनियम का कैसा असर पडेगा, खुद सोच लें, गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नही है कि उसका ट्रान्सलेशन करा कर पेश कर दे। हमारे में इतनी प्रत्यत्पन्न होता नहीं कि टान्सलेशन कर सकें।

श्री जवानसिंह:—क्या परेशानी है हिन्दी करवाने में ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अमेन्डमेन्ड सरकार का नहीं है, एक माननीय सदस्य का है। मैं समझता हूँ कि यह एतराज बिलकुल उचित नहीं होगा। ओरिजिनल बिल इंगलिश में है और अमेन्डमेन्ट पेश किया कि इस तरह की भाषा जोड़ दी जाय, वह भी इंगलिश में ही होगा। इंगलिश में जो क्लॉज़ है उसका अमेंडमेंट इंगलिश में ही हो सकता है। हिन्दी में कैसे हो सकता है ? इसलिये मेरे ख्याल से यह एतराज उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—एश्योरेन्स चाहते हैं कि उसको अनुवादित करके दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसको अनुवादित करके माननीय सदस्य के पास भेज दिया जायगा।

श्री तनसिंह—मुझे एश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैं अपना एतराज वापिस लेता हूँ। एक कानून जो पेश किया है आप उसका पालन न करें, तो दूसरे जो नीचे के विभागों में काम करने वाले हैं वे किस प्रकार उसका पालन करेंगे ? मेरा मतलब यह नहीं है कि अमेन्डमेन्ट को पास नहीं किया जाय; अंग्रेजी का है, उसको हिन्दी में बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष—ओब्जेक्शन है, Objection for the language.

श्री दामोदरलाल व्यास—The whole position is that because the original Act itself is in English the amendment has got to be in English.

हिन्दी में क्यों चाहते हैं ? हिन्दी में कैसे अमेन्डमेन्ट हो सकता है ? If you look to the amendments you will find that the wordings of the amendments are in English. It cannot be in Hindi.

श्री अध्यक्ष—But the member concerned must have an opportunity to say something.

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी को परेशानी क्यों हो रही है ? जो माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा वह ऐसा है कि उनका कहना वे मान लेंगे । इधर बैठने वाला कोई सदस्य होता तो नहीं मानता ।

श्री अध्यक्ष—But the member concerned must have an opportunity to say something.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, ओरीजिनल एक्ट अंग्रेजी में था इसलिये अमेन्डमेन्ट भी अंग्रेजी में लाना पड़ा । अगर इसके हैडिंग आदि पर ओब्जेक्शन हो तो उसको हिन्दी में देने के लिये तैयार हूँ ।

श्री अध्यक्ष—The objection is not very material. If there is any fundamental objection to the clause being added then I may take into consideration and give my decision but then there is no fundamental objection to the clause. I put it to vote.

श्री तनसिंह—खाली लेंग्वेज़ का ओब्जेक्शन है ।

श्री अध्यक्ष—The English language as a whole or the language as contained in the clause itself.

कु० श्री जसवन्तसिंह—एक बात और हो जाती है, That point is this. बिल जो गवर्नमेंट द्वारा सब्मिट किया गया है वह हिन्दी में सब्मिट किया गया है तो यह संशोधन जो है इसको भी हिन्दी में करने में माननीय मंत्री को क्या आपत्ति है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अमेन्डमेन्ट जो इस बिल में पेश किया गया उसके वर्ड्स अंग्रेजी में हैं because the original Act is in English. अमेंडमेंट सिर्फ इतना ही लिखा गया है, इसके आगे इतना जोड़ दिया जाय । आप कहें तो हिन्दी में लिख दें ।

श्री अध्यक्ष—The objection has an amazing value and I put it to vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ ए जो संशोधन के रूप में श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

[श्री अध्यक्ष]

परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ८ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ६ का सम्बन्ध ओरीजिनल एक्ट की धारा ३६ से है। ओरीजिनल धारा ३६ में यह है। "(1) (a) if any deductions are to be made under section 34, equal to one-tenth of the estimated amount of compensation and rehabilitation grant."

इसमें 'एनी' के बजाय 'नो' करने का जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है इस विधेयक के जरिये और मैंने इसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया वह यह कि जो ओरिजिनल क्लॉज़ में था उसी प्रकार रहना चाहिये। इसमें जिस प्रकार के रिडक्शन्स किये गये हैं उसके अनुसार वन टेन्थ कम्पेन्सेशन दिया जायगा लेकिन इस वक्त इस विधेयक के अनुसार जो क्लॉज़ बनता है वह इस प्रकार है। इसके अनुसार अगर कहीं डिरिक्शन हो गया तो फिर कम्पेन्सेशन नहीं दिया जा सकता, ऐसी इस विधेयक के क्लॉज़ की मन्शा है।

मुझे यह चीज समझ में नहीं आई कि आखिर उन लोगों का क्या होगा जिनकी जागीरें छीन ली गई हैं? जो रिहेबीलिटेट नहीं हो पाये हैं, जिनके पास जिन्दगी का सहारा कोई नहीं, उनका क्या होगा? वे किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे, किस प्रकार जिन्दा रह सकेंगे? इस बात की तरफ ध्यान कतई नहीं दिया गया। इस विधेयक से स्थिति इतनी गंभीर बन सकती है जिसकी वजह से लोग भूखों मर सकते हैं।

आप जरा ख्याल फरमाइये कि जिन लोगों की जागीरें छीन ली गईं उनको जागीर के मुआफिक मुआवजा दिया जायगा। अब दूसरा संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है एक साल गुजर जाने के बाद भी किसी प्रकार का मुआवजा देना नहीं चाहते। आखिर जो आसमान में चीज उनके लिए बताई गई वह उनको कभी मिल नहीं पायगी जिसके जरिये वे अपनी जिन्दगी चला सकें। इसी सिलसिले में राजस्थान में उक्त कहानी मशहूर है जिसका सारांश यह है कि एक ऊंट जिसका होठ इतना लटका रहता है, एक दिन सियार उसके पीछे घूमता रहता है और सोचता है यह होठ नीचे गिर जाय और मैं खा लूं। जिस प्रकार वह होठ पा नहीं सकता उसी प्रकार आज जागीरदारों का हाल इस विधेयक के जरिये हो रहा है। जागीरदारों को जो लम्बे होठ की तरह खाने-पीने की वस्तु दीख रही है लेकिन शाम तक यानी जिन्दगी भर उनको वह नहीं मिल पायेगी। यह इस संशोधन के विधेयक के जरिये होने जा रहा है। इस विधेयक के जरिये सरकार यह इन्तजाम करना चाहती है कि लोगों को कष्ट हो। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस ओर खास तौर से ध्यान दें। एक जो प्रोवीजन पहले किया गया और जिस चीज को मन्जूर कर लिया गया विभिन्न

[श्री जवानसिंह]

दलों से बातचीत करके, जिस चीज़ को मन्जूर किया है हम अगर उनको पूरा कम्पनसेशन न दे सकते हैं तो कम से कम एक वर्ष के अन्दर कुछ न कुछ १ । १० हिस्सा तो अवश्य दे दें । इस संशोधन विधेयक के जरिये आप इस बात को सही करना चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार का डिडक्शन हो गया तो हम इसमें एक बटा दसवां हिस्सा नहीं दे पायेंगे । तो यह जो आपने पुराने वायदे उन लोगों के साथ किये थे, खास तौर से वे नागरिक हैं जिनकी आप जिन्दगी का सहारा छीन चुके हैं, उनके साथ इतनी तो सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिये ताकि उनको भी यहां जिन्दा रहने का बराबर मौका मिलना चाहिये जैसा कि दूसरों को मिलता है। आप इस तरह से उनको कुछ भी कम्पेन्सेशन न देकर के क्या आप उनको जिन्दा नहीं रखना चाहते; जिनसे कि आपने मुआवजा देने के लिये वादा किया है ? अगर ऐसा करते है तो इस चीज में न्याय नहीं होगा, इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

आपने जागीरों को मिटाया और यह माना कि यह उनके पास नहीं रह सकती । इस चीज़ पर विभिन्न रायें हो सकती हैं । जिन पर मुद्दत से उनका कब्जा रहा, आज उस जमीन पर उनका हक नहीं । जिन्होंने सैकडों और हजारों वर्ष से जमीन पर अपना कब्जा रखा आज आप उनकी जब जमीन छीन रहे हैं और उनको जमीन दे रहे हैं जिनका कब्जा कुछ दिनों से ५ दिन, १५ दिन या साल भर से है; उनको आप दे रहे हैं । यह किस तरह से न्याय संगत हो सकता है ? इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस पर दुबारा गौर करें और मैंने जो संशोधन रखा है उसको मन्जूर करें, वरना उन आदमियों को जिनकी जिन्दगी का सहारा आपने छीन लिया और जिनको आपने विश्वास दिलाया उनको आप इस तरह से महरूम कर रहे हैं, यह उनके साथ विश्वासघात होगा । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि जरा इस पर गौर करें और जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करें ताकि रोजमर्रा का खर्चा उनको मिल सके ।

श्री भीमसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो सरकार द्वारा प्रोवीजो क्लॉज़ ८ में लगाया गया है वह इस दृष्टिकोण से लगाया गया है कि अगर पहली किश्त में १।१० हिस्सा इन्टेरिम कम्पेन्सेशन की तौर पर जागीरदारों को दिया जाने वाला है वह देने के बावजूद बाद में छः महिने के अन्दर अगर बोन्ड इश्यू नहीं कर सकते तो ऐसी परिस्थिति के अन्दर सरकार किस माफिक, कौनसी धारा की तहत वह रकम दे;जो पहले वाले एक्ट के अन्दर कमी रह गई थी, उस कमी को दूर करने के लिये और खास कर इसलिए कि सरकार शायद यह महसूस करे कि उनके द्वारा जल्दी बोन्ड इश्यू नहीं हो सकते क्योंकि उनकी इतनी तैयारी नहीं इसलिए यह संशोधन प्रोवीजो की तौर पर लाया गया । फिर भी मैं यह समझता हूं इस प्रोवीजों में खामी है, इसलिये मैंने भी इसमें छोटा सा संशोधन रखा है इस क्लॉज़ की आखिरी लाइन को आप मुलाहिजा करें जिसमें लिखा है,

"Jagirdar of such fraction"

[श्री भीमसिंह]

तो उन्होंने जो "such fraction" रखा है वह 'सच फ्रैक्शन' इतना वेग रह जाता है कि वह सौवा भी, दसवां और पांचवां भी हो सकता है। इसलिए मेरी जो अमेन्डमेन्ट रखने की मंशा है वह यह है कि जैसा कि सरकार ने एक्ट में प्रोवाइड किया है कि १५ साल में ३० किश्तों में जागीरदारों को मुआवजा दे दिया जावेगा तो अगर इस तरह से नहीं देते हैं तो कम से कम १५वां हिस्सा साल दर साल देते जावें ताकि पन्द्रह साल में पूरा कम्पेन्सेशन मिल जावे। अगर ऐसा करते हैं तो इस बात का तकाजा नहीं रहता कि आप बौंड जल्दी इश्यू करें, आप फिर इन्हें भले ही साल, दो साल, दस साल या पचास साल में भी इश्यू करें और सच फ्रैक्शन का शब्द रह जाता है तो पांचवां हिस्सा देते हैं कम से कम, कुछ भी दे सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में वह बहुत कम देते हैं इसलिए सरकार के ऊपर बौंड इश्यू करने में तकाजा हो, इसलिए यह संशोधन मैंने रखा है।

बौंड इश्यू होने की कार्यवाही हो रही है, पर उसमें इतनी डिले हो रही है कि अगर यही चाल सरकार की रही तो मैं समझता हूं कि आगे दो-तीन वर्ष तक भी बौंड मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अभी तक सौ केसेज़ जिलों से फाइनेलाइज होकर सेटलमेन्ट जागीर कमिश्नर के ऑफिस में आये हैं, उनमें से जहां तक मेरी जानकारी है ८ १० केस ही फाइनेलाइज अब तक हो सके हैं। इन केसेज को उनके पास पड़े चार-छः महिने होने आये और जिलों में मामलों को साल-साल, डेढ़ साल होने आया पर वह चाल सरकार की इतनी धीमी है कि इससे जल्दी होने की आशा नहीं की जा सकती। हो सकता है स्टाफ की कमी से यह हुआ हो, या डिपार्टमेन्ट की सुस्ती से हुआ हो। इसलिए अगर ऐसा मेन्डेटरी फोर्म रहेगा तो सरकार को भी बौंड इश्यू करने की चिन्ता रहेगी। इस दृष्टि को सामने रखते हुए मैंने यह अपना अमेन्डमेन्ट मव किया है।

इसमें मेरे दो अमेन्डमेन्ट्स हैं और दोनों क्लॉज़ ६ में ही है। इसलिये इनको इकट्ठा ही पढ़कर सुना देता हूं

"Provided that if that compensation and rehabilitation grant payable to the Jagirdar is not finally determined within the period of one year from the date of resumption of his Jagir land, the Government may likewise direct the periodical payment to the Jagirdar of such fraction of the estimated amount of compensation and rehabilitation grant by way of interim compensation and rehabilitation grant until the final determination thereof as the Government may specify in each particular case."

In the proviso the word 'may' be substituted by 'shall' and the words 'such fraction' by 'one-fifteenth'.

श्री अध्यक्ष— (श्री राजस्व मंत्री से) Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मंत्री) माननीय अध्यक्ष, ये दो अमेन्डमेन्ट्स क्लॉज़ ९ में पेश किये गये हैं, लोगों ने इस पर बहुत कुछ कहा है। पर मेरे खयाल से उनको गलतफहमी है। जो वे समझ बैठे हैं उस तरह की मंशा सरकार की नहीं है। सब क्लॉज़ (१) में जो है वह क्लेरिकल एरर है। सब क्लॉज़ (१) व (२) को देखेंगे तो आप पावेंगे कि इसका प्रोविज़न है सब क्लॉज़ (बी) में कि '(b) if deductions are to be made'...So in part' (a) the words 'any' must be 'no'.

मगर यहां गलती से 'एनी' दर्ज हो गया and that is a clerical error; उसी को ठीक किया जा रहा है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों के मन में इतना बड़ा एतराज़ और शंका नहीं पैदा होनी चाहिये।

दूसरी बात, जो प्रोविज़ो एड करने की है उसके लिए दो बातें अर्ज कर देता हूं। इसको ऐसा करना इसलिए आवश्यक हुआ कि कम्पेन्सेशन फाइनली डिटरमिन होने में देर हो सकती है, कुछ एक्ट के अमल में देर हो सकती है और भी अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। सेन्ट्रल जागीर एडवाइज़री कमेटी के सदस्यों से हम बातें करते रहे हैं और वे जानते हैं कि ईमानदारी से हम उनके क्लेम डिसाइड करना चाह रहे हैं और मैं यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि सरकार की यह पूरी पूरी मंशा है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके उनको कम्पेन्सेशन के बौंड मिलें। पर देर लग सकती है, इसलिये यह प्रोविज़ो जरूरी है। फरदर कम्पेन्सेशन देने के लिए सरकार को अधिकार होने चाहिये इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय सदस्य इसमें किसी शंका को अपने मन में स्थान नहीं देंगे और जो उनको वहम है कि १।५ या १।१० नहीं हो जाय, यह उचित नहीं है क्योंकि जैसा सरकार ने प्रेस्क्राइब किया है; इन्डिविजुअली केसों को देखकर प्रेस्क्राइब करेगी सरकार, और कोई खास परसेन्टेज़ इसके लिए रखना उचित भी नहीं होगा और व्यवहारिक और मुमकिन भी नहीं होगा। इसलिए जो अमेन्डमेन्ट पेश किये गये हैं मैं निवेदन करूंगा कि वे वापिस ले लिये जावें। मैंने जो अर्ज किया वह उनको सन्तोष दिलाने के लिए काफी है।

श्री जवानसिंह—मैंने तो एक अक्ल की बात रक्खी थी, लेकिन अगर वह चीज भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसे वापिस लेने के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन जरूर करूंगा।

श्री भीमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आश्वासन दिया गया है उसके फल स्वरूप में अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की स्वीकृति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन दोनों प्रस्तावकों के हैं उन्हें अपने अमेन्डमेन्ट्स वापिस लेने की इजाजत दी जावे?

(**स्वीकृत**)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री भीमसिंह—मैं भी अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज १०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज १० विधेयक में अंग रूप से जोडा गया

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर—क्लॉज़ १० के बाद क्लॉज़ १० ए जोड़ने का संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री सोहनलाल भटनागर—इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा जो प्रोसीज़रल एनोमोली रह गई है उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है। ओरिजिनल एक्ट की धारा ३८ यह है। "38. Payment of compensation on the death of a Jagirdar. If any Jagirdar to whom compensation is payable under this act dies before the full payment of such compensation to him, such compensation as may remain payable to him under this Act, shall be payable to his legal representatives determined according to the personal law of the Jagirdar-" इसके बजाय मैं यह चाहूँगा कि मूल एक्ट की धारा ३८ बी के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावित किया जावेगा और सदा प्रस्तावित किया हुआ समझा जावेगा अर्थात् "for the word's to his legal representatives determind according to the personal law of the Jagirdar' the words".

[श्री अध्यक्ष]

इसके बजाय-

"to the person or persons found by the Collector upon inquiry in the presceribed manner to be the heir or heirs of the deceased Jagirdar according to his personal law."

shall be substitute and shall be deemed always to have been substituted."

और दूसरा जो है प्रोविज़ो एड करने के लिए वह यह है "Provided that in cases in which the question of such succession or heirship is in dispute, the Collector shall direct all claimants to succession or heirship to have their respective title thereto adjudicated upon by a competent civil court and payment of the remaining compensation shall be in accordance with such adjudication."

तो ओरिजिनल एक्ट में जो चीज दी गई है वह "शैल बी डिटरमिन्ड अकोर्डिंग टू दी personal law यह कर दिया जावे पर यह नहीं बताया गया कि किसके द्वारा डिटरमिन किया जावेगा और इस अनोमोली को भी दूर किया गया है और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी तय किया गया है, और जगह झगड़े होंगे तो उसका सवाल कोर्ट में रेफर कर देंगे । तो यह भी जो पहले की प्रोसीजरल अनोमोली थी वही दूर की गई है और इसे ज्यादा सुविधाजनक बनाने की कोशिश की गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं इसको स्वीकार करता हूँ ।

श्री जसवन्तसिंह—हम लोगों के अमेन्डमेंट्स स्वीकार करते हुए तो आप कई कन्डीशंस लगाते हैं और इनके आप पहले ही स्वीकार करने की बात कहते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपके लिए कन्डीशंस नहीं लगाई मैंने, बल्कि बात यह है कि आपके सन्तोष के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और यहां कुछ नहीं करना पड़ता ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—They are semi official amendments.

[विराम]

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लाज १० ए जो नया जोड़ने का है, यह संशोधन स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया । परिणाम स्वरूप क्लॉज़ १० ए विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ११ श्री भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, जो मैंने दो एमेंडमेंट प्रस्तुत किये हैं उन एमेंडमेंट्स को प्रस्तुत करने से यह कॉन्सीक्वेन्शियल एमेंडमेंट आता है । अपील का प्रोवीज़न क्लॉज़ ३९ के मातहत है, जो वह इन दोनों धाराओं के बढ़ाने से उनके अन्तर्गत भी अपील का प्रोवीज़न दे दिया जाय, अपील का राइट दे दिया जाय; वे संशोधन यह है कि :

"(i) after the words and figures 'section 32' the words, figures and bracket 'sub—section (3) of section 25'

(ii) after the word and figures 'section 36' the word and figures "section 37".

He inserted and shall be deemeed always to have been inserted"

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—यह भी बिल्कुल कॉसीक्वेन्शियल एमेंडमेंट है; माननीय अध्यक्ष, इसको मैं स्वीकार करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह कि श्री भटनागर द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १२ एवं १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ और १३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १२ और १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये?

(विराम)

Clause 14, Shri Bhairon singh.

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज़ १५, श्री जवानसिंह

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, मैं पहले तो जानना चाहूंगा कि मेरे संशोधन प्रस्तुत करने के पश्चात् इस संशोधन को मन्जूर तो नहीं कर लिया।

श्री अध्यक्ष--(श्री दामोदरलाल व्यास से) हां साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास—क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष—Is the amendment accepted by the Government ?

श्री दामोदर लाल व्यास—Which amendment !

श्री अध्यक्ष—Amendment to clause 15. The orginal clause is desired to be maintained.

श्री दामोदरलाल व्यास—No, sir.

श्री जवानसिंह—अब कुछ स्थिति साफ हो गई है, ताकि निवेदन करने में कुछ सहूलियत रहेगी।

यह जो सेकन्ड शिड्यूल की दूसरी क्लॉज़ की जो सब क्लॉज़ (ए) है उसमें मेरा संशोधन है कि किसी जागीरदार की ग्रोस इनकम किस प्रकार से जोड़ी जायगी, उसका जो तरीका दिया गया है और इसके अन्दर कौन कौन से आइटम शामिल होंगे उसका पहला आइटम (ए) है। पहले धारा इस प्रकार थी

"(a) Income from land revenue and rents."

और अब जैसा कि विधेयक पेश हुआ है उसके मुआफिक यह क्लॉज़ इस मुआफिक समझा जायगा....

"(a) Income from land revenue and rents from occupied lands."

तो पहले जितना दायरा था ग्रोस इनकम को जोड़ने और जागीरदार को ग्रोस इनकम देने का तो उस दायरे में हर प्रकार के रेन्ट्स को ग्रोस इनकम में शामिल किया गया था। लेकिन अब इस विधेयक के पास होने के पश्चात् सूरत यह बन जायगी कि कुल ग्रोस इनकम में वही रेन्ट जोड़ा जायगा जो कि ऑक्युपाइड लेन्ड से है। इसका अर्थ यह हुआ कि जागीरदार की ग्रोस इनकम में अन ऑक्युपाइड लैंड का जो रेन्ट है या होना चाहिए वह इस ग्रोस इनकम में नहीं जोड़ा जायगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो पंत रिपोर्ट निकली थी कुछ समय पेशतर उसका मैंने ठीक तोर से अध्ययन किया और जहां लेन्ड रेवेन्यू या रेन्ट के मुताल्लिक कि किस प्रकार से ग्रोस इनकम जोड़ी जायगी और उसके आधार पर किस प्रकार से नेट इनकम निकाली जावेगी और वह मुआवजे का रूप धारण करेगी ? इन तमाम बातों को मैंने उस रिपोर्ट में अध्ययन किया, लेकिन मुझे कहीं भी यह चीजें नहीं मिलीं कि सरकार ने ऐसा तय किया है या माननीय पंतजी ने ऐसा सुझाव दिया है कि उस जमीन का रेन्ट ग्रोस इनकम में नहीं जोड़ा जायगा कि जो जमीन किसी के कब्जे में

[श्री जवानसिंह]

नहीं है। हमने अभी हाल ही में 'ऑक्युपाइड लेन्ड' की परिभाषा को इस विधेयक के जरिये मन्जूर किया है और अब उसकी जो परिभाषा जोड़ने का अर्थ था वह इस वक्त इस क्लॉज़ से ठीक तौर से मालूम पड़ता है, तो आखिर उस जमीन के रेन्ट के सिलसिले में क्या मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और वह क्यों नहीं दिया जायगा ? इन चीजों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा और वह इस प्रकार से है कि आखिर एक जागीरदार की जमीन जो ऐसी है कि जिसमें काश्त हो रही है, कुछ जमीन ऐसी है जो लोगों के कब्जे में है चाहे वह काश्त हो रही हो या नहीं हो रही हो, कुछ जमीन खुदकाश्त में है और बाकी की जमीन आबादी में आयेगी, लेकिन उसके उपरान्त ऐसी जमीन का काफी हिस्सा हो सकता है जो किसी के कब्जे में नहीं हो। आखिर उस जमीन को जिसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं है, लेकिन इस कानून के मुताबिक जब पुनर्ग्रहण जागीर का हो जाता है तो उस जमीन का क्या होगा ? क्या उस जमीन को बिना मुआवजे सरकार लेना चाहती है जिसके ऊपर प्रोप्राइटरी राइट है, उस जागीरदार का आज तक रहा है, तो यह न्यायसंगत बात नहीं होगी। यह हमारे विधान के खिलाफ बात हो जाती है कि आखिर आप किसी की चीज को लेते हैं तो मुआवजा देना पड़ेगा। अभी सुनने में यह जरूर आया है कि विधान में ऐसा जरूर कोई न कोई संशोधन होने वाला है जिसके मुताबिक मुआवजे की दरें कम हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जैसा कि हमारा विधान है, उसके मुताबिक सरकार को यह अधिकार नहीं मिल सकता है। सरकार चाहे कानून को पास करले, इस बात की कोशिश करे, इस बात का प्रयत्न करे कि बिना मुआवजे उस जमीन को ले ले, लेकिन वह नहीं हो सकती है, क्योंकि यह विधान के खिलाफ है। सबसे पहले मेरा एतराज यह है सरकार पर इस कानून को पास करते वक्त, खास तौर से इस क्लॉज़ को बनाते वक्त कि इस विधान को ध्यान में रखें कि बिना मुआवजे के किसी की जायदाद को नहीं लेना चाहिये। वैसे आवश्यक तौर से कानून के अलावा न्याय की बात अगर हम करते हैं, अगर हम इन्साफ की बात करते हैं, तो उस बात के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष, कि किसी की कोई चीज लेता है तो क्यों न मुआवजा दे ? अगर एक आदमी दूसरे आदमी से कोई चीज लेता है तो उसके लिए कोई न कोई रकम देता है। खुशी होती है तो खुशी से दे देता है लेकिन यहां पर प्रश्न लेने का है और वह भी जबरदस्ती से और उफ तक नहीं करने दें। तो यह बहुत जबरदस्ती, ज्यादती हो रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। आखिर क्या वजह है कि जमीन लेती है तो उसका मुआवजा क्यों नहीं देना चाहती है ? उसको देना चाहिये; हर सूरत में, हर दृष्टिकोण से। अगर हम इस बात को सोचें तो इस नतीजे पर पहुँचना पड़ेगा कि आखिर कोई चीज लेते हैं तो मुआवजा क्यों नहीं दें ? और फिर इतने सालों से, सैंकड़ों वर्षों से जो चीज़ जिसके पास रहती आई है, उसके लिये हमने एक सिद्धान्त तय किया है कि उनके पास नहीं रहनी चाहिए, हम उस चीज़ को मानें या न मानें। उस चीज को नहीं मानते हुए भी आखिर उस चीज़ को जो इतने वर्षों से उनके पास में रही है तो क्यों मुआवजा नहीं देना चाहिए। मुआवजा देने की बात का कानून बना दिया है, उसके लिए अब बोलना भी बिल्कुल बेकार सी बात रहेगी। इस चीज़ को मन्जूर नहीं करते हुए

Page No.119

[श्री जवानसिंह]

हम इस बात के लिए अवश्य जोर लगायेंगे, माननीय अध्यक्ष, कि आखिर जो चीज़ आप ले रहे हैं, जो जमीन हमेशा के लिए ले रहे हैं, इस जागीर के लेने के पश्चात् उस जागीरदार का उस पर कोई हक नहीं रहेगा, तो आखिर उस जमीन को लेते हैं तो मुआवजा क्यों नहीं देना चाहते हैं ?

दूसरी, इसके अन्दर जो क्लॉज़ है कि ग्रोस इनकम में कौन कौनसी चीजें जोड़ी जायगीं उन चीजों को देखी, लेकिन इस चीज़ को कहीं नहीं पाया कि आखिर उस जमीन का क्या होगा जिस पर आज कब्जा नहीं है ? जो आज मुआवजा देने की बात कर रहे हैं वह एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे है। आप चाहते हैं कि सेटलमेन्ट होने के बाद इस प्रकार के झगड़े आयेंगे तब यह प्रश्न काम आयगा। आज सेटल्ड रेट कितनी है, कितनी नहीं है; या तो यह सैटलमेंट हुआ तब उसके कानून के अनुसार कोई रेट तय हुई और उसके बाद सेटलमेन्ट के पश्चात् जब जागीर ली जा रही है तब वह रेट होगी जो दूसरे मुआवजे पहले की तरह से गवर्न होंगे या किस तरह ? इस तरह के झगड़े न सिर्फ सरकार और जागीरदारों के आपस में, बल्कि काश्तकारों और जागीरदारों के बीच हो रहे हैं। इसमें शान्ति भंग होने का अंदेशा हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में किसी तरह से शान्ति भंग नहीं हो, इस प्रकार का काम करें। यदि हम किसी की चीज़ को लेते हैं तो उसका मुआवजा हमें अच्छी तरह से देना चाहिये। तो मैं निवेदन करूंगा कि संशोधक विधेयक में जो क्लॉज रखा है उसको डिलीट किया जाय ताकि न्यायोचित बात हो सके। जिनकी जमीन लेते हैं उनको मुआवजा देंगे तो आप लोगों का हित करेंगे। इस ख्याल से मैंने यह न्यायपूर्ण संशोधन रखा है।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष—पहले जिन्होंने अमेंडमेंट दिये हैं वे बोल लें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे मित्र, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सुन्दर रूप से इस अमेन्डमेंट पर अपना भाषण दिया। मेरा अमेन्डमेंट भी वही है जो माननीय मित्र ने रखा है। मेरा काम उन्होंने बहुत सरल कर दिया क्योंकि ये कानून जानने वाले हैं और हर पहलू से उन्होंने रोशनी डाली। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ राजस्व मन्त्रीजी से यह जानना चाहूँगा कि इस पहलू पर पहले अच्छी तरह से विचार कर लिया गया था और सिर्फ यहां पर ही नहीं बल्कि पन्डित पन्तजी तक हम लोग इस पहलू पर निर्णय के लिये गए और सर्व सम्मति से उस वक्त यह तय हो गया था कि जागीर की जितनी जमीन है चाहे ओकुपाइड हो, चाहे अनओकुपाइड हो वह जागीरदार की प्राइवेट प्रोपरटी है और अपने संविधान में यह लिखा है कि किसी की प्रोपर्टी ली जाय तो उसका कम्पेनसेशन मिलेगा; तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस वक्त अनओकुपाईड लेन्ड का सवाल कैसे पैदा हुआ ? ओकुपाइड

[कु० श्री जवसन्तसिंह]

लेन्ड का रेन्ट जागीरदार को सैटलमेन्ट के अनुसार मिलता है लेकिन इसके अलावा अनऑकुपाइड लैंड का कैसे किस किस्म से मिलता है ? इसके अलावा प्रोपर्टी की मिलकियत का सवाल होता है जिसके लिये सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी रोशनी डाली है। यदि इसकी मिलकियत को मानते हुए जागीर पुनर्ग्रहण की जाय और उनको कंपेन्सेशन नहीं दिया जाय, यह बिल्कुल संविधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध होंगे और हममें से यदि कोई हाई कोर्ट में गया तो हमें पूर्ण आशा है कि गवर्नमेंट ने जो पोजिशन ली है वह अनटेनेबल होगी और गवर्नमेन्ट के लिये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जैसे और बातों के बारे में सहानुभूतिपूर्ण विचार किया गया और रेगुलेराइज़ किया गया उसी प्रकार हम महसूस करते हैं कि हमारी डिमान्ड बिल्कुल सही है उसको वे मानें और हमने जो संशोधन पेश किये हैं उनको स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—श्री भीमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका समर्थन करता हूँ। वैसे इसके विषय में जो पहलू थे उन पर प्रकाश डाला गया। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो संशोधन रखा गया है वह आखिर क्या सोचकर रखा गया है ? गवर्नमेंट क्या चाहती है ? यदि गवर्नमेंट यह चाहती है तो बात दूसरी है कि वह किसी भी अनअकुपाइड लैंड का मुआवजा नहीं देना चाहती, यही मतलब निकलता है। इस संशोधन के प्रस्तुत होने के बाद मेरा खयाल है यह मंशा यदि गवर्नमेंट की है तो उनका यह संशोधन टिनेबल नहीं होगा; इसलिये टिनेबल नहीं होगा कि जितनी आय ओकुपाइड लैंड की होती है उसकी आय अनऑकुपाइड लेन्ड की आय के शामिल की जा सके। यह नहीं माना जा सकता क्यों कि अनऑकुपाइड है इसलिये अलग डेफिनेशन देंगे। वैसे अनऑकुपाइड लैंड पर कोई आमदनी सम्भवत: नहीं है लेकिन हमारे इस विधेयक द्वारा क्लॉज़ २ में डेफिनेशन दे दी और उसके अनुसार या तो जमीन काश्तकार के कब्जे में है या खुद काश्त है, इन दो सूरतों के अलावा कोई जमीन है; जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने बताया था कि ऐसी जमीन ग्रास लैंड है जो जागीरदार के कब्जे में है और उसने किसी को लेट आउट किया है, घास काटने के काम आती है और वह बेची जाती है, उससे आमदनी होती है तो वह जागीरदार की आमदनी क्यों नहीं मानी जायगी ? वह अनऑकुपाइड लैंड की आमदनी मानी जायगी। वैसे अकुपाइड लैंड का दूसरा मतलब हो सकता है, सेटलमेन्ट के मुताबिक अनऑकुपाइड लैंड नहीं होती है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है या जंगल है; तो यदि जंगल से मतलब है तो इस अमेन्डमेंट से मतलब हल नहीं होता। ऐसी जमीन जागीरदार के कब्जे में है जिसे बीड कहते हैं, चरागाह है उससे घास की आमदनी जागीरदार को होती है उसमें कई बात नहीं है। इतनी सारी ग्रोस इन्कम ली जायगी, उस पर कुछ काट कर नेट इन्कम कायम होकर कंपेन्सेशन होगा; इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है, लेकिन सिद्धान्त की बात मानते हैं। इस सिद्धान्त को

[श्री तनसिंह]

स्वीकार किया कि हम मुआवजा देंगे तो कोई कारण नहीं कि एक स्ट्रेप ओफ लैंड है, चाहे आप उसको मामूली दीजिये लेकिन जो जमीन ली गई है उसके बदले में देना स्वीकार करते हैं तो इसको रखने में कोई सचाई नहीं मालूम पड़ती है और यदि यह कहते हैं कि हम लेना चाहते हैं और बदले में नहीं देना चाहते तो उसके लिए दूसरी बात नहीं हो सकती। यदि आप किसी की लैंड को, प्रोपर्टी को लेना चाहते हैं तो उसके बदले में उसका मुआवजा भी देना होगा; यह आपने स्वीकार किया है। आपके ही स्वीकार करने की बात नहीं है बल्कि भारतीय संविधान ने स्वीकार किया है कि हरेक की जो प्रोपर्टी ली जाती है उसका कंपेन्सेशन दिया जाता है। चाहे वह कितना ही बड़ा है या छोटा है लेकिन दिया जाना निश्चित है। तो इस विधेयक द्वारा कंपेन्सेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लॉ डिपार्टमेंट की राय ले लीजिये या यह स्वीकार कीजिये कि हम लेना चाहते हैं, बदले में कुछ नहीं देना चाहते, तो यह स्पष्ट हो जायगा।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेंट के समर्थन में मैं २ शब्द अर्ज करना चाहता हूँ। मैं खयाल करता हूँ कि वे शब्द मंत्रीजी के खयाल में बैठ जायेंगे।

ये जो संशोधन हैं उनके बारे में मैं उदाहरण के तौर पर अर्ज करूंगा कि बड़े बड़े शहरों के पास बहुत से जागीरदारों के गांव भी हैं क्योंकि शहरों का एक्सपेन्शन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इसलिये जागीर के गांवों की जमीन ओकुपाइड और अनओकुपाइड हर किस्म की शहरवालों को दी जा सकती है। इस सिलसिले में जागीरदारों को अनओकुपाइड लैंड से काफी आमदनी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि कोटा के पास कोटडी वालों के जागीर की जमीन थी जिसमें पत्थर भरे पड़े थे। उससे भी आमदनी हो सकती है; तो समझ में नहीं आता कि फिर आप क्यों नहीं कंपेसेशन देते? जब कि संविधान कहता है कि कंपेन्सेशन देना लाजमी है तो आप क्यों जागीरदारों के गले पर छुरी चलाना चाहते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहूँगा कि गलतफहमी हो गई है। इसमें समझा जा रहा है कि अनओकुपाइड लेन्ड लेने से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

कई माननीय सदस्य—बहुत बहुत।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने स्पीच दिया, इसीलिये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपने स्पीच दिया पर दूसरे साइड को नहीं देखा।

रेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि ओक्युपाइड लैंड पहले आती है:
" 'Rent' means anything which is payable in cash or in kind or partly in cash and partly in kind, on account of the use of occupation of land or on account of any right in land and includes any income from the natural produce of land."

[श्री दामोदरलाल व्यास]

तो जहां तक इस रेंट की डेफिनेशन का सवाल है, ऑक्युपाइड लैंड से मतलब है।

तो रहा अनोक्युपाइड लैंड के लिये माननीय सदस्य का सवाल कि अनोक्युपाइड लैंड के लिये उन्हें कोई कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा। इसके पार्ट (बी), (सी) और (डी) हैं उनको देखिये हमने साफ मंजूर किया है कि ग्रेजिंग राइट्स का कम्पेन्सेशन मिलेगा, फोरेस्ट राइट्स है, उनका कम्पेन्सेशन मिलेगा, जो माइनिंग राइट्स हैं उनके लिये कम्पेन्सेशन मिलेगा, जो non एग्रीकल्चर यूज के लिये उपयोगी जमीन समझी जायगी उसके लिये कम्पेन्सेशन मिलेगा। फिर समझ में नहीं आता कि अनोक्युपाइड लैंड और कौन रह जाती है, जिसको आप कम्पेन्सेशन में जोड़ना चाहते हैं।

तो मैं समझता हूँ कि यह इतना आवश्यक संशोधन था जो उस वक्त रह गया था और अब लाना जरूरी है। अनऑक्युपाइड लैंड का कम्पेन्सेशन नहीं देंगे, यह गलत है और ऐसी सूरत में जो संशोधन पेश किया गया है वह बहुत गलत फहमी पर है और मैं समझता हूँ कि वे इसे Withdraw कर लेंगे।

श्री जवानसिंह—प्रत्युत्तर में माननीय अध्यक्ष, मुझे दो शब्द ही निवेदन करने हैं। जब माननीय मंत्री महोदय मानते हैं कि 'रेंट' की परिभाषा में ऑक्युपाइड लैंड आ जाती है तो इसको फिर और द्वारा यहां क्यों जोड़ा गया? उनके कानों में ये शब्द पड़ेंगे कि नहीं।

(राजस्व मंत्री के उठकर चले जाने पर श्री जवानसिंह द्वारा भाषण बंद कर देने पर)

श्री अध्यक्ष—The Chief Minister is there.

श्री जवानसिंह—पर मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जब रेंट की परिभाषा में ऑक्युपाइड लैंड और इन चीजों का समावेश पहले से है तो फिर क्या परेशानी हो रही है कि इसे आगे बढ़ाया जा रहा है और दायरा संकुचित किया जा रहा है।

मैं खास तौर से पंत रिपोर्ट के पेज ११ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जहां इस चीज़ को निश्चित तौर से मान लिया गया है। पृष्ठ ११ पर है :

"The assessment of land revenue will be based upon rental income. which in the case of settled villages will be the rents as entered in the revenue records, and in other cases the actual rents paid by tenants plus assumed rents on khudkasht and rent-free land on the prevailing rent-rates."

तो इस प्रकार से जो चीज़ हमने पहले फाइनली तय कर ली है और इसको तय करने के पश्चात् भी हम इसमें पीछे वापिस जाना चाहें, हमने जो कहा है; उससे मुकरना चाहें तो यह दूसरी

[श्री जवानसिंह]

बात है। पर अगर हम इन्साफ पसंद कहलाना चाहते हैं तो फिर इस चीज़ को मानने में क्या परेशानी महसूस हो रही है। यह चीज़ वाजिब है, इसे ले लिया जाय। जिस चीज़ के लिये मजबूर कर दिया गया है, कब्जा नहीं है फिर भी वह जमीन, वह मिल्कियत जागीरदारों के हाथों से जा रही हैं। चाहे उस पर कब्जा किसी का है या नहीं, पर वह उनकी है और उनके हाथ से जा रही है। राजस्थान क्षत्रिय महासभा के सामने समझौता हुआ, बात-चीत हुई, सन् १६५४ में इन बातों पर समझौता हुआ, यह होने पर भी हम उन बातों से पीछे हटना चाहते हैं। तो जिस प्रकार का इन्साफ हम करना चाहते हैं, वह सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष, इस सदन में मैं सरकार की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये यह कहूँगा कि जो पुरानी बातें कही गई हैं। उनका पालन किया जाय। पंत रिपोर्ट के पृष्ठ ११ पर जो बातें हैं वे मैंने पढ़ कर सुनाई हैं, इससे मुझे आशा है कि निश्चय ही वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिये, बल्कि मेरा संशोधन है, उसको अवश्य मंजूर करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Should I put it to vote ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं दो शब्द कहना चाहूँगा...

श्री अध्यक्ष—अमेंडमेंट के रिप्लाई में ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—जैसा कि माननीय जवानसिंहजी ने रिप्लाई दिया है ....

श्री अध्यक्ष—When various amendments of the same nature are tabled, only one amendment which the Speaker selects out of that is moved; other members speak on it but the right of reply is given only to the mover.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I also spoke.

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member only spoke in support of the amendment moved by Shri Jawansingh.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I also moved an amendment.

श्री अध्यक्ष—You tabled the amendment but only one amendment by Shri Jawan singh was moved.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I had not supported it. I spoke independently on my own amendment.

श्री अध्यक्ष—That is not the parliamentary practice. So the question is that the amendment put in by Shri Jawan Singh be accepted.

(मतदान के पश्चात्)

कुछ माननीय सदस्य—Noes have it

विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य—Ayes have it, Sir

राज्य पक्ष के कुछ माननीय सदस्य—Noes have it, Sir

The voices are many on the noes side. I again put it to vote.

The Question is that the amendment put in by Shri Jawan Singh be accepted

(अस्वीकृत)

The amendment it lost

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज १६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १७, श्री जवानसिंह ?

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अब तक इस डिटेल को जिस ढंग से चलाया जा रहा है और अब तक के संशोधनों के प्रति जिस प्रकार का रुख बरता जा रहा है, उससे मेरे दिल में यह विचार पैदा हो रहे हैं कि मैं इस संशोधन को पेश करूं या न करूं।

मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि या तो यह कह दिया जायगा कि यह अनावश्यक है, या यह कह दिया जायगा कि यह मानने काबिल नहीं है। इसलिये मैं देखता हूं कि यह संशोधन मूव करके क्यों मैं निरर्थक अपने शब्दों को सदन में व्यय करूं

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह एमेंडमेंट उधर से होता तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—एमेंडमेंट तो बोले। रीज़नेबल होगा तो हम सपोर्ट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १८।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज़ १

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ विधेयक का अंग बने।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, इस पर एक एमेंडमेंट हैं। इससे जो सेकन्ड एमेंडमेंट बिल पेश किया जाने वाला हैं उसकी आवश्यकता नहीं रहती।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—To bring a separate Bill will not be necessary.

इसको पास कर दिया जावे तो सेकिन्ड अमेंडमेंट बिल पेश करने की जरूरत नहीं रहेगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—(अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा—यह तो एक अच्छी बात है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अच्छी बात में हम कभी रोड़े अटकाना नहीं चाहते ।

श्री अध्यक्ष—Then the Revenue Minister will put it.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष मेरा यह संशोधन है कि क्लॉज़ २३ के सब क्लॉज़ (१) के भाग (बी) के उपभाग (४) में शब्द "groves" के पश्चात् शब्द ',and fruit trees' निविष्ट किये जावेंगे और सदा से ही निविष्ट किये हुये समझे जावेंगे ।

उपरोक्त क्लॉज़ ६ ए के रूप में बढ़ाया जावेगा ।

माननीय अध्यक्ष, थोड़ी देर पहले ट्रीज़ का प्रश्न आया था उस समय फ्रूट ट्रीज़ और दूसरे जागीर की जमीन पर ट्रीज़ जिन पर कि जागीरदार अपने राइट्स एन्जोय करते आये हैं उस सम्बन्ध में मैंने कहा था और एश्योरेन्स भी दिया था कि उनके वे राइट्स बदस्तूर रहेंगे । उसी के सिलसिले में यह एमेंडमेंट है ? मैं आशा करता हूं कि इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—कौनसे क्लॉज़ पर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Section 23 of the orginal Act and this will be clause 6 A of this Amendment Bill.

श्री अध्यक्ष—What is the amendment ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्लॉज़ २३ में सब क्लॉज (१) के भाग (बी) के उपभाग (४) में शब्द "ग्रोवज़" के पश्चात् शब्द "एन्ड फ्रूट ट्रीज़" निविष्ट किये जावेंगे और सदा से ही निविष्ट किये हुये समझे जावेंगे ।

उपरोक्त क्लॉज़ ६ ए के रूप में बढ़ाया जावेगा ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, इसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो "फ्रूट ट्रीज़" रखा जावे उसकी जगह "ट्रीज़" रखे जावें करते तो ज्यादा अच्छा रहता । मैं यह चाहता हूँ कि फ्रूट तो आप रहने दीजिये और ट्रीज यहां पर रख दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—I will accept it only if the House is unanimous.

कु० श्री जसवन्तसिंह—All right. We agree, Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री दामोदरलालजी व्यास (राजस्व मन्त्री) ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ६ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड १...

श्री तेनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा एक संशोधन है। "संशोधन" शब्द के स्थान पर "द्वितीय संशोधन" शब्द प्रतिस्थापित किये जावें।

श्री दामोदरलाल व्यास—I accept it, Sir. his amendment is that the Bill should be (Second Amendmend) Bill instead of only" Amendment" Bill.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ में जो संशोधन श्री तनसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से, जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रिएम्बल विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

प्रिएम्बल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एवं रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सुझावों पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—The discussion must be initiated by the Leader.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—We can start.

श्री अध्यक्ष—आप प्रिलीमिनरी कुछ कह दें।

श्री जवानसिंह—अच्छा तो यह होगा कि आज इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रकाश डाल दें क्योंकि यह जो प्रोपोजल है उसमें ४० करोड़ रुपये मंजूर होने की बात है और इसमें कहां कहां खामियें नजर आईं, इस सब को सदन के सामने रख दें। इसलिये बहतर यह होगा कि आज माननीय चीफ मिनिस्टर द्वारा डिस्कशन शुरू कर दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार करने के लिये इस समय यहाँ बैठे हुये हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब कि राजस्थान के अन्दर चालू हुई थी उस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ ही था और एक तरह से कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार भारतवर्ष के अन्य (अ) श्रेणी के राज्यों में उस योजना का मौका मिला था उस प्रकार का अवसर राजस्थान के सामने नहीं था क्योंकि हमारे यहां पर नया सेट अप हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी जिस ढंग से होनी चाहिए नहीं हो पाई थी। ये सारे कारण थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान को १५ करोड़ रुपया करीब प्लानिंग कमीशन की तरफ से दिया गया। धीरे धीरे यह १५ करोड़ की धन राशी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते २४.२३ करोड के करीब बढ़ा। इसके साथ साथ कुछ और काम जैसे भाकरा और चम्बल योजना की तलहटी जो सैन्टर में आती है उसके लिये सैंक्शन हुई और उस सबको मिलाकर ६२ करोड़ के आस पास प्रथम पंच वर्षीय योजना में हो गया। इस योजना के कार्य को चालू करने के लिए पहले ३ सालों में राजस्थान में कम प्रगति हुई है और अब धीरे धीरे इस कार्य में प्रगति हुई है। इस समय अधिकतर रुपया हमारे प्रथम पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था, उसमें से बहुत बड़ा भाग, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस साल डेढ़ साल में खर्च किया जा रहा है। हमारे यहां पर करीब इस वर्ष

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

६२ करोड़ रुपये जितने सारे राजस्थान को स्वीकृत किये उसमें से करीब करीब हम यह आशा करके चले थे ५०-५१ करोड़ के आस पास खर्च कर पाये है और १० करोड़ रुपये थे, सारे प्रयत्नों के बावजूद भी खर्च नहीं कर पाये । यह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को पूरा का पूरा उस स्टेन्डर्ड तक लाने के कारण मुश्किल पैदा हुई । लेकिन मैं समझता हूं अब तक, हम इस चीज़ को विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि राजस्थान इस गति के अन्दर है कि जो अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर रकम मिल रही है उस रकम का अधिक से अधिक उपयोग कर सकेंगे । इतना ही नहीं डेवलप्मेन्ट के कार्यों की और प्रगति को देखकर आगे भी १५ करोड से लगाकर २४ करोड़ तक पहुंचे हैं जो अब स्वीकृत किये जा रहे हैं, उस धन राशि को भी आगे बढ़ाने में कामयाब हों । दरअसल द्वितीय पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने के अन्दर सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन के कुछ आधार थे । उन आधारों के अन्दर क्षेत्र की आबादी, वहां की आवश्यकता, वहां के आर्थिक साधन, वहां के डेवलप्मेन्ट की केपेसिटी है । इस प्रकार के आधार तय किये थे । इन सारे आधारों के अनुसार यहां पर १६७ करोड़ की योजना तैयार करके सेन्ट्रल प्लानिंग कमिशन के सामने रखी । जो १६७ करोड़ की योजना है, भारत सरकार के द्वारा ४३०० करोड़ की योजना बनाई जा रही है उसमें से २२५० करोड़ की योजना है उसमें से १६७ करोड की मांग की थी । मेजर इन्डस्ट्रीज़; जैसे रेल्वेज़ के लिये धन राशियां अलग रखी गई । हम आशा करके चलते हैं कि जो रकम शेष रही है उसमें से राजस्थान के प्रयत्न करने में और मिलना चाहिए । क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी रेलों के विकास के अन्दर, मैं समझता हूं, प्रगति नहीं के बराबर है और जैसा हमारा क्षेत्र है उसको देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि और रेलवे का विकास किया जाय ।

हमारे यहां खनिज पदार्थों के लिए प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर जियोलोजिकल सर्वे न होने से जितना विकास की ओर बढ़ सकते हैं इस प्लान के देखने से नजर नहीं आयगा । लेकिन उसके विस्तार की आवश्यकता है और वह सेन्ट्रल सेक्टर के अन्दर है । जियोलॉज़िकल सर्वे करना, और मेटल और मिनरल डेवलप्मेन्ट के लिये वहीं से कार्यवाही की जा सकती है । वे सारी चीजें चालू हैं जिनके लिए बराबर प्रयत्नशील हैं और मैं आशा करता हूं कि समय समय पर कामयाबी हासिल करेंगे ।

इस समय जो राजस्थान को रकम स्वीकृत की गई है वह रकम कुल, आपने देखा होगा, जो आपके पास जानकारी भेजी गई है उसमें है, १४४ करोड़ के आसपास होती है । १४४ करोड़ की बात जब मैं कहता हूं तो उसमें १३४ करोड रुपये राजस्थान के लिए हैं, अब तक वहां से स्वीकृति के रूप में कागज के ऊपर नहीं बताया गया है लेकिन वह निश्चित है और उसको मानकर चलना चाहिये और जब उसको जोड़ कर चलते हैं तो १४४ करोड़ रुपये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक स्वीकृत हुए हैं । वह बात आयी और जब १४४ करोड़ रुपयों की बात को सामने रखकर चलते हैं तो अध्यक्ष महोदय, जहां पर पिछले पंचवर्षीय योजना में पर केपिटा खर्चा ४०) रुपया रखा गया था

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

राजस्थान के लिए वहां इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६६) रु. प्रति व्यक्ति राजस्थान के अन्दर खर्च होंगे। यह एक मोटे तौर पर एवरेज है। उससे जाहिर है कि पहले से हमारे यहां ढाई गुना ज्यादा खर्च होने की व्यवस्था इसमें दिखाई गई है।

इस योजना में यह भी स्पष्ट तौर से जाहिर होगा कि कुछ टारगेट को लेकर, कुछ चीजों को सामने रख कर हमने सारी चीजें बनाईं लेकिन संभव है, जो कुछ अभी मिला है और ज्यादा प्राप्त किया जा सकता था बशर्ते कि राजस्थान की रेवेन्यू इनकम जो आज हमारी है उससे अधिक हो और दरअसल जो हमने अगले पांच वर्षों के लिए जैसी उम्मीद की है, अंदाज लगाकर आंकड़े दिये उसके अनुसार ५.२, मतलब पांच करोड़ २० लाख रेवेन्यू डेफिसिट राजस्थान की होती है। अब उसके अन्दर हम यह जरूर आशा करके चलते हैं कि सैल्स टैक्स के आंकड़े, जो आमद के आंकड़े अभी हमारे पास आये हैं, हम सोचते हैं, जितनी हम कल्पना करते हैं, अगले पांच साल में २.३ करोड़ रुपया अधिक मिलेगा और उस हद तक रेवेन्यू डेफिसिट है वह पूरा होगा और उसके कम होने के अन्दर हमको मदद मिलेगी। जो १४४ करोड़ रुपयों के आसपास जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिलने की बात करते हैं तो उसके अन्दर करीब करीब केन्द्र से यह आशा करके चल सकते हैं कि पिछले प्लान के प्रोपोर्शन एक्सपेन्डीचर के अन्दाज से, अभी निश्चित उस मामले में फैसला नहीं हुआ है, फिर भी आशा करके चल सकते हैं कि इसमें ८५ करोड़ रुपयों के करीब सेन्टर से हमें लोन के तौर पर या मदद के तौर पर इस सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में मिले हैं। उसके बाद हम करीब ८५ करोड के साथ साथ ३४ करोड़ और राजस्थान कैनाल का जोड़ लें तो उसका मतलब यह हुआ कि ११६ करोड़ रुपया हमें केन्द्र से सहायता के तौर पर, लोन के तौर पर, इसके अन्दर मान कर चलें। उसके बाद ३७ करोड़ के आस पास की रकम के लिए हमें राजस्थान के अन्दर रिसोर्सेज़ बढ़ाने होंगे। ३७ करोड़ रुपयों के रिसोर्सेज़ के अन्दर लोन्स, स्माल सेविंग्स स्कीम्स, बड़े लोन्स हो सकते हैं, एडीशनल टेक्सेज़ हो सकते हैं, और जो राजस्थान के अन्दर इरीगेशन के रूप में दूसरे डेवलप्मेन्ट हुए हैं अब तक और बीच में होते रहेंगे उससे भी जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ हमारे बढ़ेंगे, इन सारी चीजों को साथ में लेकर इसे आपको पूरा करना है। राजस्थान का पर केपिटा एक्सपेन्डीचर की दृष्टि से अगली योजना में होने वाले हिन्दुस्तान के कई राज्यों के मुकाबले में हमारी स्थिति अच्छी होने वाली है और जब हम वह चर्चा करते हैं और कहते हैं तो, पर केपिटा रेवेन्यू इनकम की बात कहते हैं तो भारतवर्ष के अन्दर इस वक्त हमारी पोज़िशन १२ वीं आती है। १२ स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनकी रेवेन्यू इनकम हमसे ज्यादा है। हमारी, रेवेन्यू इनकम १२.३३ राजस्थान की आती है।

हमारे मुकाबले सौराष्ट्र २८.८ है। यह सौराष्ट्र के आमद के आंकड़े आते हैं। इस बात से जाहिर होता है कि जब हम एक बड़ी योजना को कार्यान्वित करके हमारे यहां के आर्थिक और सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां राजस्थान पर

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

आने वाली हैं। यह निश्चित बात है। जब हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास तेजी के साथ हो तो इन चीजों के लिये हमारे अन्दर तैयारी होना आवश्यक होता है।

मैं इसके साथ साथ आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कुछ चीजों के बारे में, शुरू से राजस्थान के अन्दर काफी मांग चली आ रही है और अब भी चलती है और जहां तक हो सका है हमने प्लानिंग कमीशन के सामने इन चीजों के ऊपर अधिक से अधिक जोर देने का प्रयत्न किया है। राजस्थान के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जैसा हम राजस्थान में चाहते हैं इसका विकास तेजी के साथ हो, जो हमारे यहां जमीन है और जिस जमीन के अन्दर छिपी हुई दौलत हो, मिनरल्स हों उनका अधिक डेवलेपमेंट हो। इस डेवलेपमेन्ट के लिये पानी, बिजली और यातायात के साधनों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। इन साधनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये जहां पर सड़कों के लिये प्रोवीजन किया गया है उसके साथ साथ इस बात के लिए भी काफी जोर दिया गया है, राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर जो चम्बल से प्राप्त होने वाला है उससे राजस्थान की वर्तमान स्थिति में संभव हो सकता है। उससे जितनी ज्यादा बिजली हमारे ज्यादा से ज्यादा जिलों तक धीरे धीरे पहुँचाये उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अब तक की स्थिति में भाखरा से हमें बिजली मिलने की एक निश्चित बात तय हो चुकी थी। चंबल योजना में गांधी सागर बान्ध से हमको बिजली मिलने के बारे में फैसला हो चुका था। लेकिन गांधी सागर से जो बिजली मिलने की है राजस्थान को वह बिजली मिलने के बाद भी बहुत सा हिस्सा राजस्थान में ऐसा रह जाता है जिनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर नहीं मिल सकता, जिसका कि होना राजस्थान के विकास के लिए आवश्यक था।

दूसरी जो नहर योजना है, जिसे प्रताप सागर डेम कहते हैं इसके कार्य को साथ साथ शुरू किया जाय। इस काम को साथ में लिया जता हैं तो करीब करीब बिजली और सिंचाई के लिये नहरों और अन्य चीजों को मिलाकर १२ करोड़ रुपये के आसपास इस पर खर्च होता हैं। लेकिन इसको केल्कुलेट करने के बाद राजस्थान के कुछ हिस्से को छोड़कर करीब-करीब राजस्थान का अधिकांश हिस्सा चम्बल और भाखरा ग्रीड सिस्टम से जुड़ जाता है और इसके जुड़ने से हम यह आशा करके चलते हैं कि जब भारतवर्ष के अन्य हिस्सों में उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं तो उसके लिये यह आवश्यक है कि हमारे यहां बिजली सस्ती नहीं होगी तो उद्योगों का विकास तेजी के साथ नहीं हो सकेगा; इसलिये इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष, मुझे आपके जरिये सदन को सूचित करते हुए हर्ष होता है इस वत बात को कि भारत सरकार के प्लानिंग विभाग ने स्वीकार किया है। उसको स्वीकार करने के साथ साथ इसमें करीब ५ करोड़ रूपये के आसपास राजस्थान के हिस्से में और इससे कुछ और ज्यादा मध्य-भारत के प्लान के अन्दर व्यवस्था की जायगी। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि अन्तिम

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

निर्णय के लिये एक कमेटी नियुक्त की जायगी जो इसमें सुधार करेगी और सुधार करने के बाद प्रताप सागर बान्ध और गान्धी सागर डेम का कार्य साथ साथ पूरा किया जाय। इसके लिये टेक्निकल जांच की जा रही है जब कि जांच करने के बाद हमने जांचा है उसी आधार पर प्रताप सागर डेम की सख्त आवश्यकता है। वो इस लिहाज से भी आ जाती है।

इन चीजों के अलावा दूसरी चीज़ जिसको हम आवश्यक समझते हैं वह है खाद के कारखाने के संबन्ध में। जिप्सम राजस्थान के अन्दर पैदा होता है, अतः इसके लिये इस संबन्ध में अध्यक्ष महोदय, आज के दिन तक इसमें हम इस हद तक कामयाब हुए हैं कि जो मुकर्जी कमेटी इस संबन्ध में कायम हुई थी, उन्होंने यह रिपोर्ट दी थी, अगर मैं नहीं भूलता हूं तो दक्षिण में मेवाई का नाम है और बंबई के पास प्लान्टस और दूसरी फरटीलाइजर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की बात थी। इसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स को राजस्थान गवर्नमेन्ट ने बुलाकर उनकी सलाह से जो कुछ बातें भारत सरकार के समक्ष रखीं उनसे इतना परिणाम निश्चित हुआ है कि इस चीज पर पुनः विचार किया जाने लगा है। मैं समझता हूं कि जो बातें हमने रखीं उनमें इतना तथ्य है, राजस्थान इस बात का हकदार हो सकता है। यदि इस प्रकार का कारखाना राजस्थान के अन्दर लगता है तो यह एक बडी इन्डस्ट्री होगी जिसके अन्दर १२ से १५ करोड़ के आस पास रुपया लगेगा। इस प्रकार का कारखाना अगर यहां लग जाता है तो राजस्थान में यह उद्योग शुरु हो सकता है।

इसके अलावा इस योजना को देखने से ज्ञात होगा कि कुछ मुद्दों की बातों को तय करके हमने इस योजना को बनाया है। पहला हमारा यह विचार था कि तीन हजार की आबादी वाला हर कस्बा सडक से जोड़ दिया जाय। किन्तु जब योजना प्लानिंग कमीशन के सामने आई, उस पर चर्चा हुई तो यह पता चला कि तीन हजार के बजाय पांच हजार की आबादी के जितने कस्बे हैं उन्हीं तक पक्की सड़क से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पहुंचा जायगा। हर तहसील हैडक्वार्टर राजस्थान के अन्दर सड़क से जुड़ जायगा। इस प्रकार राजस्थान के अन्दर सड़क का विकास एक मुद्दे तक पहुंच जायगा। सड़कों के आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो इसमें नेशनल हाई वे और डिफेन्स की जितनी भी सडकें बनाई गई हैं उसकी रकम इसमें नहीं दी गई है। वह अलग से भारत सरकार द्वारा उन चीजों का निर्माण किया जाता है। इस बजह से इनकी रकम नहीं बतायी गई है।

जो प्लान तैयार करके हमारे द्वारा भेजी गई थी उसमें बहुत सारी माइनिंग की योजना थी। उनमें जानवर मांइन्स भी है। बेरीयल, लिगनाइट और कॉपर से ताल्लुक रखने वाली इन्डस्ट्रीज़ का भी उसमें उल्लेख था। इसी प्रकार से और भी इन्डस्ट्रीज़ के लिये बातें कही थीं। लिगनाइट जो बीकानेर के पास मिलता है उसके लिए यह तय हुआ कि इसको डेवलप करने के लिये २ करोड़ रुपये तय किये गये। अन्य योजनाओं के बारे में टेक्निकली एक्ज़ामिन करके उसके बाद फैसला करेंगे। यह भी

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हो सकता है, इस प्रकार टेक्निकली एक्जामिन करने के बाद जो निर्णय होगा तो उससे जो पिछले आंकडे हैं उन पर भी भविष्य में असर पड सकता है।

इन बातों के अलावा अगर हम छोटे उद्योगों की ओर देखेंगे तो पता चलेगा कि छोटे उद्योगों के लिए भी काफी रकम रखी गई है जिससे उनका अधिक से अधिक विकास किया जा सके और उनका विकास इसलिये आवश्यक हो जाता है, जो भी छोटे उद्योग धन्धे हैं जो ग्रामोद्योग हैं उन उद्योगों के जरिये जो गांव के रहने वाले लोग हैं जो या तो पूर्ण रुप से बेकार है या अर्ध रूप से बेकार हैं उन लोगों को काम देने के अन्दर और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के अन्दर यह खर्च ज्यादा मददगार होता है। इस ख्याल से इस रकम की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर सहकारी विभाग के लिए जहां कुछ लाखों की व्यवस्था थी आज उस रकम के अन्दर कुछ करोड़ की व्यवस्था की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम इस योजना के अन्दर दे सकें।

राजस्थान के अन्दर इस वक्त ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था है। उस बारे में खयाल किया तो करीब तीस और ३६ प्रतिशत बच्चे-बच्चियां राजस्थान में हैं जो स्कूलों के अन्दर पढ़ने जाते हैं। लेकिन अगली पंचवर्षीय योजना के बाद हम आशा करके चलते है कि हम कम से कम ४५ प्रतिशत बच्चों को पढ़ाने के लिये इसके अन्दर व्यवस्था कर पाएं।

पीने के पानी की योजना और ड्रेनेज सिस्टम के सम्बन्ध में कई बार कई जगह काफी चर्चा होती है। स्वाभाविक भी है कि मनुष्य पीने के पानी के लिये सबसे पहले आवश्यकता अनुभव करता हैं और इस पहली पंचवर्षीय योजना में पानी के लिये एक करोड़ रुपयों की व्यवस्था थी, इसके मुकाबले में अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर दो करोड़ रुपये जो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट है उसके अन्दर में उस रुपये की व्यवस्था की गई हैं।

इसके सिवाय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान का हर हिस्सा सामुदायिक विस्तार खण्ड के क्षेत्र में आ जायगा, यह निश्चित तौर से तय कर लिया गया है। कुछ रहें कुछ न रहें, इस तरह की बात नहीं है। पर जितना क्षेत्र है सारा का सारा समावेश कर दिया जावेगा। तो जब इसका समावेश करते हैं तो इसकी वजह से पीने के पानी की व्यवस्था नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक की स्कीम है, उसमें भी होती हैं और वह रकम करीब करीब हम समझते हैं कि डेढ़ करोड़ के आसपास होनी चाहिये। तो इस प्रकार गांवों के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था पर तीन साढ़े तीन करोड़ रुपयों के आसपास हमें उपलब्ध होगा।

कस्बों में और बड़े शहरों के लिए आप इस योजना को देखेंगे तो मालूम होगा कि कुछ नाम हैं जहां कि योजनाएं बन चुकी हैं कुछ और योजनाओं को लिया जा रहा है और प्रयत्न यह

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

किया जा रहा है कि पाइप सिस्टम से आम तौर से जहां तक सम्भव हो १० हजार की आबादी के ऊपर के कस्बों के अन्दर पाइप से पानी सप्लाई करने की योजना को पूरा किया जावे । कुछ जगह; जैसे कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर हैं, कोटा और अलवर और गंगानगर, इन स्थानों के अन्दर इस बात को भी सख्त आवश्यकता अनुभव की जाती है कि गलियों के अन्दर सड़कों के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने से वहां की गन्दगी काफी बढ़ती रहती है । तो जहां नल की व्यवस्था करें इसके साथ साथ इस बात का भी प्रयत्न करें कि वहां के गन्दे पानी को बहा ले जाने के लिये गन्दगी बहाई जाने के लिए ड्रेनेज को तो ठीक किया जावे इस खयाल से विस्तार के आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहता । इस जगह पर अकेले जयपुर में करीब ८० लाख से ऊपर रुपया पानी की वर्तमान जो स्थिति है उसके सुधार पर खर्च किया जावेगा और साठ लाख रुपया खर्च किया जावेगा यहां के ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए । इम्प्रूव करने का सवाल नहीं, यहां तो है ही नहीं। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हो इस रकम को हम काम में लगायेंगे । इसी प्रकार अन्य स्थानों के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

अभी करीब चार पंचायतों के बीच में कम से कम एक औषधालय है, इसके बाद १८५ हैल्थ सेन्टर्स राजस्थान के अन्दर स्थापित किये जावें, इसकी व्यवस्थां की गई है । ७५ वेटेरिरी डिस्पेन्सरीज़ की भी व्यवस्था की गई है और मैंने जैसा आपसे निवेदन किया, बिजली के बारे में हम प्रयत्न करना चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर जहां तक भाखरा और चम्बल से बिजली पहुँचे वहां पहुँचाई जावे । गांवों में जहां जहां कि बिजली नहीं पहुँच सकती है इसके लिए ८० लाख की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की अलग योजना है ।

इसके अलावा जोधपुर में नहीं पहुंच सकती तो इसके लिये अलग सिस्टम टरबाइन के जरिये वहां बिजली पहुँचाने का प्रयत्न किया जावेगा ।

इसमें आपने यह भी देखा होगा कि पानी की योजना के लिए हम हर सम्भव प्रयत्न करना चाहते हैं कि जो राजस्थान के अन्दर जितनी बड़ी नदियां हैं उनसे जितना हम लाभ उठा सकते हों उठावें । पर इसके अलावा अगर जो नदियां राजस्थान में नहीं हैं, पर जहां भी हैं और उससे हमें पानी प्राप्त हो सकता हो तो उसे भी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जावे, यह हमारा लक्ष्य है। राजस्थान केनाल, भाखरा चम्बल ये योजनाएं इसी प्रकार की हैं । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे इस प्रयत्न की सफलता भी नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है कि जमुना का जो फ्लड वाटर है उसको भरतपुर जिले के कुछ हिस्से में लाया जावे, वर्षा की मौसम में उसे स्टोरेज किया जावे और इसके बाद में सिंचाई के लिये हम व्यवस्था कर पावें । करीब बीस हजार एकड़ के आस पास सिंचाई की व्यवस्था के लिए वहां से पानी मिल सकेगा ऐसी आशा करके हम चलते हैं ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

और भी बहुत सी विस्तार की चीजें इसमें दी हुई हैं, जिनमें मैं समझता हूँ कि मैं अभी इस स्टेज पर जाना आवश्यक नहीं समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य भी इस बात को मानेंगे कि जो हमारे राजस्थान की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए, मेरा मतलब स्थिति जब कहता हूँ तो हमारे यहां की रिसोर्सेज की आमदनी है वर्तमान में उसको देखकर चलता हूँ। और जो अन्य राज्यों को पिछले वक्त में प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया और द्वितीय में दिया जा रहा है उस वक्त दूसरे प्रान्तों में हर कैपिटा जो कुछ दिया गया या दिया जा रहा है उन्हीं चीजों को सामने रखकर देखेंगे तो राजस्थान को जो मिला है उस पर मैं यह नहीं कहता कि हमें सन्तोष करके बैठना है, पर काम करने के लिए काफी गुंजाइश मिली है, राजस्थान को आगे बढ़ने के लिए काफी गुंजाइश मिली है।

(करतल ध्वनि)

यह तो हम सब पर अब निर्भर करता है कि हम काम को कैसे तेजी से चलाते हैं ? अगर हम काम की प्रगति ज्यादा तेज करते हैं, राजस्थान के अन्दर एक उपयुक्त वातावरण बनता है और ऐसा नहीं होता कि हर काम को जिसको करना चाहें उसमें मुश्किल आवे तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो कुछ आपको मिला है उससे भी कहीं ज्यादा रकम जब तक कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो तब तक राजस्थान में प्राप्त होने के लिए निश्चित तौर से यह रकम ज्यादा होगी इसमें, इसमें मुझे कतई शंका नहीं है क्योंकि बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए जब से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रकम मिलनी शुरु हुई हमने ध्यान देना शुरू कर दिया है। बहुत सी योजनाएं तब हमने भेजी नहीं थीं अब अधिक से अधिक उन चीजों पर जोर दे रहा हूँ इसमें रेलवेज़ का एवं ऐसे ही अन्य उद्योगों पर विशेष तौर से ध्यान देने की बात आती है।

मैं समझता हूँ कि जो रकम हमें स्वीकृत की गई है उसमें भी एक बात स्पष्ट कर दूं। जिस प्रकार कि आपने अखबारों में भी देखा होगा कि जो कुछ प्लान बनती है वह एक रिजिड जैसी कहना चाहिये, जिसमें परिवर्तन ही न हो सके इस तरह की प्लान नहीं बनती। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमारे यहां की समय समय पर होने वाली आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्लान में रद्दोबदल भी किया जा सकता है, पर एक बात जब हम विचार करें तो उस समय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस समय इस बात का लक्ष्य रखेंगे कि जो बड़े-बड़े हैड्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर, मैडिकल या अलग अलग हैड्स जिस प्रकार हमारे बजट में आते हैं, और दूसरे दूसरे मौकों पर आते हैं उनमें कुल मिला कर जो रुपया दिया गया है उन रुपयों में हम उधर से इधर करना चाहें जैसे मैडिकल के लिए मान लीजिये कि हमें ६ करोड़ मिला है, सड़कों के लिए मान लीजिये ८ करोड़ ६० लाख है अब अगर हम यह रुपया इधर से उधर हैड्स में करके करना चाहें तो वह सम्भव नहीं हो सकेगा। क्योंकि वहां प्लानिंग कमीशन में डिफरेन्ट हैड्स के नीचे उनकी टोटल रकम को बांटा हुआ है और उसके अनुसार वहां के वर्क करने वाले एडवाइज़र्स वगैरह

बैठकर अलॉट करते हैं। इसलिये इस हद तक तो रुकने की बात आती है। इसको रोकने के बाद अगर हम काम शुरु कर देते हैं और काम के शुरु करने के बाद अगर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि इसमें कुछ रद्दोबदल करना है तो वह करने के बाद आगे किस स्टेज पर आ सकते हैं बड़ी रकमों के बारे में, मेजर हैडस के बारे में। लेकिन यहां जैसा आप देखेंगे खास बड़ी-बड़ी चीजें दी हुई हैं, विस्तार से जरूर नहीं दिया, कौनसी चीज कहां नहीं होगी, तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जो मुख्य मुद्दा हमारे समक्ष है उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो यह विचारणीय विषय है, उस चर्चा का असर राजस्थान के लिए भविष्य में अच्छा हो सकता है हम और ज्यादा रुपया प्राप्त कर सकें, हमारी कुछ खास खास योजनाओं के प्रति और दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकें इस विषय के बारे में सदस्य लक्ष्य में रखकर यहां पर चर्चा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ इसमें पेज २४ पर करेक्शन करने की आवश्यकता है, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित कर दूं।

श्री अध्यक्ष—इंगलिश कॉपी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नहीं हिन्दी।

इसमें राजस्व खाते से प्राप्य शेषांक में ५.०, २ लिख दिया है वहां पर माइनस ५.२ किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—लाइन ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—तीन। निम्न चित्र स्थिति को सार रुप से उपस्थित करने के लिये पर्याप्त है। जहां पर फीगर्स का रेफरेन्स दिया गया है वह करोड़ में है लेकिन उसको माइनस ५.२ कर लिया जाय।

उसी प्रकार नंबर ४ में १५.६ समझा जाय। रेकर्ड खाते में "प्राप्ति" जहां लिखा है उसे १५.६ समझा जाय।

(इसके पश्चात इस पर वाद-विवाद आज हो या कल प्रातः, इस विषय में पर्याप्त अनौपचारिक चर्चाएं हुई और वह निश्चित रहा कि जो इस समय बोलना चाहें वे इस समय बोल लें और कल बोलना चाहे वे कल बोलें)

श्री श्रीदासगोयल—माननीय अध्यक्ष, अभी २ वे माननीय मुख्य मंत्री जी ने द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के सिलसिले में हमें बहुत सी बातें बतलाईं और यह बतलाया कि किस प्रकार से राजस्थान के हक में परा प्रयत्न करके दिल्ली से रुपया स्वीकार करवाये जाने का प्रयत्न किया गया है।

[श्री श्रीदास गोयल]

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो कुछ आपने कहा वह इस हद तक स्वागत करने योग्य है कि राजस्थान को कितना रुपया मिला है उसका लेखा जोखा जो रखा है वह एक ऐसा प्रोपोर्शन है वह बमुकाबिले दूसरी यूनिट्स के अच्छे है। यह भी सही चीज़ हैं कि राजस्थान सारे देश में बहुत पिछडा हुआ प्रान्त है, और जैसा कि सोशलिस्टिक पेटर्न की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पिछडे हुए इलाके को डेवलप्ड इलाकों के साथ साथ लेकर चलना है तो यह जरूरी है राजस्थान के हक में कि राजस्थान के अन्डेवेलप्ड इलाके का डेवलपमेंट ज्यादा जागरूक होकर किया जाय। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट की भी उसके प्रति उतनी ही जिम्मेवरी है कि राजस्थान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वास्तव में जो पिछडा हुआ इलाका रहा है। जब इसका कम्पेरीज़न करते हैं यू. पी. बम्बई, बंगाल, मद्रास, और दूसरे उस टाइम के ब्रिटिश प्राविन्सेज़ जो आज स्वतन्त्र भारत के अंग है, और दूसरी स्टेट्स ग्वालियर, इंदोर वगैरह हैं, तो हमको यह निस्संकोच मानना पडेगा कि वास्तव में हमारा यह राजस्थान बेकवर्ड रहा है जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जैसलमैर का इलाका और बहुत से और भी ऐसे क्षेत्र हैं जो उस टाइम जंगली क्षेत्र कहे जाते थे। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थिति में इस राजस्थान की और जो कुछ दिया जा रहा है वह ध्यान हमको पहले से ज्यादा जागरूक होकर देना है, और खास तौर से ऐसी परिस्थिति में जब कि हम रूस और चीन के मुकाबले में हमारे देश को अहिंसा के मार्ग से ले जाते हुए शान्तिपूर्ण उपायों से उन्नत करने के वास्ते हर रोज़ और ज्यादा विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा...

श्री हरिराम—अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा को जंगली बताया; तो वे जंगली नहीं, बेकवर्ड हैं।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय अध्यक्ष यह सही है कि किसी भी क्षेत्र के बारे में ऐसे अपशब्द कहे जांय।

श्री श्रीदास गोयल—मैं निवेदन करूं कि वहां पर जंगल बहुत हैं और मैंने वह व्याकरणानुसार कहा है। मेरे मित्र बेकवर्ड में परिवर्तन होना चाहे तो मैं पसन्द करूंगा कि...

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, इसी एनोलोजी पर जंगल विभाग के मंत्री को जंगली मंत्री बनाया जायगा तो बहुत गड़बड़ हो जायगी। इसलिए मेहरबानी करके इसको वे वापिस ले लें।

श्री वेदपाल त्यागी—He Should withdraw there words.

श्री श्रीदास गोयल—तो मैं निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्षजी, कि हमें सात बातों की ओर देखना पड़ता है। जब कि हम देश की जनजागृति का विचार करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न रोटी और रोजी का होता है, दूसरा कपड़े का, तीसरा मकानों का, चौथा उनके स्वास्थ्य का, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा का, उसके बाद में सुरक्षा का और अन्त में प्रश्न आता है उचित और सस्ते न्याय का। यदि ये ७ चीजें किसी देश में विद्यमान हैं तो वह देश रामराज्य कहलाने का अधिकारी है और वहां का प्रत्येक निवासी गर्व कर सकता है अपने देश के लिये। जब ये योजनाएं हमारे सामने है, इन योजनाओं पर जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रकाश डाला कि भिन्न भिन्न हेड्स में काफी रुपये रखे गये हैं, काफी सोच विचार करके यहां के जो योग्य अधिकारी हैं उन्होंने और योजना कमेटी के मेम्बरों ने मिलकर जो निश्चित रूप दिया है वह काफी तथ्य पूर्ण है। जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा एक हेड से दूसरे हेड में रिएप्रोप्रियेशन करने में आगे गुंजाइश नहीं रहेगी इसलिये हमें पूरी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यही कारण है कि इस सम्बन्ध में हमें सोचना है। हम कल भी इस पर सोच-विचार करेंगे। तमाम आंकड़े हमारे सामने हैं। उनको सामने रखते हुए यदि अमाउन्ट्स में कमी-बेशी करना है...

श्री गोपीलाल यादव—आप किसको सुना रहे हैं, विरोधी बेंचों पर तो कोई है नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—डेवेलेपमेन्ट ट्रेजरी बेंचेज़ को करना है, जो डेवेलेपमेन्ट में भाग लेते हैं और वे बैठे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं भी बैठा हूं।

श्री श्रीदास गोयल—ये देखिये जिनको इसमें रुचि है वे अपोजिशन वाले भी बैठे हैं।
मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी हालत में इन आंकड़ों पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। गम्भीरता से विचार करने के लिये खास तौर से अपील करते, यदि अपोजिशन के माननीय सदस्य आज यहां होते, लेकिन एक ही मित्र हैं जो इस समय यहां विद्यमान हैं।

हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जगह जगह सेवा विस्तार खंड खोले, जन कल्याण के लिये अन्य बहुत से कार्य किये। वाटर सप्लाई के लिये ग्रान्ट्स दी, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संबंध में डेवलपमेन्ट कार्य शुरू किये लेकिन उनको पूरा करने में जिस तरह की तत्परता हममें विद्यमान होनी चाहिये थी उस तरह की तत्परता की कमी पाई गई। जहां कार्यकर्ताओं में मेहनत करने की भावना है वहां वे लोग काम के साथ लगे रहकर काम कर सकते हैं। जब देश करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, देश की उन्नति के लिये उन गरीब मोहताज़ लोगों के दुःख दर्द को मिटाने के लिये, उनका रोटी रोजी का मसला हल करने के लिये वहां हमें तत्परता से काम करना

[श्री श्रीदास गोयल]

चाहिये । जो लोग साधन सम्पन्न हैं या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं उनको तत्परता के साथ जागरूक होना चाहिये । जैसे नेहरूजी ने फरमाया था कि कांग्रेस जन के लिये आराम हराम है उसी तरह मैं निवेदन करूंगा कि हरेक भारतीय को, चाहे वह अधिकारी हो, नागरिक हो या एम. एल. ए. हो तडफन के साथ जब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आकर योग नहीं देगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी । यहां तो उसी तरह से काम करना पड़ेगा, जिस तरह से किसी के घर में कोई बीमारी घुस आती है तो उससे छुटकारा पाने के लिये रात दिन एक कर दी जाती है । उसी तरह से गुलामी के बाद स्वतंत्रता का स्वप्न देखते हैं तो हमें उसे कार्यान्वित करना है और उसके लिये अत्यावश्यक है कि हम सब तन-मन-धन के साथ आगे बढ़ें और हमारी योजना को कार्यान्वित करें । इस सिलसिले में मैं कुछ नजीरें आपके सामने रखना चाहता हूँ जिनसे यह प्रकट है । क्षमा करेंगे, वास्तव में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार लापरवाही रही । सवाई माधोपुर में नेशनल प्लानिंग डिपार्टमेन्ट में कम्युनिटी ब्लॉक्स में जो काम करने वाले अधिकारी रहे उन्होंने इस तरह की जिम्मेदारी नहीं निभायी । एक प्रमुख अधिकारी तो अधिकतर बाहर रहे, जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में उनको जिले में जगह जगह घूम कर सहयोग देना था । उसका फल यह है कि यदि वहां से आंकडे मंगाये जांय तो पता चलेगा कि जितने रुपये खर्च हुए हैं वे या तो ब्लॉक डेवलोपमेन्ट ऑफिसर्स ने खर्च किये हैं या बाकी रुपये पड़े हुए हैं । सवाई माधोपुर में ब्लॉक डेवलोप्मेन्ट के सिवाय या तो स्टाफ के कर्मचारियों पर खर्च हुए या फर्नीचार में खर्च हुए हैं । कर्मचारियों का वेतन, फर्नीचर आदि के अलावा वहां कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे हम कह सकें कि हम सही माने में जागरूप हैं या रहे हैं । मैं निवेदन करूं कि जब करोडों रुपये खर्च करने हैं तो पुरानी आदत भुलाकर अधिक उत्साह के साथ हमें उसमें लग जाना है । वे ध्यान रखें कि देश के हित की दृष्टि से हमें काम करना है और यह महसूस करें कि देश का हित सर्वोपरि है और व्यक्ति विशेष का कोई ख्याल नहीं है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में वन को बढ़ाने के लिये सरकार करोड़ों रुपये खर्च करना चाहती है । इस विषय में यह भी निवेदन करूं कि वन विभाग के अधिकारियों से बात चीत करने से ज्ञात हुआ है कि सवाई माधोपुर का वन इकॉनोमी की दृष्टि से सारे राजस्थान में प्रथम है और प्रथम रहा है । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां का बहुतसा जंगल काश्त के नाम से एस. डी. ओ. ने कटा दिया । जो अधिकारी वन की रक्षा के लिये जिम्मेदार होना चाहिये वह अपनी कर्तव्य परायणता को महसूस न करके उसे उल्टा कटाने में योग दे, यह एक आश्चर्य की बात है । मैं निवेदन करूं कि ५००-५०० एकड़ भूमि में जहां जंगल था और जहां पर कोयले की बहुतायत थी और सवाई माधोपुर से कोयला जयपुर तक जाता था उसको काश्त के नाम से बटवा दिया और ५०० एकड़ जमीन में से एक एकड़ जमीन में भी काश्त नहीं हुई । पिछले समय जब राजस्व मंत्रीजी वहां गये थे तो जिला कांग्रेस कमेटी ने और अन्य लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि जंगल नहीं काटा जाय और जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित किया गया था, लेकिन

[श्री श्रीदास गोयल]

आज तक उसका कोई सही नतीजा नहीं निकला। इस राष्ट्रीय हानि के लिये कौन जिम्मेदार है, इस में किस किस का हाथ है, किन किन का एस. डी. ओ. को आशीर्वाद था; आदि बातों की आज तक मालूमात नहीं हुई। तो मैं निवेदन करूं कि जिन योजनाओं को हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं उनके बारे में यह देखना पड़ेगा कि हम सतर्क रहें और जो अधिकारी काम करें उनमें यदि काम करने के लिये तड़पन नहीं है तो पैदा करें और इसके लिये कुछ कहने-सुनने की जरूरत पड़े या सख्ती से कार्यवाही करनी पड़े तो हमें उसे टालना नहीं चाहिये।

जल बोर्ड के सिलसिले में सवाई माधोपुर में काफी बड़ी ग्रान्ट स्वीकार की गई थी लेकिन रुपये काफी समय तक ब्लॉक हुए पड़े रहे, थोड़े बहुत खर्च हुए। सरकारी कर्मचारी और स्थानीय कार्यकर्त्ता जो इन कार्यों को कर सकते हैं मासेज़ में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन गरीबों के दुख दर्द को मिटाने के लिये तत्पर रहना चाहिये और पैरों पर खड़े होकर मेहनत मजदूरी करके भी करोड़ों रुपयों के फंड को इस्तेमाल करना है। जब तक हम आपस में कंधे से कंधा लगा कर काम नहीं करेंगे और एक दूसरे को सहायता देने को तैयार नहीं होंगे तब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो सकेगी और उसका वही हाल होगा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का हाल हुआ। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा, वे शायद इस समय यहां नहीं हैं तो दूसरे मन्त्री महोदयों की मार्फत उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस बात के लिये सतर्क रहें और ध्यान रखें। हमने जो कुछ भी योजना बनाई है उसको सफल करने के लिए सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी जितने भी व्यक्ति हैं उनको खिदमत करने की जरूरत है। इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े हमें करनी चाहिये। जो लोग इसमें गड़बड़ी करने वाले हैं उनको दंड देने की जरूरत पड़े तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिये। यह देश का सवाल है। यहराजस्थान के १ करोड़ ५६ लाख जनता के दुख दर्द मिटाने का सवाल है, उनका ख्याल करें; करोड़ों रुपये पानी की तरह न बहाये जांय।

मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है जिसमें खनिज पदार्थों की दौलत की कमी नहीं है। यहां पर कोपर माइन्स हैं, पेट्रोलियम जेसलमेर के आस पास मिल सकता है, यूरेनियम यहां मिल सकता है, जस्ता, लाख, जिंक आदि मिलने की यहां पोसिबिलिटी है और भी कई खनिज पदार्थ यहां मिल सकते हैं। जियोलोजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा महकमा है जो इन खनिज पदर्थों का सर्वे करके उनको निकाल सकता है। यह धंधा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के जिम्मे है। अब तक जो प्रगति इस दशा में हुई है वह नगण्य सी है। हम इसको देखते हुए महसूस करते हैं कि देश के विकास के लिए, यहां की दौलत बढ़ाने के लिए इन खनिज पदार्थों को निकालना जरूरी है। तो भारत सरकार के लिये अत्यावश्यक है कि ऐसे खनिज से भरे हुए प्रदेश में अब तक जो कुछ हुआ वह असंतोषप्रद हुआ, इसको अब ज्यादा तड़पन के साथ पूरा करना चाहिये। अगर भारत सरकार ने पूरा ध्यान दिया तो इतना होगा कि प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की आय देश को होगी।

[श्री श्रीदास गोयल]

मैं साथ ही माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करूं कि जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि फर्टीलाइजर फैक्ट्री के लिए राजस्थान में बहुत गुंजायश है और भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। और मैं अर्ज करूं कि अगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण और एक कोर्नर में होने से अगर वहां फर्टीलाइजर फैक्ट्री नहीं खोली जा सकती तो भरतपुर, सवाई माधोपुर और (अश्रव्य) इन तीन स्थानों में पर्याप्त पानी है, ये स्थान इसके उपयुक्त भी हैं और राजस्थान के सेन्टर में ही नहीं बल्कि मध्यभारत आदि प्रान्त भी पड़ौस में हैं, इन स्थानों का साइट भी अच्छा है........

एक माननीय सदस्य—हनुमागढ़ में साइट अच्छा नहीं है क्या ?

श्री श्रीदास गोयल—साइट अच्छा हो सकता है लेकिन पानी की कमी के कारण, यदि एक स्थान मुख्य कारणों की वजह से भारत सरकार पसंद नहीं करती है तो उस स्थान को हटा कर दूसरा उपयुक्त स्थान मिल सके तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये। वहां रेल्वे लाइन भी है जंक्शन भी है, भूमि भी बहुत है, मजदूरों की संख्या भी काफी है और हम देखते हैं कि राजस्थान में गरीबी बहुत है, गरीब मजदूरों की कमी नहीं है।

एक माननीय सदस्य—फर्टीलाइजर का रॉ मेटीरियल भी है क्या वहां ?

श्री श्रीदास गोयल—जहां रॉ-मेटीरियल का सवाल है और उसके लिये कहा गया, तो इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि केवल रॉ-मेटीरियल मिलना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक दूसरे साधन उपलब्ध न हों तब तक केवल रॉ-मेटीरियल से क्या हो सकता है। मैं कहता हूँ कि हनुमानगढ़ में हो जाय तो बहुत अच्छा है, मैं सब से पहले उसका स्वागत करूंगा। वहां नहीं हो सके तो राजस्थान फर्टीलाइजर फैक्ट्री से वंचित नहीं रहना चाहिये।

जैसा कि अभी कहा गया, जयपुर की हालत देखिये, वास्तव में बरसात के दिनों में गलियों में रहने वाले लोगों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, और वास्तव में देखा जाय तो सवाई जयपुर की हालत नर्क जैसी है। हम जो एम. एल. एज. हैं गवर्नमेन्ट होस्टल में रहते हैं लेकिन गलियों में रहने वालों की हालत खराब है, इतनी भयंकर गंदगी है कि कमजोर आदमियों के तो फेफड़ों में टी० बी० भी घुस जाय।

हमें सुन कर हर्ष होता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर की गन्दगी को मिटाने के लिये घोषणा की है। जब बाहर के टूरिस्ट हमारे यहां जयपुर में आते हैं और जयपुर की मुख्य सड़कों को देखते हैं तो कहते हैं कि यह हिन्दुस्तान का पेरिस है, हरेक को यहां की मुख्य सड़कें देख कर बड़ा हर्ष होता है, पर उन लोगों को जयपुर की गलियां दिखा दी जांय तो वे लोग यही कहेंगे कि स्वर्ग नर्क एक जगह इकठा हो गया है।

[श्री श्रीदास गोयल]

पहले चुनावों के समय में कांग्रेस ने लोगों को आश्वासन दिये थे कि राजस्थान में चम्बल की योजना बनेगी और उससे सारे राजस्थान में पानी और बिजली पहुँचाई जायगी, घर घर में बिजली पहुँचाई जायगी और आज जो भूमि सूखी दिखाई दे रही है उसे आप उर्वरा पायेंगे, बिजली का बटन दबाया और अपने खेतों में पानी ले लिया। द्वितीय पंच वर्षीय योजना की बात करते हैं तो जो नक्शा हमारे सामने रखा गया है उसी तरह अगर पूरा किया जाय तो राजस्थान के सामने जो बड़ा अनएम्प्लोयमेंट का प्रश्न है वह हल हो जायगा और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक कल्याणों से जो हमारी प्रगति रुकी हुई है, उनमें हम प्रगति करेंगे और उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। अन्त में मैं माननीय अध्यक्ष, फिर निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मेरे माननीय मित्र जो एम० एल० एज० हैं, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये कटिबद्ध होकर काम करना है और शपथ लेनी है कि हम देश की गरीबी को मिटाने के लिये, देश की भुखमरी को मिटाने के लिये, दलितों और दलित जातियों के दुख को मिटाने के वास्ते कटिबद्ध होकर काम करेंगे। जिस तरह युद्ध क्षेत्र में जाने के लिये योद्धा तलवार बांध कर कटिबद्ध हो जाता है उसी तरह कटिबद्ध हो जायेंगे, जिस तरह एक्टिववार फील्ड में सिपाही काम करता है, उसी तरह काम करेंगे। तभी यह योजना सफल होगी।

मैं निवेदन करूं श्रमदान के सिलसिले में। सवाई माधोपुर में माननीय मुख्य मंत्री आये। विकास खण्ड के एक दो गांवों में गये, पर बीच में ही एक अधिकारी ने उन्हें लौटा लिया और नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने काफी तैयारी की थी, उन्हें हताश होना पड़ा। बाद में गृह मन्त्रीजी सब जगह गये और उनके नोटिस में लाया गया कि हमने श्रमदान किया है, चट्टानों को निकाल कर जल निकालने के लिये कार्य कर रहे हैं, रास्ते तैयार किये हैं और अनेक जन-उपयोगी कार्य किये हैं, उनको देखते हुए सरकार हमें सहयोग देगी तो हम अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समझेंगे।

ऐसी स्थिति में हम राजस्थान निवासियों की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग भरसक प्रयत्न करेंगे तो कोई बात नहीं कि हमारी योजना सफल न हो। हमारी यह योजना अवश्य सफल होगी। यह कहते हुए मैं निवेदन करूंगा कि चाहे कोई मित्र कहीं का हो, सब एक मत होकर मिल कर हमें काम करना है और अनहैल्दी क्रिटिसिज्म नहीं करके जो ठोस सुझाव हों वे देने चाहिये और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को और अधिक रुपया देने के लिये ज्यादा उत्साह दिला सकें ऐसे कार्य करने चाहिये। हमें जो यह रुपया मिल रहा है उसको समय पर और ठीक जगह खर्च करके राजस्थान को उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहिये। समय पर और ठीक जगह अगर रुपया खर्च नहीं किया गया तो हमारा राजस्थान तरक्की नहीं कर सकेगा और यह राजस्थान की जनता के लिये हितकर नहीं होगा।

[श्री श्रीदास गोयल]

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के सभी सदस्यों से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें कटिबद्ध होकर काम करना चाहिये।

(अनेक सदस्यों द्वारा : "समय हो गया है")

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष बोलने का तो मेरा भी विचार बहुत है और भी बहुत से सदस्य बोलना चाहते है, इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि कल हर एक के लिये समय मुकर्रर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—कल समय कम मिलेगा।

श्री खेतसिंह—कोई बात नहीं, कम समय मिलेगा तो भी सारा इम्प्रेशन दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—और कोई साहब बोलना चाहते हैं ?

श्री हरिराम—माननीय उपाध्यक्ष, मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे ज्यादा टाइम देंगे तो मैं जरूर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—बोलना चाहें तो बोलें।

श्री हरिराम निनामा—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज पंचवर्षीय योजना के बारे में तो जरूर बोलना ही चाहिये। आज यह दूसरी पंचवर्षीय योजना है। पहले भी कई तरह की योजनाएं आईं थीं, मगर मैं आपको यहां पर बतला देना चाहता हूँ कि किसी भी योजना पर बोलने के लिये मुझे यहां पर समय नहीं मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे भीलवाड़े और डूंगरपुर वाले जंगली नहीं हैं। हम इन्सान हैं और बेकवर्ड हैं। हम लोग जंगली नहीं हैं। हम भी राजस्थान के एक अंग हैं इसलिये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि भीलवाडा डूंगरपुर बैकवर्ड है इसलिये उनको फायदा पहुँचे; इसके लिये पंचवर्षीय योजना में ज्यादा बातें रखनी चाहिये और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग सदन में बैठने वाले सदस्य इस पर विचार करेंगे कि बांसवाडा डूंगरपुर हजारों वर्षों से बैकवर्ड हैं। मगर वहां कई आदमी मिलते हैं और कैसे आदमी मिलते हैं और वहां के लोग किस स्थिति में हैं यह आप नहीं समझ सकते। क्योंकि वहां पर आप लोग कभी नहीं आये। भूतपूर्व नेताओं के अलावा कोई वहां नहीं आया। आप लोगों ने बांसवाडा डूंगरपुर की हवा नहीं खाई है। यह इतना पिछड़ा हुआ है कि आपको इस पर बड़ी गहराई के साथ सोचना होगा और अगर पंचवर्षीय योजना में जितने काम हो रहे हैं सारे के सारे वहां कराये जावें तो भी वहां कुछ नहीं होगा। मैं यह आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपने डूंगरपुर बांसवाडा की हवा

[श्री हरिराम निनामा]

नहीं खाई है और न मालूम किस दिन आप इसकी हवा खाएंगे इसलिये आपको उसका क्या मालूम है ? इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनकी भलाई के लिये इस पंचवर्षीय योजना में अपना कर्तव्य पूरा करें। और उनका कर्तव्य पूरा हो सकेगा।

(हिअर हिअर की आवाज)

यह जिला ऐसा है जहां बैकवर्ड, आदिवासी लोग रहते हैं। वह आदिवासियों का एरिया है। मैं आदिवासियों, बैकवर्ड क्लास के लोगों की ओर से आपको प्रार्थना करूंगा कि उनकी शिक्षा के लिये, वहां पर सड़कों के लिये और दूसरे कामों के लिये अभी तक गांवों में कुछ नहीं किया गया है उसके लिये इस पंचवर्षीय योजना में खास करके ध्यान देना और योजना रखनी चाहिये। यह हजारों लोगों की प्रार्थना है। राजस्थान के कोने कोने में ये लोग बैकवर्ड क्लास हैं। मेरे भाई कहते हैं कि वे बैकवर्ड क्लास जंगली हैं। जब आप जानते हैं कि जंगली हैं, इनका सुधार होना चाहिये। जब यह पंचवर्षीय योजना आपके सामने है अगर इस समय आप इसका इलाज नहीं कर पाएंगे तो फिर कब इसका इलाज करेंगे ? आप कहते हैं कि सफाई नहीं है, गलियें साफ नहीं हैं, अब राजस्थान में यह पंचवर्षीय योजना है, अगर गंदी गलियें इस समय भी साफ नहीं होगी तो फिर कब साफ करेंगे ?

(हिअर हिअर)

राजस्थान की गंदगी साफ करना इस पंचवर्षीय योजना में होना चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप सब भाई इस पर गहराई से सोचें। इस समय काम ज्यादा करना है इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान के कुल कर्मचारी, सब लोग और भाई भाई की तरह कन्धे से कन्धा मिलाकर हर महकमा मिलजुल कर और राजस्थान की एक करोड ३५ (लाख) है सब मिल कर इस पंचवर्षीय योजना में काम करेंगे और श्रमदान देने का हर इन्सान को अधिकार है वे सब मिलकर श्रमदान में जुट जावें और पंचवर्षीय योजना पर बैठे नहीं रहें कि पंचवर्षीय योजना में हमारा सब काम हो जावेगा। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि जो ऐसा नहीं करेगा तब तक आपके राजस्थान का भविष्य आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कन्धे से कंधा मिलाकर काम करें और पंचवर्षीय योजना को संचालन करने में, जो इधर से उधर काम को छोड़ मत देना। आप सब मिल कर काम करें।

(हिअर हिअर)

कलेक्टर और कर्मचारी आदि सब मिल कर काम करें। कन्धे से कन्धा मिला कर मदद करेंगे और सब मदद करके इस योजना का अच्छी तरह से संचालन करना चाहिये।

(हिअर हिअर)

बस मेरी यही प्रार्थना है। जय हिन्द।

श्री भोपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो अभी माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि इसके बाद हमारा राजस्थान हरा भरा हो जावेगा: इसलिये मुझे अर्ज करना है कि नागोर डिस्ट्रिक्ट में बहुत आबादी है और वहां पर ज्यादातर पानी की कमी रहती है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस साल काफी रुपया नागोर को दिया है मगर फिर भी मेरी अर्ज है कि नागोर डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज्यादा रुपया मिलना चाहिये ताकि वहां पर पानी पीने की दिक्कत दूर हो सके। पहला सवाल है पानी पीने का। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि नागोर के पूर्वी भाग में जो पहाड़ियें हैं उनको बांधकर पानी का प्रबन्ध किया जावे।

दूसरी कमी है वह रेल्वे की है। जब स्टेट रेल्वे थी, उस समय कई योजनायें बनी थीं। मगर अब रेल्वे सेन्टर के आधीन चली जाने से उन योजनाओं की कोई तरक्की नहीं हुई हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय चीफ मिनिस्टर सेन्टर से इस संबन्ध में कोशिश करें और जो हमारी स्टेटों के समय की स्कीम थी उसको पूरी करने की सिफारिश करें। एक लाइन मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी जाती है वह ८ मील का टुकड़ा है; उसको पुष्कर-अजमेर से मिला दिया जाए और आगे बढ़ना चाहिये और बिलाड़ा से जैतारण परबतसर का टुकड़ा भी आगे बढ़ाया जाना चाहिये। यह अगले पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन रखा गया था; मगर फिर भी माननीय चीफ मिनिस्टर कोशिश करेंगे तो यह जरूर होगा।

दूसरा, बिलाड़ा से रेलवे लाइन करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी केन्द्र से अर्ज करें। रेल्वे की सुविधा होने से हमारा जो नागौर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि वहां इन्डस्ट्रीज़ वगैरह खुल सकती हैं। पानी की सुविधा जो आप करेंगे तो उससे नागोर डिस्ट्रिक्ट का बहुत भला हो सकता है। नागोर के पूर्वी भाग में बाढें आ गई हैं, वहां कोई बांध बनवाया जाय तो उससे काफी भला हो सकता है। इसलिए खास तौर पर अर्ज पानी के लिये है। नागोर के लिए जितना दे सकें दें, दिलावें और केन्द्र से रेल्वे के लिए अर्ज करें कि रेल्वे लाइन बढ़ाई जाय। यह मेरा खास निवेदन है और अगर सरकार के पास छोटे मोटे बांध बनाने की स्कीम हो तो उससे पब्लिक का काफी भला हो सकता है और पानी की भी काफी सुविधा हो सकती है।

श्री तेजमल बागना—उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन के सामने रखे हैं उनको देखने से मालूम होता है कि वास्तव में यह बड़ी सराहनीय योजना है और जितनी कोशिश करके जो १२१ करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं, बड़े बड़े आंकड़े हैं, वे हमने देखे हैं, उनसे संतोषप्रद भविष्य इस राजस्थान का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मालूम होता है। दरअसल, वास्तव में जब डिटेल्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज़ स्कीम्स हमारे सामने आवेंगी तो उस वक्त हमको मालूम हो सकेगा कि दरअसल कौनसा हिस्सा इससे ज्यादा फायदामंद होता है और कौनसा हिस्सा इससे वंचित रहता है। मुझे तो इत्मिनान है और जैसा कि माननीय

[श्री तेजमल वापना]

मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा कि कोई भी तहसील इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना से वंचित रहने वाली नहीं है ।

इसके साथ साथ मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में यह कहा जाता रहा है कि यह तो प्रथम योजना है, शुरुआत की योजना है और इस योजना के अन्दर जनता की ओर से या जिलों की ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया है, आगे से बड़े बड़े इन्जीनियरों से, दूसरे जो बड़े बड़े आदमी हैं उन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई और हम कहते रहे हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक तहसील को, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, वंचित नहीं रखेंगे। तो इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय प्लानिंग मिनिस्टर साहब को कि जो रुपया राजस्थान को मिला है उसका वितरण करते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाय कि कौनसा हिस्सा राजस्थान का पिछड़ा हुआ है, कौनसा हिस्सा है राजस्थान का जिसमें सिंचाई के साधनों की कमी है, कौनसे राजस्थान के हिस्सों में सड़कों की कमी है और कौनसा हिस्सा मिनरल के काम में ज्यादा तरक्की मांगता है ।

इसके साथ साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, आपका एक दो बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Is there no opposition ?

श्री तेजमल बापना—(अपना भाषण जारी रखते हुए) राजस्थान यातायात के मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—Opposition is not required.

श्री तेजमल बापना—(अपना भाषण जारी रखते हुए) और विशेषकर भीलवाड़ा जिले के लिए कह सकता हूँ कि कोई सड़कें नहीं हैं । जो आंकड़े इस योजना में दिये हुए हैं उनमें नौ करोड़ रुपया सड़कों के लिये रखा हुआ है । मैं मानता हूँ यह अपर्याप्त है । चूंकि सड़कों के लिये वह रकम अपर्याप्त है इसलिये इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजो और कोशिश करेंगे कि सड़कों के लिए ज्यादा रुपया रखा जाय ।

इसके साथ साथ खनिज संगठन के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । राजस्थान मिनरल रिसोर्सेज के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है और इस संगठन के ऊपर एक साधारण सी रकम ५ लाख रकम रखना बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है । आज हम एक और यह चाहते है कि राजस्थान खनिज पदार्थ में बहुत धनी है और उसके रिसोर्सेज़ को उन्नत

[श्री तेजमल बापना]

करना है और दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि खनिज संगठन के ऊपर एक नेग्लिजिबल रकम रहती है तो किस प्रकार से इसका सुधार हो सकता है, उन्नति हो सकती है, किस प्रकार हम योजना को सफल बनाना चाहते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी मुझे शंका होती है।

इसके साथ साथ श्रम के सम्बन्ध में केवल ४५ लाख रुपये रखे हैं, वह बहुत ही साधारण सी रकम है और आज जो हम श्रमिकों की हालत को देखते हैं, तो वास्तव में वो बड़ी चिन्ताजनक हैं, तो उसमें सुधार के लिए बड़ी रकम रखी जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इसमें साथ साथ मैं तो आज इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हम यह आश्वासन देते आये हैं, वे पूरे होंगे यदि हमने उसको सचेत हो कर पूरा करने की कोशिश की। दर असल गांवों में सबसे ज्यादा जरूरत है सिंचाई की, गांवों में सबसे ज्यादा जरूरत है वह है औषधालयों की, गांवों में सबसे ज्यादा जरूरत है वह है पाठशालाओं की। बड़ी बड़ी योजनाएं हम देखते हैं ? चम्बल की योजना है, भाखरा नांगल से हमारे यहां पानी आने वाला है और बिजली आने वाली है, लेकिन बहुत सा हिस्सा रह गया है जहां सिंचाई के बड़े साधन नहीं हैं, तो वहां पर छोटे मोटे तालाब बनवाये जावेंगे और वहां सिंचाई के पूरे साधन गांव वालों को दिये जावेंगे। इस बात की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार करेगी, ऐसा में निवेदन करता हूँ।

इसके साथ साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हम देखते हैं। आज गांवों में लोग जागृत हुए हैं, वे अपने अधिकारों का ख्याल करके इस बात की मांग करते हैं कि कम से कम दो हजार की या तीन हजार की आबादी वाले गांवों में या आस पास के गांवों को मिलाकर पांच हजार की जहां आबादी हो वहां एक औषधालय होना चाहिए, पांच हजार की आबादी वाले गांव में एक डिस्पेन्सरी होनी चाहिए। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह हो जायगा, में इस बात का इत्मिनान करता हूं।

इसके अलावा मैंने शुरू में निवेदन किया था कि जो विशेष आंकड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज़ मिलेंगे उन्हीं पर विस्तार से कुछ कहा जा सकेगा।

श्री कस्तूरचंद—उपाध्यक्ष महोदय, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में मेरे विचार पेश करना उचित समझूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बजट हमें मिला है और उसको देखने में आया है तो हम इस बजट का स्वागत करते हैं। इसको देखने पर अन्दर से पता चलता है कि रकम की खींचातानी मचा रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं जैसा कि इसमें....

एक माननीय सदस्य—माननीय उपाध्यक्ष, सदन में कोरम नहीं है। या तो घंटी बजाकर सदस्यों को बुलाया जाय और कोरम पूरा किया जाय, नहीं तो सदन की बैठक स्थगित की जाय।

श्री कस्तूरचंद—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इसमें जो शाहपुरा का नाम आया है वैसे राजस्थान में दो शाहपुरा हैं। एक शाहपुरा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा जयपुर में है। यह हमें मालूम नहीं हो सका है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री इस बात को स्पष्ट कर दें कि यह कौनसा शाहपुरा है। इसमें तरह तरह के ढंग से रकम रखी गई है ...

श्री हंसराज आर्य—कोरम पूरा नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री कस्तूरचंद—(जारी रखते हुए) मैं इस बारे में माननीय मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं कि जो गांव का नंबर २१ पेज पर दे रखा है उसमें शाहपुरा कौन सा है, उसकी खुलासा रूप में जानकारी चाहता हूं। और जैसा कि सरकार द्वारा बजट में बताया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पनपाने के लिये जहां लाखों रुपयों की रकम दे रखी है इसका तो मैं स्वागत करता हूं ..

श्री हंसराज आर्य—उपाध्यक्षजी, कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों की इच्छा हाउस को चलाने की है या नहीं ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—स्पीच होनी चाहिये।

श्री कस्तूरचंद (जारी रखते हुए)—लेकिन यह रुपया जिस विभाग के लिये रखा गया है उस डिपार्टमेन्ट के रजिस्ट्रार साहब इस काम के लायक नहीं हैं; उनको वहां से हटाया जाय और उनकी जगह दूसरे अफसर की नियुक्ति की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसमें शिड्यूल कास्ट के लिए और आदिवासी जातियों के लिये और गाडोलिया लोहारों को बसाने के लिए रकम रखी गई है जो ८० लाख रुपया आदिवासियों के लिए और ६० लाख रुपया शिड्यूल कास्ट के लिये रखा है। इस तरह से आदिवासियों के लिये हर साल लाखों रुपया सरकार देती है, फिर भी इस पंचवर्षीय योजना में इसकी उपेक्षा की गई है।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है फिर भी कार्यवाही चल रही है।

श्री मोतीलाल चौधरी—There is no quorum, Sir.

श्री कस्तूरचन्द—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बजट में जो ८० लाख रुपये आदि वासियों के लिये हैं वह तो ८० लाख शिड्यूल्ड कास्ट के लिये होने चाहिये और ६० लाख अदिवासियों के लिये रखे जाने चाहिये।

गृह निर्माण योजना के लिये भी इसमें रुपया रखा गया है। यह भी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये होना चाहिये। इसमें पिछड़ी जाति के लोगों के लिये खास तरह से सहूलियत होनी चाहिये। इस बजट में खींचातान करके रकम रखी गई है जो नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह सुनना चाहता हूं, यह जो शाहपुरा में वाटर वर्क्स के लिये रकम रखी है वह शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का है या जयपुर डिस्ट्रिक्ट का है, इसका खुलासा होना चाहिये।

(तत्पश्चात् कोई भी सदस्य के बोलने के लिये खड़े न होने पर)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उपाध्यक्ष जी, शायद ऐसा मालूम होता है कि जो सदस्य उपस्थित हैं उनमें से शायद कोई बोलना नहीं चाहते; अतः वे कल भी नहीं बोलें।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्षजी, सेकन्ड फाइव इयर प्लान जिसकी कि चर्चा सदन में हो रही है उसके बारे में मुख्य मन्त्रीजी ने संक्षेप में जो आंकड़े सदन के सामने रखे उसके ऊपर मैं मेरे भाव प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, यह वर्तमान सरकार बधाई की पात्र है जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुकाबले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज्यादा रुपया भारत सरकार से हासिल किया है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, जिन्होंने इतनी रकम प्राप्त करने जो प्रयत्न किया उसके लिए वे खास तौर से बधाई के पात्र हैं; लेकिन साथ ही साथ मैं मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि जिस तरह की पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है और जो हमें दी गई है उसमें हिन्दी में कुछ लिखा है और अंग्रेजी में कुछ लिखा है। यहां तक कि आंकड़ों में भी डिफरेन्स है, अंग्रेजी में कुछ आंकड़े दिये गये हैं और हिन्दी में कुछ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं स्पष्ट कर दूं कि जो चीज अंग्रेजी में है वह तो प्लानिंग कमीशन को भेजी गई थी और जो हिन्दी में है वह मन्जूर शुदा है।

एक माननीय सदस्य—समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि आज का समय हो गया है इसलिये कल आठ बजे फिर सदन की कार्यवाही आरम्भ होगी।

(सदन की कार्यवाही ७ बज कर १० मिनट पर, दिनांक १५ अक्टूबर, १९५५ के आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१४ अक्टूबर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।